खण्ड-241, अंक-8
बुधवार, 13 चैत्र, शक संवत् 1885
(3 अप्रैल, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 241 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३ अप्रैल, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३६५

अक्षयवर्रासिह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
कृशोप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरी प्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पारीवाल श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम दक्षन)
जुगल किशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्मेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीत सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल फरबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री.
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बक्शीसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधरलर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भंखालाल, श्री
भीम प्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महबूब हसन खां, श्री
महरसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मावोनारायण मुदगल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमशान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री

राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनार्यसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री

सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृप लानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैन राम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

वनमंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री तथा नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३ अप्रैल, १९६३

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

*२—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

फतेहपुर जिले में मिडवाइफ सेण्टर, हेल्थ विजिटर

*३—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले के प्रत्येक विकास खंड स्तर पर किन-किन स्थानों पर हेल्थ विजिटर और मिडवाइफ सेन्टर स्थापित किये गये हैं तथा स्थापित सेन्टर कितने समय से कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—

सूचना तालिका एक में है ।

हेल्थ विजिटर की नियुक्ति ७ स्थानों के लिये स्वीकृत की जा चुकी है परन्तु प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण केवल ४ स्थानों पर इनकी नियुक्ति की जा सकी है । यही कारण मिडवाइफ की कमी का भी है परन्तु उनका नाम दाइयों से लिया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. ८२३ पर)

*४---श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त प्रकार के अन्य सेन्टर स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस किस्म के और किन-किन स्थानों में तथा कब से ?

श्री धर्मसिंह---

जी हां, वांछित सूचना संलग्न तालिका दो में है । चूंकि ये जच्चा-बच्चा केन्द्र उपकेन्द्र विकास खंड समिति, जिला परिषद्, जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल-सर्जन के परामर्श से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित होने पर खोले जाते हैं, अतः उनके नाम बतलाना अभी सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२३-८२४ पर)

श्री रामकिशोर वर्मा---

जो सेन्टर आपने स्थापित किये हैं वहां पर हेल्थ विजिटर्स तथा मिडवाइव्ज अभी तक कहीं-कहीं नहीं पहुंची हैं ? तो उनको शीघ्र वहां पर भेजने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मसिंह----

जैसे-जैसे वे उपलब्ध होते जायेंगे, उनको भेजा जायगा । उनकी ट्रेनिंग आदि में समय लगता है जिसकी वजह से देरी हो जाती है ।

श्री रामकिशोर वर्मा---

फतेहपुर जिले में १३ ब्लाक हैं जिनमें ३-४ ऐसे हैं जहां पर मिडवाइफ और हेल्थ विजिटर नहीं हैं जैसे अमोली और खजुआ । यहां कब तक यह लोग भेज दिये जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---

समय बतलाना तो कठिन है, लेकिन उसके तो कायदे कानून बने हुये हैं कि किस समय हेल्थ विजिटर नियुक्त होंगे, किस समय मिडवाइफ की नियुक्ति होगी, और उसी के आधार पर काम होता है ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंडों में यह सेन्टर्स किस आधार पर खोले जाते हैं ? क्या जनसंख्या का उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है ?

श्री धर्मसिंह---

मैंने प्रश्न ४ में निवेदन किया है । जो लोकल कमेटीज होती हैं वे इस संबंध में निर्णय लेती हैं और यदि कोई झगड़े की चीज होती है तो केस सरकार को रेफर होता है, सरकार उस पर निर्णय लेती है ।

श्री रामकिशोर वर्मा---

जो इनकी कमी बतलायी गयी है, उस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---

उनको ट्रेनिंग आदि दी जाती है और जैसे ही यह टेक्निकल लोग उपलब्ध होते हैं, सरकार उनकी नियुक्ति करती है ।

श्री ब्रह्मदत्त शास्त्री (जिला सहारनपुर)---

इस समय जो हेल्थ कमेटियां जिलों में बनी हुयी हैं उनकी कहीं-कहीं साल में कोई मीटिंग तक नहीं हुई है । इसको देखते हुये क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि उनकी मीटिंग कम से कम साल में दो बार अवश्य हुआ करे ?

श्री धर्मसिंह---

इस तरह की सूचना सरकार को नहीं है, लेकिन अगर कहीं का नाम माननीय सदस्य बतायेंगे तो उस पर विचार किया जायेगा ।

गाजीपुर जिले को हरिजन कल्याण अनुदान

*५---श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर १९६१-६२ व १९६२-६३ में हरिजनों के लिये कृषि कुटीर उद्योग, पेय जल तथा हरिजन बस्तियों के लिये प्रत्येक ब्लाक द्वारा कितना-कितना अनुदान दिया गया और किन-किन व्यक्तियों को ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)---

†सूचना संलग्न है ।

*६---श्री रघुवीर (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कार्यों के लिये जो अनुदान दिया गया वह अनुदान अब तक उन व्यक्तियों को मिला या नहीं, अगर अनुदान की रकम अब तक नहीं दी गई तो इसका क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

१९६१-६२ में हरिजन बस्ती, बठना, विकास क्षेत्र, कासिमाबाद, जिसके लिये १३,५०० रुपये स्वीकृत थे, के अतिरिक्त समस्त स्वीकृत अनुदानों का संलग्न सूची के अनुसार उपयोग हो चुका है । १९६२-६३ में प्राप्त समस्त अनुदानों को भी क्षेत्र समितियों को स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

†कारण संलग्न सूची में दे दिये गये हैं ।

लखनऊ में सरकारी डाक्टर

*७---श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में ऐसे कितने सरकारी डाक्टर हैं जिन्हें अब तक देहात की जनता की सेवा के लिये नहीं भेजा गया ?

श्री धर्मसिंह---

२० ।

*८---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के अन्दर ऐसे कितने डाक्टर हैं जिन्हें तीन साल की निर्धारित अवधि से अधिक समय से लखनऊ शहर में ही रखा गया है ?

श्री धर्म सिंह---

२० ।

*९---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो डाक्टर लखनऊ शहर में तीन साल की अवधि से अधिक समय तक लखनऊ में ही हैं उनके नाम, ओहदे और लखनऊ में रहने का समय क्या है ? और उन्हें अधिक समय तक लखनऊ शहर में ही रखने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८२५-८२६ पर)

---

†छापी नहीं गई ।

श्री रघुवीरसहाय कँथवार--

उत्तर में यह बताया गया है कि २० डाक्टरों को लखनऊ में रखा गया, देहात की सेवा में नहीं भेजा गया उसके कुछ कारण होंगे उन्हें एम० डी० करने तथा उनके बच्चों को शिक्षा सुविधायें आदि देने के कारण ट्रांसफर नहीं किया गया, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन २० डाक्टरों के अलावा क्या प्रान्त में अन्य डाक्टर ऐसे नहीं हैं जो उन्हें एम० डी० इत्यादि करने की सुविधा प्रदान की जाय ?

श्री धर्मसिंह--

जिन कारणों से वे यहां रखे गये हैं उनकी डिटेल प्रश्न ९ में दी है। एम० डी० और एम० एस० करने के कुछ कायदे और कानून हैं और जो उन शर्तों को पूरा करते हैं और सरकार से प्रार्थना करते हैं उन पर गौर किया जाता है।

श्री रघुनाथसहाय कँथवार--

प्रशासन के ४३१ विधायकों का कुशलतापूर्वक इलाज करने वाले विधायक निवास के डा० जगमोहनसिंह पवार को एम० डी० करने की और उनके बच्चों की शिक्षा की सुविधा न देने और उनको बाहर हमीरपुर भेजने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---

यह सही बात है कि इनका विधायक निवास से ट्रांसफर हो गया। और बातों की नोटिस मिलने पर देखभाल कर ली जायगी।

श्री रघुवीरसहाय कँथवार---

डा० सी० एल० सिंघल जो असाध्य रोगग्रस्त हैं और प्रभावकारी मंत्री के सम्बन्धी हैं उनकी नियुक्ति सन् ५७ में सिविल अस्पताल में आने के पहले कब हुई और लखनऊ के किस अस्पताल में उससे पहले वह रहे ?

श्री धर्मसिंह--

मंत्री का रिश्तेदार होना गुनाह नहीं है। लेकिन इन डाक्टर की सेहत इतनी ज्यादा खराब है कि मेडिकल लोगों ने कहा कि इनका यहां से जाना मुनासिब नहीं होगा। प्रशासन के लिहाज से इनकी इस प्रकार की नियुक्ति उचित समझी गई।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

इन २० डाक्टरों में से कितनों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे कि उन्हें यहां रखा जाय ?

श्री धर्मसिंह---

सूचना चाहिये।

श्री विजयसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि २ वर्ष के लिये प्रत्येक डाक्टर को देहात में जाना होगा और इसके लिये उनकी सर्विस डबल काउन्ट की जायगी और उन्हें एलाउन्स भी मिलेगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

यह हाई पावर कमेटी के सामने विचाराधीन है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाई पावर कमेटी कब बैठी थी और डाक्टरों की समस्या हल करने के लिये उसने क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

रिपोर्ट तैयार हो रही है। वित्तीय वर्ष में डाक्टर लोग बहुत मसरूफ थे। अब बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जावेगी।

विकास अधिकारियों की भर्ती

*१०--श्री राजाराम (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या विकास मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि गत वर्ष विकास अधिकारियों की नियुक्ति के लिये कोई परीक्षा ली गई ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति शामिल हुये और सरकार को कुल कितना व्यय करना पड़ा ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

गत वर्ष (१९६२-६३) विकास अधिकारियों के लिये दो परीक्षाएं हुईं । प्रथम मई, १९६२ में विभागीय कर्मचारियों के लिये जिसमें १,५४२ व्यक्ति शामिल हुए। दूसरी सितम्बर, १९६२ में सीधी भरती द्वारा पदों को भरने के लिये जिसमें ४,१५७ व्यक्ति शामिल हुए । इन परीक्षाओं में लगभग ८,७६६ रु० एवं १५,४९१ रु० क्रमश: व्यय हुआ ।

*११--श्री राजाराम (अनुपस्थित)--

क्या यह सही है कि इस प्रदेश में कुछ ऐसे विकास अधिकारी कार्य कर रहे हैं जो कक्षा दस भी नहीं उत्तीर्ण हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--

जी हां । १६ स्थानापन्न विकास अधिकारी कक्षा १० उत्तीर्ण नहीं हैं ।

बहराइच जिले में दवाओं के सन्दूक की बरामदगी

*१२--श्री रामअधार कनौजिया, (जिला बहराइच) श्री मंगलप्रसाद आर्य, (जिला बहराइच) श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १८ जून, १९६२ को सिविल सर्जन के समक्ष श्री मुख्तार अहमद, लेप्रोसी कम्पाउन्डर, केन्द्र फखरपुर ने दवाओं से भरा बक्स जिसकी कीमत २ हजार रुपये से अधिक थी श्री ईदू नामक व्यक्ति के मकान से बरामद किया था ? यदि हां, तो कैसी दवायें थीं और क्यों रखी गई थीं ?

श्री धर्मसिंह--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामअधार कनौजिया--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और मुख्तार अहमद का बयान लिया गया था या नहीं ?

श्री धर्मसिंह--

सिविल सर्जन के द्वारा ही रिपोर्ट मंगाई गई और उन्होंने ये सब बातें लिखी हैं ।

श्री रामअधार कनौजिया--

क्या सरकार मुख्तार अहमद का बयान लेकर दोबारा जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--

रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है । इसलिये इसकी पुनः जांच कराई जायगी ।

कानपुर जिले में सिंचाई के लिए वितरित धन के दुरुपयोग की शिकायत

*१३--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले में लघु सिंचाई योजना के निमित्त वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में अब तक कुल कितना रुपया जनता में वितरित किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

८,९०,००० रुपया ।

*१४--श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को उक्त धन के दुरुपयोग के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो:

(अ) वह क्या हैं ?

(ब) इनके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां ।

(अ) एक श्री प्यारे लाल कटियार ने शिकायत की थी कि १९६१-६२ में सर्वश्री अमान सिंह तथा बनवारी लाल, ग्राम खड़ेमऊ (बिल्हौर विकास क्षेत्र) ने पम्पिंग सेट हेतु तकावी लेकर कार्य सम्पन्न नहीं कराया है ।

(ब) उपरोक्त व्यक्तियों को नोटिस देने पर उत्तर प्राप्त हुआ है कि उन्होंने मशीनें खरीद ली हैं और उन्हे स्थापित कराने का प्रबन्ध करा रहे हैं । इन व्यक्तियों को कार्य पूरा करने का समय २३-३-१९६३ तक दिया गया था ।

जाजमऊ की चमड़ा टेनरियों में हड़ताल

*१५--श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जाजमऊ, कानपुर की चमड़ा टेनरियों में २० अप्रैल, १९६१ को जो जनरल हड़ताल १०-१२ दिन की हो गई थी उसमें १०० के करीब मुस्तकिल मजदूर निकाल दिये गये थे, उनमें से कितने लोगों को काम पर रखा गया और कितनों को नहीं रक्खा गया ? क्या जो नहीं रक्खे गये हैं उन्हें सरकार रखवाने पर विचार करेगी ?

श्रममंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)--

जी हां । इस सम्बन्ध में २६ अगस्त, १९६१ को एक आपसी समझौता हुआ जिसमें यह तय पाया कि ५१ निकाले गये स्थायी श्रमिक खेद आदि प्रकट करने पर काम पर वापस ले लिए जायेंगे और शेष ५० श्रमिक चाहें तो ग्रेचुएटी ले लें या अपना विवाद संराधन समिति में उठावें । पहली श्रेणी के कुल १७ स्थायी श्रमिक काम पर वापस लिए गये । शेष को काम पर वापस नहीं लिया जा सका क्योंकि शायद वे खेद आदि प्रकट करके काम पर वापस नहीं आना चाहते थे ।

इस श्रेणी के भी १४ श्रमिकों ने अपना विवाद संराधन समिति में उठाया ।

दूसरी श्रेणी के श्रमिकों में से ३८ श्रमिकों ने ग्रेच्युटी ले ली और १२ श्रमिकों ने अपना विवाद संराधन समिति में उठाया ।

इस प्रकार २६ श्रमिकों का मामला जो संराधन समिति में उठाया गया उसे अभिनिर्णय में भेजने के योग्य नहीं पाया गया ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी ५० में से बाकी को रखवाने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

बाकी २० के पास यह रास्ता खुला था कि वे कंसीलियेशन में अपना केस उठावें, मगर उन्होंने नहीं उठाया । अगर वे हमारे पास दरख्वास्त दें तो हम उस पर विचार जरूर करेंगे ।

श्री ऊदल--

बाकी अस्थायी लोगों ने ग्रेच्युटी के लिये नहीं लिखा, अगर वे लिखें तो सरकार उनको दिलवाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

५० में से ३८ ने ग्रेच्युटी ले ली। १२ ने कंसीलियेशन बोर्ड में अपना केस उठाया था, वह reference के लिए इनएक्सपीडियेट माना गया, इसलिये उसे रिजैक्ट किया गया।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--

हड़ताली मजदूरों की शिकायतें क्या थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

तनख्वाह की बढ़ोत्तरी, परमानेंट होना, छुट्टियों और ग्रैच्युटी की बातें, इत्यादि, इत्यादि।

पंच, प्रधान पद के उम्मीदवारों के नामिनेशन फार्म की कीमत

*१६--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार पंच और प्रधान पद के उम्मीदवारों से ६ रुपये और १२ रुपये नामिनेशन फार्म का दाम क्यों लेती है, जबकि विधान तथा लोक सभा के निर्वाचन नामिनेशन फार्म की कीमत केवल १० नया पैसा है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

पंच और प्रधान पद के उम्मीदवारों से ६ रुपये और १२ रुपये नामिनेशन फार्म का दाम पंचायत राज नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।

*१७--श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जिलेवार नामिनेशन फार्म पंच तथा प्रधान पद के निर्वाचन के सिलसिले में १९६२ तक सरकार को कितना धन प्राप्त हुआ है और इस मद में कितना रुपया अभी तक जमा है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१८--श्री कमलासिंह यादव--

क्या यह सत्य है कि गाजीपुर जिले के पंचायत मंत्रियों को महंगाई १९५९-६०, ६०-६१ और ६१-६२ में नहीं दी गई है ? यदि हां, तो कितने मंत्रियों को नहीं दी गई है ? क्या सरकार पंचायतों द्वारा आधा महंगाई भत्ता न वसूल होने के कारण जो कठिनाई उपस्थित हो रही है उसको दूर करने का कोई उपाय करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस नियम के आधार पर पंच और प्रधान के पदों के लिये ६ रुपये और १२ रुपये वसूल किये जाते हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

पंचायत राज्य ऐक्ट, १९४७, जैसा समय समय पर संशोधित हुआ है, उसके अनुसार नियम हैं और उनको लेजिस्लेचर का भी एप्रूवल है। पर्टीक्युलर नियम तो मुझे याद नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार उस नियम को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और बतलाने की कृपा करेगी कि जब एम० एल० ए० और एम० पी० के लिए १० नये पैसे का फार्म बनाया जाता है तो वह पंच और प्रधान के लिए ६ रुपये और १२ रुपये का क्यों भेजा जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने कह दिया कि यह नियम के अनुसार है।

श्री कमलासिंह यादव--

यह नियम क्यों ऐसा बनाया गया है कि एम० पी० और एम० एल० ए० के लिए १० नये पैसे और उनके लिये ६ रुपये और १२ रुपये ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आब्जर्वेशन है। उन्होंने उत्तर दे दिया।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मेम्बर हूं और मैंने वह ऐक्ट और रूल्स मांगे, लेकिन कहीं भी नहीं मिले और सभा सचिव से भी पूछा था कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार ६ रुपये और १२ रुपये दिये जायं, तो मैंने प्रश्न किया है।

श्री बंशीधर पांडेय---

कमलासिंह जी तो वकील हैं और पढ़े-लिखे हैं। नियम बनाया गया है, जब तक उसको हटाया न जाय तब तक नियम के अनुसार कार्यवाही होगी। एम० एल० ए० का रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के अनुसार है और उनका पंचायतराज ऐक्ट के अनुसार है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

यह देखते हुए कि गांव सभाओं के पास फंड नहीं है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो महंगाई भत्ता पंचायत मंत्रियों को दिया जाता है वह जैसे कि वेतन उनको दिया जाता है उसी तरह से संपूर्ण सरकार दे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

यह मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, जब प्रश्न १७-१८ का उत्तर मुझे नहीं मिला है तो सप्लीमेंटरी पूछे नहीं जा सकते हैं।

क्या सरकार यह देखते हुए कि ६ रुपया और १२ रुपया जो पंच और प्रधान के लिए निर्धारित किया गया है उससे गरीब आदमी के सामने रोड़ा अटकाया जा रहा है कि वह इस पद में भाग न ले सकें, तो क्या सरकार पुनः विचार करेगी कि उनके लिए भी एम० एल० ए० और एम० पी० की भांति १० नये पैसे रख दें ?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, ३ बार चुनाव पंचों के हुए और एक भी शिकायत नहीं आयी कि ६ रुपया और १२ रुपया रखने के कारण उम्मीदवार के सामने कोई रोड़ा पड़ा। यह जरूर है कि इसको हटा कर आप एक पैसा भी न करिये, लेकिन यह तो रूल की बात है। जब अमेंडमेंट पंचायत राज ऐक्ट में होगा तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार इसका आश्वासन देगी कि ६ रुपया हटाकर नियम में परिवर्तन करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

यह प्रश्न तो तभी उठाना चाहिए था जब १९४७ में ये रूल बने। हाउस में वह जरूर रखे गये होंगे और हाउस के मेम्बरों को मौका मिला होगा उन पर विचार करने का और विचार करने के बाद उनको मंजूर किया। अब वह चालू हैं। अगर बदलने की ख्वाहिश है तो और रिप्रेजेंटेशन आयेगा, उस पर हम लोग सोच-विचार करेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

उपाध्यक्ष महोदय, एम० पी० और एम० एल० ए० के जो फार्म हैं वे स्वयं भी छापे जा सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कि वहीं से खरीदे जायं, तो ये जो फार्म है क्या ये भी स्वयं छपाये जा सकते हैं और दाखिल हो सकते हैं या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

यह तो बेसिक पालिसी की चीज है। उसको पहले चेंज करना होगा। जब वह ६ रुपये और १२ रुपये नहीं रहेंगे तभी आदेश दिया जा सकता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

मेरा सवाल कोई पालिसी के बारे में नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि क्या नामीनेशन पेपर्स को स्वयं भी छपवाया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने कह दिया कि वह तो रूल्स का सवाल है। वह छपवाये नहीं जा सकते।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एम० एल० ए० और एम० पी० के चुनाव के लिये जो परिगणित जाति के लोग खड़े होते हैं उनको केवल आधा रुपया ही जमा करना पड़ता है, तो क्या सरकार पंच और प्रधानों के चुनावों में भी इन लोगों के लिये आधी फीस रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जब सारे नियमों पर विचार किया जायगा तो इस बात पर भी विचार कर लिया जायगा।

श्री रघुनाथसिंह---

प्रश्न १८ में गाजीपुर जिले में पंचायत मंत्रियों को महंगाई भत्ते की शिकायत है तो क्या महंगाई भत्ते का निर्धारण प्रान्तीय स्तर पर न हो कर जिला स्तर पर होता है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह सवाल नहीं उठता। इसकी तो सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन फार्मों की क़ीमत जो ६ रुपया और १२ रुपया रखी गयी है उसको फार्म की कीमत न रख कर, सिक्योरिटी मनी कर दिया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जिस वक्त अगली बार पंचायत राज ऐक्ट पर विचार होगा तब इस बात पर भी विचार कर लिया जायगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो ६ रुपया और १२ रुपया इतनी अधिक फीस होने के कारण से ही इलेक्शन तक नहीं लड़ पाये और दिल मसोस कर रह गये ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जी नहीं।

सदर राजकीय अस्पताल, आजमगढ़

*१९---श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री दिनांक ६ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि अब तखमीने की धनराशि कितनी हो गई और क्या भूमि कम प्राप्त होने के कारण इमारत दो मंजिला बनाई जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---

स्वीकृत तखमीने की धनराशि ७ लाख ८० हजार रुपये हैं। इमारत एक मंजिल की ही बनेगी।

श्री दौलतलाल---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि अस्पताल के लिये पहले जितनी भूमि ली जा रही थी अब उससे बहुत कम ली जा रही है और इमारत भी दो मंजिला नहीं बनायी जा रही है फिर तखमीना उतना ही क्यों है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

पहले ४२.६६५ एकड़ जमीन लेने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी बीच रिट दाखिल हो गयी जो पहले अस्पताल का इस्टीमेट बना था १२० बेड का वह १५ लाख रुपये का बना था। उस वक्त इतना रुपया था नहीं अब जो जमीन मिली है वह २९.२२७ एकड़ जमीन मिली है। अस्पताल के लिये ७८० हजार रुपया मंजूर हुआ है। इसलिये उसकी बिल्डिंग बनायी जा रही है।

श्री दौलतलाल---

पहले जमीन भी ज्यादा ली जा रही थी और इमारत भी दो मंजिला बनवाई जा रही थी लेकिन तखमीना ७८० हजार ही था लेकिन अब भी उतना ही तखमीना क्यों है, जबकि इमारत भी दो मंजिला नहीं बनवाई जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---

जमीन जो ली गयी है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें, जो जमीन अब मिली है, उससे कोई बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी। इसलिये जमीन के कम होने से बिल्डिंग बनने में कोई कमी होने का सवाल पैदा नहीं होता।

बस्ती जिले में बिक्री-कर की वसूली

*२०---श्री जगदीश (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में गत वर्ष कितनी बिक्री-कर की वसूली हुई तथा कितनी बाकी है ?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

वर्ष १९६१-६२ में बस्ती जिले में कुल ९,००,०८७ रु० ४ न० पै० बिक्री-कर वसूल हुआ तथा उक्त वर्ष के अन्त में ७,२३,८३९ रु० ४० न० पै० बकाया रह गया था।

*२१---श्री जगदीश (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जिले में कितना बिक्री-कर फुटकर दूकानदारों से तथा कितना भट्ठा वालों से वसूल हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

वर्ष १९६१-६२ में बस्ती जिले में भट्ठे वालों से ८२,३७३ रु० १२ न० पै० तथा अन्य दूकानदारों से ८,१७,७१३ रु० ९२ न० पै० बिक्री-कर वसूल हुआ।

*२२---श्री जगदीश (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जिले में बांसी तहसील में गौरी राई में और धर्मसिंहवां के पास ईंट के भट्ठे चल रहे हैं जो कि सेल्स टैक्स नहीं देते ? अगर देते हैं तो उन्होंने कितना दिया और कितना उन पर बाकी है? यदि नहीं दिया, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

प्राप्त सूचना से ज्ञात होता है कि धर्मसिंहवां के पास ईंट का कोई भट्ठा नहीं चल रहा है। गौरी राई में एक भट्ठा १९६१-६२ में अवश्य था जो जून, १९६२ में बन्द हो गया। इस भट्ठे पर कर लगाने की कार्यवाही चल रही है।

मिस भाटिया फार्मेसी, बस्ती के विरुद्ध शिकायत

*२३--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार को पता है कि मिस भाटिया एजेन्सी, बस्ती एक ऐसी फर्म है जो नकली दवाइयों की बिक्री प्रति वर्ष लाखों रुपये की करती है और चेरीटेबुल हास्पिटल, वाल्टरगंज शुगर मिल, बस्ती में इस फर्म की नकली दवाइयां भी दी जाती हैं और कंपनी रेट से कम दाम पर अपनी दवाइयों को बेचती है ?

श्री धर्मसिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२४--श्री ऊदल--

क्या सरकार को पता है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर का इस फर्म के साथ सम्बन्ध हो गया है और इस सम्बन्ध से श्री जगदीश सिंह जी की दरख्वास्त मुख्य मन्त्री जी को २९ जनवरी, १९६३ को या फरवरी के पहले हफ्ते सन् १९६३ में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच सरकार सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जाजमऊ की चमड़ा टेनरियों में छुट्टियां, बोनस

*२५--श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जाजमऊ, कानपुर में जितनी चमड़े की टेनरियां हैं उनमें सिर्फ २६ जनवरी, १५ अगस्त, व गांधी जयंती की छुट्टी सवेतन मजदूरों को दी जाती है और इसके अलावा इतवार तथा दूसरी छुट्टियों का पैसा काट लिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी नहीं। जाजमऊ की टेनरियों में २६ जनवरी, १५ अगस्त और गांधी जयन्ती के अलावा फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ के अनुसार सवेतन छुट्टी उन मजदूरों को दी जाती है जो उक्त कानून के अन्तर्गत ऐसी छुट्टी पाने के अधिकारी हैं। मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों को माह में पड़ने वाले इतवार या अन्य प्रकार की छुट्टियों के एवज में बिना कटौती किये वेतन मिलता है।

रोजाना वेतन पाने वाले श्रमिकों का इतवार तथा अन्य छुट्टियों का वेतन काट लिया जाता है, क्योंकि इन श्रमिकों को ऐसी छुट्टियों का वेतन दिये जाने की व्यवस्था कानून में नहीं है।

*२६--श्री चन्दन सिंह तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त उद्योगों में कार्य करने वालों को बोनस दो नये पैसे फी रुपये के हिसाब से दिया जाता है जब कि कूपर एलन फ्लेक्स कम्पनी में ३ आने रुपये के हिसाब से दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इन टेनरियों के मजदूरों को बोनस में ३ माह की तनख्वाह दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी नहीं। टेनरियों या कूपर ऐलन फ्लेक्स कम्पनी में काम करने वाले श्रमिकों को बोनस किसी एक नियत दर पर दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल--

जो व्यवस्था कूपर एलन फ्लेक्स कम्पनी में बोनस देने की है, उसी व्यवस्था को जो चमड़े की और टेनरियां हैं, उनमें भी माननीय मंत्री जी लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इसका सवाल नहीं उठता है, क्योंकि बोनस देने का L.A.T. फार्मूला है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित है और उसी फार्मूले के अन्तर्गत हर कारखाना जिसके पास एवेलेबिल सरप्लस होता है कानूनी ढंग से तो वह बोनस देता है। चूंकि कूपर एलन फलेक्स कम्पनी को ज्यादा मुनाफा होता है, उसके पास एवेलेबिल सरप्लस ज्यादा है, तो उसी के अनुसार वह अपने वर्कर्स को बोनस देती है। हर यूनिट के लिये अलग अलग असेसमेंट होता है, जहां एवेलेबिल सरप्लस होता है, उसी के अनुसार बोनस बांट सकते हैं।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी के पास ऐसी शिकायत आयी है कि जहां फैक्टरी ऐक्ट लागू है और जहां स्थायी कर्मचारी काम करते हैं, उनको भी और कोई छुट्टी नहीं मिलती है और अगर छुट्टी दी जाती है तो उसका पैसा काट लिया जाता है? यदि हां, तो इसकी जांच माननीय मन्त्री जी करवाने की कृपा करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

ऐसी कोई शिकायत आयेगी तो जरूर जांच करवायेंगे।

आयुर्वेदिक कालेजों को सहायता, ऋषिकुल विद्यापीठ आयुर्वेदिक कालेज का अनुदान रोकना

*२७--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त भर में कितने आयुर्वेदिक कालिज हैं और उनमें सरकार किन-किन को आर्थिक सहायता प्रदान करती है तथा कितनी-कितनी?

श्री धर्मसिंह---

प्रदेश में इस समय आठ ऐसे आयुर्वेदिक कालेज चल रहे हैं जिनमें पंचवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है। इनमें से एक राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ सरकार द्वारा संचालित होता है और इसका पूर्ण व्यय सरकार ही वहन करती है। इस एक कालेज को छोड़ कर शेष सात कालेजों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। गत चार वर्षों में सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का ब्योरा तालिका (क) में दिया हुआ है जिसकी एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८२७-८३० पर)

*२८--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि ऋषिकुल विद्यापीठ, हरिद्वार में जो आयुर्वेदिक कालेज है उसको सहायता सरकार ने १९६०-६१ में कब दी और क्या यह सही है कि कलेक्टर, सहारनपुर ने सहायता के रूप में भेजा गया धन कालेज को न देकर अपने पास रोके रक्खा? यदि हां, तो क्यों, और यदि नहीं, तो कब दिया?

श्री धर्मसिंह--

कथित कालेज को

२७,९०० रु०	.. .. .	१६ जुलाई, १९६०
२३,००० रु०	.. . ..	८ दिसम्बर, १९६०
५,००० रु०	.. .. ..	८ दिसम्बर, १९६०
२०,५५० रु०	.. .. ..	१६ मार्च, १९६१
तथा		
५,००० रु०	.. .. ..	१८ मार्च, १९६१

को वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में अनुदान के रूप में दिया गया। इसमें से २५,५५० रु० की धनराशि इस कारण कालेज को तुरन्त नहीं दी गई, क्योंकि कालेज का प्रबन्ध ठीक नहीं था और धन के अपव्यय होने की सम्भावना थी। व्यवस्था ठीक हो जाने पर यह धन भी कालेज को वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में दे दिया गया।

*२६--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार कृपया यह भी बतलायेगी कि ऊपर कहे गये कालेजों में पिछले पांच साल में कितने-कितने विद्यार्थी किस-किस क्लास में थे और अब कितने हैं ?

श्री धर्मसिंह--

वांछित सूचना तालिका 'ख' में दी हुई है, जिसकी एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८२७-८३० पर।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

प्रश्न संख्या २८ के उत्तर से यह जाहिर होता है कि वहां की व्यवस्था ठीक न होने के कारण कलक्टर, सहारनपुर ने वहां का रुपया कार्यकारिणी को न देकर अपने पास रोक लिया, तो कौन सी व्यवस्था ऐसी थी कि जो पहले खराब थी और बाद में ठीक हो कई जिसके कारण पहले उन्होंने रुपया रोके रखा और बाद में दे दिया ?

श्री धर्मसिंह--

वह तो एक चेरेटेबिल एन्डावमेंट का था और जब देखा गया कि वहां की व्यवस्था ठीक हो गयी है तो वह दे दिया गया, लेकिन अब वह हाईकोर्ट में गये हैं और अभी कोई वहां से निर्णय नहीं हुआ है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार को जानकारी है कि वहां पर एक ग्रुप माननीय हीरावल्लभ त्रिपाठी के नेतृत्व में स्थापित था, लेकिन एलेक्शन के बाद वह ग्रुप आउस्ट हो गया और इसी वजह से उनकी एप्रोच के कारण वह रुपया रोक लिया गया ताकि दोबारा उस ग्रुप को हावी कराया जाय और इसी कारण से जिलाधीश को आदेश दिये गये कि जब तक वह ग्रुप हावी न हो जाय तब तक रुपया न दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह--

किसी के हावी होने या ग्रुप की बात तो नहीं जानता, लेकिन चूंकि मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी थी इसीलिये रुपया रोका गया और बाद में मैनेजमेंट के बदलने पर वह पैसा दूसरे को दे दिया गया और यह समझा गया कि अब इंतजाम ठीक चलेगा और लड़कों का हर्जा न होगा। संस्था ठीक से चले इसीलिये ऐसा किया गया, लेकिन अभी तो दूसरी पार्टी हाई कोर्ट में इसके खिलाफ गई हुई है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मन्त्री जी तालिका 'ख' देखने के बाद इस चीज का कारण बतायेंगे कि सन् १९६२-६३ में प्रथम २ श्रेणियों में कोई भी विद्यार्थी दाखिल नहीं किया गया और इसी तरह से १९६१-६२ में भी प्रथम श्रेणी में कोई विद्यार्थी दाखिल नहीं किया गया, तो जब वहां अब व्यवस्था ठीक हो गई तो क्यों वहां अब भी विद्यार्थी दाखिला लेने नहीं आ रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह--

इसमें तो यह देखना होगा कि संस्था ने दाखिला नहीं किया या लड़के ही दाखिले के लिये नहीं आये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन्, अब तो वहां ६१ के बाद व्यवस्था ठीक हो गई .....

श्री उपाध्यक्ष--

वह कह रहे हैं कि दो कारण हो सकते हैं, एक तो यह कि वहां की व्यवस्था ठीक नहीं हुई या विद्यार्थी खुद नहीं आये, क्या बात हुई इसका उन्हें ठीक पता नहीं है।

श्री विजयसिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ जिस का सरकार के द्वारा प्रबन्ध किया जाता है और खास तौर से एलोपैथिक डाक्टर के द्वारा, लेकिन क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि यह प्रबन्ध आगे आयुर्वेदिक डाक्टरों के हाथ में आये और उन्हीं से वहां का सारा प्रबन्ध कराया जाय ?

श्री धर्मसिंह---

वहां का जो इंतजाम है वह दोनों ओर से चलता है, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों के द्वारा चलता है, क्योंकि वहां से जो विद्यार्थी निकलते हैं उनको मार्डन मेडिकल साइन्स की विद्या प्राप्त करने के लिये बलरामपुर अस्पताल में ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, इसलिये थोड़ा बहुत इंतजाम उनके हाथ में भी है।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन में बातें हो रही हैं और शोर अधिक है, आप लोग शांत रहें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चूंकि इस संस्था की हालत बहुत खराब हो चुकी है इसलिये इस को भी लखनऊ के कालेज की तरह सरकार अपने हाथ में लेने पर विचार करेगी, हरिद्वार की महत्ता और वहां के विद्यार्थियों की सुविधा के लिये ?

श्री धर्मसिंह---

अभी तो यह मामला अदालत में है, जब निर्णय हो जायगा तो सरकार आप के सुझाव पर विचार कर सकती है।

श्री रघुनाथसिंह---

क्या मन्त्री जी इस बात को महसूस नहीं करते कि यहां की आर्थिक सहायता रोकने से वहां के विद्यार्थियों की पढ़ाई का हर्ज हुआ ?

श्री धर्मसिंह---

हर्ज न हो इसीलिये तो व्यवस्था ठीक होने पर अनुदान फिर दिया गया और उसको रोका नहीं गया वह तो फिर दे ही दिया गया। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही किया गया है। जो पैसा दिया गया था थोड़े दिन के लिये रोक दिया गया और बाद में, इसीलिये कि लड़कों का हर्जा न हो, वह पैसा दे दिया गया। अनुदान कहां रोका गया ?

विकास खण्ड, विशेश्वरगंज व इकौना में हरिजन चपरासी

*३०--श्री मंगलप्रसाद आर्य---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खंड विकास विशेश्वरगंज व इकौना, जिला बहराइच में कितने-कितने चपरासी व डाकिया हैं और उनमें से प्रत्येक विकास खंड में कितने-कितने हरिजन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)---

विकास खंड विशेश्वरगंज जिला बहराइच के चपरासियों और डाकियों की संख्या तीन है जिसमें कोई हरिजन नहीं है। इकौना क्षेत्र में भी चपरासियों और डाकियों की कुल संख्या तीन है जिनमें दो हरिजन हैं। उपर्युक्त हरिजन उम्मीदवारों के न मिलने के कारण विशेश्वरगंज विकास खंड में किसी हरिजन की नियुक्ति नहीं की जा सकी।

श्री मंगलप्रसाद आर्य---

मंत्री जी बतायेंगे कि चपरासियों के लिये कौन सी योग्यता निर्धारित की गई है ?

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---

लिटरेट होने की जरूरत नहीं है, स्वस्थ होना चाहिये जो काम कर सके।

श्री मंगलप्रसाद आर्य--

मंत्री जी बतायेंगे कि विकास खंड विशेश्वरगंज में सर्व श्री राम सागर और राम सुधर, हरिजनों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे, परन्तु बी०डी०ओ० ने १०० रुपये राम सागर हरिजन से मांगा था जो वह नहीं दे सका इसी कारण से उसे नहीं लिया गया ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

मेरी फाइल में ऐसी कोई बात नहीं है । अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा ली जायगी ।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--

मंत्री जी ने कहा कि योग्यता कोई निर्धारित नहीं है । तो फिर कैसे लिखा गया कि उपयुक्त हरिजन नहीं मिले ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

जब लोगों की एप्लीकेशन्स आती हैं तो उनमें से छांट लेते हैं । उसमें लोगों की दरख्वास्त नहीं आयी और एक बात और है ज्यादातर एप्लायमेंट ऐक्सचेंज की तरफ से नाम आते हैं उन्हीं में से छांट होती है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजन चपरासियों को इसलिये नौकर नहीं रखा जाता है, क्योंकि वे अफसरों के घरों पर चौका, चूल्हा का काम नहीं कर सकते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

ऐसी बात नहीं है कोशिश की जाती है कि हरिजनों की संख्या पूरी की जाय और जिन दो विकास खंडों का सवाल पूछा है आप देखें कि ६ चपरासियों और डाकियों में से दो हरिजन हैं और उनका रिजरवेशन १८ फीसदी है जब कि वहां उनका परसेंटेज ३३ फीसदी हो जाता है । हरिजन अगर कहीं कम हैं तो हमारी कोशिश है कि उनका नम्बर पूरा किया जाय । अगर कोई ऐसी शिकायत है जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया कि नाजायज तरीके से उनको नहीं रखा गया तो वह हमें लिख कर दें और अगर सही पाया गया तो उस अफसर के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे ।

श्री मंगलदेव--

अभी आपने बताया कि ६ चपरासियों में २ हरिजन हैं जिसकी वजह से ३३ फीसदी हो जाता है तो १९४७ से ५९ तक २ ही लिये गये अतः कोटा अधिक करके उसे पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

अधिक कोटा का प्रश्न नहीं उठता । अगर अवेलेबिल हों तो ले सकते हैं ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या यह सही है कि १८ फीसदी हरिजन कोटा पूरा करने के लिये मीनियल सर्वेन्ट्स को जगह देने का सरकारी आदेश है, इसके बावजूद उनका कोटा १९४७ से आज तक पूरा नहीं किया जाता है और बराबर कहा जाता है कि कोशिश की जा रही है ? तो सरकार की मंशा उनका कोटा पूरा करने की नहीं है केवल कागजी प्रलोभन मात्र है, इसलिये हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह आरोप तो मैं ऐक्सेप्ट नहीं कर रही हूं, क्योंकि हमारे विभाग की तरफ से खास हिदायत भेजी गयी है कि मीनियल सर्वेन्टस के कैडर में हरिजनों का कोटा पूरा किया जाय और पिछले दो साल में उनका प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है और सरकार की कोई नीयत नहीं है कि उनको पूरी जगह न मिले । मैं देखती हूं कि लोअर रैंक्स में उनकी जगहें पूरी होने की गुंजायश है । इसलिये कोशिश की जायगी कि अगले सालों में ज्यादा हरिजन लिये जायं बनिस्बत दूसरी जातियों के ।

श्री रामअधार शास्त्री—

१८ प्रतिशत के आधार पर भर्ती की कोशिश की जा रही है, किन्तु क्या माननीय मंत्री को यह भी जानकारी है कि ब्लाक में डेवलपमेंट कमिश्नर के एक सर्कुलर के अनुसार पूर्ण रूप से हरिजन ही रखे जाने का आदेश दिया गया है और यदि यह है तो इस आदेश के उल्लंघन में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस आदेश के उल्लंघन की हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। मैं यह कहना चाहती हूं कि पिछले १,२ साल से हरिजन का कोटा बढ़ता जा रहा है और जो कमी थी उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई शिकायत कोई भी माननीय सदस्य भेजेंगे स्पेसिफिकली लिख कर, तो हम उस पर ऐक्शन लेंगे।

श्री सुखराम बारा (जिला फैजाबाद)—

जो हरिजन नहीं लिये जा रहे हैं और जिलाधीश अधिकारी हरिजनों को चपरासी के स्थान पर नहीं रख रहे हैं तो वे उनके खिलाफ ऐक्शन लेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह तो मैं दो दफा कह चुकी हूं। तीसरी बार फिर बतलाये देती हूं कि आप लोग शिकायत भेजेंगे तो जरूर ऐक्शन लिया जायगा।

कानपुर जिला सहकारी संघ में धन का दुरुपयोग

*३१—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिला सहकारी संघ (डी०सी०एफ०) का पिछले वर्षों में जो आडिट किया गया है, उसमें संघ के उपाध्यक्ष एवं मंत्री के प्रति धन का दुरुपयोग करने तथा हिसाब में गड़बड़ी करने की शिकायत है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

कानपुर जिला सहकारी संघ के वर्ष १९५८-५९ के आडिट रिपोर्ट में संघ के उपाध्यक्ष एवम् मंत्री द्वारा हिसाब में गड़बड़ी करने की नहीं वरन् धन के दुरुपयोग करने की शिकायत थी।

आडिट रिपोर्ट के अनुसार दुरुपयोग की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं—

१—उपाध्यक्ष के नाम ९४ रु० ४३ नये० पै० एडवांस की धनराशि का बकाया।

२—संघ के मंत्री द्वारा संघ से एडवांस के रूप में लिये गये ६,९७७ रु० ६४ न० पै० की धनराशि का हिसाब संघ को न देना।

३—संघ के मंत्री द्वारा ४-१०-५८ को २,८०० रु० संघ में अपने खाते से निकालना जबकि उक्त तिथि में उनके खाते में केवल २,३७५ रु० २५ नये पैसे जमा थे। इस प्रकार मंत्री ने ४२४ रुपया ७५ न० पै० संघ से अधिक निकाला।

४—मंत्री पर ३६७ रु० २० न० पैसे एडवांस की धनराशि का बकाया है।

*३२—श्री नित्यानन्द पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जिला सहकारी संघ, कानपुर की व्यवस्था इस समय किसके द्वारा करायी जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला सहकारी संघ कानपुर की व्यवस्था उसके संचालक मंडल द्वारा की जा रही है।

*३३--श्री नित्यानन्द पांडेय (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी संघ के मुख्य पदाधिकारी वही सज्जन हैं, जो जिला निर्माण परिषद्, एवं जिला अन्तरिम परिषद्, कानपुर के हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

संघ की नियमावली के अनुसार उसके मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मंत्री हैं जिनमें से केवल उपाध्यक्ष श्री बेनीसिंह ही जिला सहकारी निर्माण परिषद् में उपाध्यक्ष तथा जिला अन्तरिम परिषद् में सदस्य हैं।

विलीन काशी राज्य के चिकित्सा अधिकारी

*३४--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन काशी राज्य के चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद विभाग) अब तक कन्फर्म नहीं किये गये और जो तनख्वाह में वार्षिक वृद्धि होती है वह करीब ६ वर्ष से रुकी हुई है ? यदि हां, तो अब तक कन्फर्म न करने का कारण क्या है तथा बढ़ोत्तरी जो वार्षिक होती है उसे रोकने की क्या वजह है ?

श्री धर्मसिंह--

विलीन काशी राज्य के चिकित्सा अधिकारियों की कुल संख्या १४ है। इनको कन्फर्म करने के पहले तीन बातों का होना आवश्यक था--(१) स्थाई पदों का निर्माण करना, (२) लोक सेवा आयोग की स्वीकृति प्राप्त करना तथा (३) यह निश्चय करना कि इन्हें किस तिथि से स्थायी किया जाय। इन बातों की पूर्ति होने के बाद शासन ने १७ नवम्बर सन् १९६२ को निदेशक, आयुर्वेद को यह आदेश दिया कि इनमें से १२ को जो लोक सेवा आयोग से स्वीकृत हो गये हैं, पहली अक्तूबर, सन् १९५६ से स्थायी कर दिया जाय। डाइरेक्टर आयुर्वेद इनके स्थायीकरण के सिलसिले में आवश्यक कागजात संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं और आशा है कि ये शीघ्र कन्फर्म कर दिये जायेंगे। शेष दो चिकित्सा अधिकारी जो अभी लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं हुये हैं फिर से आयोग के समक्ष भेजे जायेंगे।

जहां तक इनको वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रश्न है इसके विषय में स्थिति यह है कि इनमें से दो को यह वृद्धि नियमित रूप से दी जा रही है और १० के लिये दक्षता रोक का प्रतिबन्ध था जिससे उन्हें अब मुक्त कर दिया गया है और संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को यह हिदायत दे दी गई है कि इनकी वेतन वृद्धि का भुगतान तुरन्त कर दें। शेष दो चिकित्सा अधिकारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रश्न तब उठेगा जब वे लोक सेवा आयोग से स्वीकृत हो जायेंगे।

श्री ऊदल--

जो वेतन वृद्धि की है तो सरकार ने क्या यह आदेश दिया है कि जब से स्थायी किये गये हैं तब से जो बकाया वेतन वृद्धि है वह सब अदा कर दी जाय ?

श्री धर्मसिंह--

जो फाइनेन्शियल रूल्स होंगे उनको मद्देनजर रखते हुये इस पर कार्यवाही की गयी है।

आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्री की बहाली

*३५--श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने ऐसे पंचायत मन्त्री थे जिन्हें एक माह की नोटिस देकर विभाग से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयीं और सरकार ने वर्ष १९६१ में उन्हें सवेतन पुनः उनके पदों पर बहाल कर दिया ? बहाल करने के आदेश किस प्रकार के थे ? क्या सरकार उनकी प्रतिलिपि सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

आजमगढ़ जिले में एक ही पंचायत मंत्री थे जिन्हें एक माह की नोटिस देकर विभाग से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं और शासन ने वर्ष १९६१ में उन्हें सवेतन पुनः अपने पद पर बहाल किया। बहाली के आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८३१ पर)

*३६--श्री इन्द्रासनसिंह---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त पंचायत मंत्रियों का पुराना बकाया वेतन मय बढ़ोत्तरी सरकारी आदेशानुसार उन्हें दे दिया गया ? यदि हां, तो कब और कितना रुपया दिया गया ? यदि नहीं, तो इस तसाहली का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

उक्त पंचायत मंत्री का पुराना बकाया वेतन मय बढ़ोत्तरी के २,८४४.६५ रुपये होता है जिसके भुगतान के लिये क्षेत्र विकास अधिकारी को चेक भेज दिया गया है और आशा की जाती है कि पंचायत मंत्री को अदा कर दिया गया होगा।

श्री इन्द्रासनसिंह---

यह चेक किस तारीख को किस महीने में भेजा गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

२६-४-६१ को हमारे डिप्टी डायरेक्टर का आदेश गया था कि उनको फिर से बहाल कर दिया जाय है। हमारे पास सूचना यह है कि उनको यह सूचना मिल गयी होगी और बहुत पहले ही चला गया है। यह सूचना नहीं है कि किस तारीख को भेजा गया है।

श्री इन्द्रासनसिंह---

२६-४-६१ का जो डायरेक्टर का आदेश है वह उनकी बहाली का है और जो मंत्री जोत ने उत्तर दिया है प्रश्न ३६ का, उसमें यह लिखा है कि भुगतान के लिये चेक क्षेत्र विकास समिति अधिकारी को भेज दिया गया है और पंचायत मंत्री को मिल गया होगा। तो यह निश्चित नहीं हुआ कि चेक किस तारीख को भेजा गया और आया वह मंत्री को अभी मिला या नहीं, उसकी रसीद वगैरह अभी आयी नहीं। तो इससे यह जाहिर होता है कि चेक अभी उसके पास पहुंचा नहीं है और हाल ही में भेजा गया है। तो मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इतनी देरी का कारण क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, उनको बहाल कर दिया गया। उनका सारा हिसाब जोड़कर के चेक भी भेज दिया गया, हमारे यहां से चला भी गया। अब वह उनको मिला या नहीं इसकी सूचना अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। देरी का कारण यह है कि शासन ने इस पर विचार किया कि उनको जो सर्विस से अलग किया गया इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार थे। इस संबंध में वह फाइल डिफरेन्ट लेविल्स पर कुछ अधिकारियों के सामने कुछ दिनों तक पड़ी रही जिसमें कुछ देर हो गई।

श्री इन्द्रासनसिंह---

२६-४-६१ का निदेशक का आदेश उनके सवेतन मय इन्क्रीमेन्ट बहाली का है, लेकिन अब तक उसका हिसाब-किताब नहीं हुआ। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि दो ढाई वर्ष तक जो यह कार्यवाही नहीं हुई उसका कारण क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मैंने स्पष्ट बता दिया कि आर्डर हो गया उनकी बहाली का और उसके बाद चेक का भी आर्डर हो गया। इस बीच में कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था शासन इस बात पर भी तो विचार करता है कि किसने गलत आदेश दे दिये। तो इसमें फाइल थोड़ी रुकी रही, लेकिन

मैंने स्पष्ट कह दिया कि चेक चला दिया गया है और उनको मिल भी गया होगा। आप कांस्टी-टुएंसी में जायेंगे तो पता चल जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन पंचायत मंत्रियों की सेवायें समाप्त कर दी गयी थी उनके लिये क्या कारण थे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

कोई जमरल कारण तो थे नहीं। अलग-अलग मंत्रियों के निकालने के अलग-अलग कारण हो सकते हैं।

श्री होरीलाल यादव---

जिन पंचायत मंत्रियों को गलत कारणों से निकाला गया जिसके कारण सरकार को रुपया देना पड़ा तो क्या सरकार जिन अधिकारियों का इसमें कसूर साबित होगा उनकी तनख्वाहों से वह रुपया काटेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

यह तो बाद की बात है। उन पर जब दोष साबित होगा तो शासन उचित कार्यवाही करेगा।

श्री इन्द्रासनसिंह---

जो दो ढाई साल की देरी इसके भुगतान में हुई तो जिस कर्मचारी की वजह से यह देर हुई तो क्या मंत्री महोदय उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मैंने तो बता दिया कि उनको बहाल कर दिया गया, चेक भेज दिया गया, यह सारी कार्यवाही तो हो ही रही है। जहां तक देरी का सवाल है, तो पहले आप पता तो लगा लीजिये कि उनको मिला या नहीं, तब मैं फिर जवाब दूंगा।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---

जैसा कि मंत्रीजी ने बताया कि अलग-अलग मंत्रियों पर अलग-अलग आरोप हैं। तो इस मंत्री को जिसको एक महीने का नोटिस दे कर जिसकी सेवा समाप्त की गयी इसके ऊपर क्या आरोप था ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

हरिजन पुस्तकालय

*३७---श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी हरिजन लाइब्रेरियां हैं और वह कहां-कहां है और प्रत्येक को कितना-कितना अनुदान दिया जाता है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

†विवरण संलग्न है।

अन्तरिम जिला परिषद्, बहराइच के अध्यापकों व वैक्सीनेटरों का वेतन

*३८---श्री रामआधार कनौजिया---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, बहराइच एवं वैक्सीने-टरों को पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिया जा रहा है तथा कब से ? यदि नहीं, तो किस कारण ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री बंशीधर पांडेय---

अन्तरिम जिला परिषद्, बहराइच के अध्यापकों तथा वैक्सीनेटरों को पे कमेटी की सिफारिशों के अनुसार वेतन क्रमशः जुलाई, १९५२ ई० तथा अक्तूबर, १९५३ ई० से दिया जा रहा है।

श्री रामअधार चौजिया--

अध्यापकों को १९५२ से और वैक्सीनेटरों को १९५३ से दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, १९४९ में पे कमीशन बना। उसने अपनी एक रिकमेंडेशन दी। उस पर जिला बोर्ड को आदेश हुआ। वह बाध्य नहीं था कि इसको मानते इस लिये वह हाई कोर्ट गये। अब बहराइच जिला परिषद् ने १९५२ से और १९५३ से देना स्वीकार किया है और उन्होंने आदेश दे रखा है कि वह १९४९ से दे देंगे जैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जायगी।

सैदपुर-सादात, भंडसर-जयरामपुर सड़कों का निर्माण

*३९--श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के अन्तर्गत सैदपुर-सादात तथा भंडसर-जयरामपुर सड़कें मैन पावर युटिलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्माण कराने के लिये स्वीकृत हुई है और उनके लिये इस वित्तीय वर्ष में आवश्यक धनराशि भी एलाट कर दी गयी है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

जी हां।

*४०--श्री राजनाथसिंह--

यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त दोनों सड़कों पर अब तक कितना कार्य हुआ है ? यदि नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

सैदपुर सादात सड़क के उस भाग में, जो सैदपुर ब्लाक में पड़ता है, कार्य प्रारम्भ हो गया है और अब तक लगभग २,००० रुपये का कार्य पूरा हो चुका है। उक्त सड़क का वह भाग, जो सादात ब्लाक में पड़ता है, का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। तकनीकी, आर्थिक तथा प्रशासकीय स्वीकृति के उपरान्त इस भाग में भी काम इस वर्ष (१९६३-६४) में आरम्भ हो जायेगा। भंडसरजयरामपुर सड़क के संबंध में सर्वे हो रहा है तथा प्लान तथा इस्टीमेट बनाये जा रहे हैं। उपर्युक्त प्रारम्भिक कार्यवाही के पूर्ण होने के बाद ही इस सड़क पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

श्री राजनाथसिंह----

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सैदपुर-सादात सड़क पर कितना रुपया एलाट किया गया है और कितना उस भाग पर व्यय करना है जो सैदपुर ब्लाक के अन्तर्गत पड़ती है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

सैदपुर सादात सड़क पर ६,३०,००० रुपये स्वीकृत हुए हैं।

श्री राजनाथसिंह---

सैदपुर ब्लाक पर इस सड़क का जो भाग पड़ता है उस पर २,००० रुपये सरकार व्यय कर चुकी है तो कितनी धनराशि और व्यय करने के बाद वह पूरी सड़क के रूप में परिणत हो जायगी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

वह तो अनुमान बताया गया है। जब सड़क पूरी होगी तो देखा जायगा।

श्री राजनाथसिंह---

भंडसर और जयरामपुर सड़क कब तक पूरी बनकर तैयार हो जायगी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

इसमें यह है कि तीन वर्ष में पूरी बनने की आशा है और तीसरी योजना में कार्य लिया गया है और कुल १,८०,००० रुपया स्वीकृत हुआ है।

अलीगढ़ जिला सहकारी संघ के भट्ठे

*४१—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१, सन् १९६२ और सन् १९६३ में अलीगढ़ जिला सहकारी संघ ने कितने ईटों के भट्ठे स्वयं चलाये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला सहकारी संघ, अलीगढ़ ने सहकारी वर्ष १९६०-६१ में ४, तथा १९६१-६२ में ६ ईटों के भट्ठे स्वयं चलाये।

वर्ष १९६२-६३ में कोई भटठा स्वयं नहीं चलाया जा रहा है।

*४२—श्री शिवदानसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त भट्ठों में कितने वैंगन कोयला इस्तेमाल किया गया और कितना मुनाफा हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

भट्ठों द्वारा इस्तेमाल किये गये कोयले तथा भटठों के लाभ व हानि का विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्रम-संख्या	नाम भट्ठा	कोयले की मात्रा		लाभ व हानि	
		१९६०-६१	१९६१-६२	१९६०-६१	१९६१-६२
१	२	३	४	५	६
१	रोरावर ..	१८ बैगन	१८ २/३ बैगन	४,८६५रु० लाभ	६,४९४ रु० लाभ
२	हाथरस ..	१६ बैगन	२२ बैगन	३,७९५ रु० लाभ	१९२५३ रु० लाभ
३	पिसावा ..	१६ बैगन	१८ बैगन	१,३२६ रु० हानि	१२,७४२ रु० लाभ
४	बीरपुरा ..	१२ बैगन	१३ बैगन	२,००६ रु० लाभ	१,९३८ रु० हानि
५	हरदुआगंज ..	..	१२ २/३ बैगन	..	३,६८८ रु० लाभ
६	अतरौली ..	..	१७ २/३ बैगन	..	१०,०२६ रु० लाभ

कानपुर जिले में चिकित्सालयों पर व्यय

*४३—श्री शिवदानसिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत प्रत्येक चिकित्सालय को सन् १९६१-६२ में कितने मूल्य की औषधियां सरकार द्वारा दी गयीं तथा प्रत्येक चिकित्सालय में उन पर अतिरिक्त व्यय कितना -कितना किया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--
सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा-करुई सड़क पर गन्दा पानी

*४४--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि टाउन अत्तर्रा, जिला बांदा में बांदा--करुई पक्की रोड के दोनों किनारों पर धान मील का गंदा पानी भरा रहता है जिसके कारण बीमारी फैलने का खतरा है ? क्या जनहित का ध्यान रखते हुए सरकार इस गन्दे पानी के निकालने की सुव्यवस्था करने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह--

जी हां, किन्तु पानी की इस रुकावट से बीमारी फैलने का खतरा नहीं है ।

श्री मतोलासिंह--

अभी मंत्री जी ने बताया कि गन्दे पानी से बीमारी का खतरा नहीं है तो क्या वे बतायेंगे कि स्वास्थ्य को गंदे पानी से कितना हित पहुंचता है ?

श्री धर्मसिंह--

श्रीमन्, प्रश्न पूछा गया है कि बीमारी फैलने का खतरा है या नहीं वह मना कर दिया गया है कि नहीं है । लेकिन स्वास्थ्य पर असर पड़ता है या नहीं, फिलहाल इसकी जानकारी सरकार को नहीं है ।

श्री मतोलासिंह--

श्रीमन्, मंत्री जी ने यह बताया कि....

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, उन्होंने यह बताया कि बीमारी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। बाकी स्वास्थ्य पर पड़ता है या नहीं, यह डाक्टर की बात है वह नहीं बता सकते ।

श्री मतोलासिंह--

श्रीमन्, गंदे पानी से मच्छर तथा बीमारी पैदा होती है, लेकिन वे कहते हैं कि कोई असर नहीं होता ।

श्री धर्मसिंह--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि प्रश्न बीमारी के बारे में किया गया है । इतनी बात सही है कि मच्छर इत्यादि फैलते हैं उसके लिये हैल्थ अफिसर, बांदा को हिदायत दी है कि वे डी० एम० पी० डब्लू० डी० और टी० ए० के अधिकारियों से बातचीत करके निर्णय करें ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि मिल मालिक, जिनकी मिलों से पानी बहता है, वह गड्ढे खोद कर या किसी दूसरे प्रकार प्रबन्ध करें जिससे गंदगी न फैले ?

श्री धर्मसिंह--

गड्ढे तो खुदे हुए हैं । जैसा कि मैंने कहा हेल्थ आफिसर, बांदा को हिदायतें दी गयी हैं कि सब लोगों से बात करके क्या प्रबन्ध किया जाय उन तमाम बातों पर विचार करें ।

वाराणसी जिले में हरिजन कल्याण अनुदान का प्रयोग

*४५--श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)--

क्या स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में हरिजन कल्याण विभाग से अक्तूबर, सन् १९६१ से जुलाई, सन् १९६२ तक प्रत्येक ब्लाक में हरिजन उत्थान के विभिन्न कार्यों के लिये कितना रुपया अलग-अलग दिया गया और उसमें कितना रुपया ब्लाकों में खर्च हो गया तथा कितनी धनराशि प्रत्येक ब्लाक में अभी खर्च होने को बाकी है ?

समाज कल्याण उप मंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—

†सूचना संलग्न है ।

४६—श्री रामलखन वकील—

क्या स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक ब्लाक में जो धनराशि दी गयी, उसमें से ब्लाकों ने उक्त धनराशि के वितरण की स्वीकृति किन-किन तारीखों में दी तथा संबंधित व्यक्तियों को उसका भुगतान कब दिया गया ? उसमें कितने काम पूरे हो गयें, कितने अभी पूरे होने को बाकी हैं तथा अलग-अलग कितनी धनराशि के वितरण की अभी तक स्वीकृति ब्लाकों से नहीं दी जा सकी है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

†सूचना संलग्न है ।

श्री रामलखन वकील—

जो माननीय मंत्री ने संलग्न सूचना दी है उसको देखने सें प्रतीत हुआ है कि अब तक कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए क्या वह वितरण की प्रणाली में परिवर्तन करने का विचार करते हैं और काम न पूरा होने का क्या कारण है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

जो सूचना संलग्न है उससे यह तो दिखायी नहीं देता कि कोई काम पूरा नहीं हुआ । बहुत से काम हुए। कुछ काम शेष बचे हैं। उनमें विशेष रूप से सिंचाई के कुंए हैं। सिंचाई के कुंओं के लिये जो हरिजनों को अनुदान दिया जाता है वह भूमि होने के आधार पर दिया जाता है, प्लानिंग से उन्हें अनुदान मिलता है, उस हिसाब से मिलता है। इस लिये सिंचाई के कुओं का पैसा बहुत सा बाकी है ।

श्री रामलखन वकील—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि बहुत सा काम पूरा हुआ है। चिरई गांव ब्लाक और आराजी लाइन ब्लाक को ले लीजिए। वहां कोई काम पूरा नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सूचना नहीं देंगे आप तो प्रश्न करेंगे ।

श्री रामलखन वकील—

जो सूची दी गयी है उसके अनुसार कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है, दस कामों में एक काम पूरा हुआ है। क्या उन अधूरे काम को और जो काम पूरे नहीं हुए उनको पूरा करने की सरकार व्यवस्था कर रही है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

जो कार्य पूरे नहीं हुए हैं वह कार्य पूरे करने की पूरी चेष्टा की जा रही है और आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना-काल में यह पूरे हो जायेंगे ।

श्री रामलखन वकील—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो धन १९६१ में स्वीकृत हुआ था कूप निर्माण और गृह निर्माण के लिये, १९६१ से आज तक न बनने का क्या कारण है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

जैसा कि मैंने निवेदन किया वह सिंचाई के कुओं की धनराशि अभी खर्च नहीं की गयी । उसका कारण यह है कि यह धनराशि उन्हीं व्यक्तियों के लिये स्वीकृत की जाती है जिन्हें प्लानिंग विभाग से सिंचाई के कुओं के लिये कर्जा जाता है। कर्जे का १/४ धन हरिजनों से इस विभाग

---

†छापी नहीं गई ।

से अनुदान के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार प्लानिंग विभाग की १/४ छूट मिला कर हरिजनों को केवल आधी रकम का भुगतान करना पड़ता है। सिंचाई का कर्जा उसी को दिया जाता है जिसके पास भूमि हो।

श्री माताप्रसाद---

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री इस पर विचार करेंगे कि सिंचाई के लिये जो रुपया दिया जाता है पूर्वी जिलों में जो पचासों हजार है, तकावी की शर्त के कारण हरिजनों को उससे लाभ नहीं हो पा रहा है ? क्या वह इस संबंध में कोई कदम उठाने जा रहे हैं जिससे हरिजन इसका उपयोग कर सकें ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---

इसके ऊपर कोई और विचार किया जा सकता है अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव भेंजे तो।

श्री हरिनैनराम (जिला वाराणसी)---

ज्ञानपुर ब्लाक में पचास-पचास रुपया दिया गया है जबकि सौ-सौ रुपया दिखाया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

इसकी जरूर जांच की जायगी। यदि वह मैटीरियल सप्लाई करें तो जरूर जांच करेंगे।

भगवन्तनगर में बिक्री-कर के विरुद्ध शिकायतें

*४७---श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---

क्या वित्त मंत्री को इस बात का पता है कि उन्नाव जिलान्तर्गत भगवन्तनगर टाउन एरिया के सर्राफा बजार में बड़े-बड़े दुकानदारों की अपेक्षा छोटे टुटपुंजिया दुकानदारों पर लगाया गया सेल्स टैक्स अनुपात से कहीं अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार भगवन्तनगर में इन दोनों किस्म के दुकानदारों पर लगाये गये सेल्स टैक्स के परिमाण का न्यायिक सर्वेक्षण कराने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

कर निर्धारक अधिकारी, बिक्री-कर ऐक्ट के अनुसार आवश्यक जांच के पश्चात् ही व्यापारियों पर कर निर्धारित करते हैं। अतः छोटे-बड़े व्यापारियों पर कम अथवा ज्यादा कर लगाने का प्रश्न नहीं उठता, इसलिये इस संबंध में कोई न्यायिक जांच करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

*४८---श्री देवदत्त मिश्र---

क्या सरकार को इस बात का पता है कि सेल्स टैक्स अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण के रवैये से भगवन्तनगर के छोटे दुकादनारों में सरकार के प्रति घोर असंतोष फैला हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई न्यायिक जांच उठाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जांच के पश्चात् ज्ञात हुआ है कि भगवन्तनगर के छोटे व्यापारियों में बिक्री कर अधिकारियों के रवैये के प्रति कोई असंतोष नहीं फैला है। अतः इस संबंध में कोई न्यायिक जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

नोट---तारांकित प्रश्न ४६ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बहराइच जिले में सिंचाई कूप

*४६—श्री रामअधार कनौजिया—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड फखरपुर, महसी, जिला बहराइच में द्वितीय एवं चालू तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने सिंचाई के कुयें के लिये किन-किन व्यक्तियों ने कितना-कितना कर्जा लिया और कितने कुओं का निर्माण हो चुका तथा यदि शेष हैं तो कारण ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना निम्न प्रकार है—

कुओं की संख्या

जिनके लिये कर्जा दिया गया	जिनका निर्माण हो चुका है	जो शेष हैं
१	२	३
४१३	१२६	२८७

शेष कुओं में से जो निर्धारित समय के अन्दर नहीं बने हैं, उनके अभी तक न बनने का मूल कारण ईंटा व सीमेन्ट की कमी बतायी गयी है।

व्यक्तियों तथा उनको दिये गये कर्जे का विवरण २७ पृष्ठों की सूची में दिया गया है जिसको माननीय सदस्य मेरे पास सदन में देख सकते हैं।

[३ अप्रैल, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

*१—श्री चन्द्रजीत यादव तथा संतसिंह यूसुफ—(जिला कानपुर)—

[हटा दिया गया।]

ग्रामीण जन शक्ति योजना

*२—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैनपावर युटिलाइजेशन स्कीम् इस प्रदेश में क्या है और इसके अनुसार कहां-कहां काम हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह योजना भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा प्रदेश में लागू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के कार्य से अवकाश के समय अकुशल लोगों को रोजगार दिलाना है। यह योजना प्रदेश के उन भागों में लागू की जाती है जहां आबादी घनी है और बेकारी अधिक है। केवल स्थानीय व्यक्तियों को ही इस योजना के अन्तर्गत काम दिया जाता है।

२—प्रदेश में इस समय इस योजना के अन्तर्गत मथुरा, बाराबंकी, फैजाबाद, प्रतापढ़, गोंडा, बहराइच, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, झांसी तथा जालौन जिलों में कार्य हो रहा है।

*३-४—श्री सहदेवसिंह—

[८ वें शुक्रवार के लिए प्रश्न १३७-१३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५—श्री दौलत लाल, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—

[हटा दिया गया।]

महाराजगंज ब्लाक से पंचायत निरीक्षक के विरुद्ध शिकायत

*६--श्री उमाशंकर तथा श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के वर्तमान महाराजगंज ब्लाक के पंचायत निरीक्षक के विरुद्ध किन-किन ग्राम सभाओं से तथा कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

आजमगढ़ जिले में महाराजगंज ब्लाक के वर्तमान पंचायत निरीक्षकों में से एक पंचायत निरीक्षक के विरुद्ध मौदिलपुर खोजा, चारासी नरोत्तम, महाराजगंज मेवाई, रघुनाथपुर, अछरा चन्दा, देवारा कदीम, गोरखपुर, प्रतापपुर कटवा तथा सुगवटी खंजर नामक ग्राम सभाओं के प्रधानों तथा अन्य व्यक्तियों का एक सम्मिलित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जनता, विधायकों प्रमुख तथा उप प्रमुखों तथा प्रधानों के प्रति अशिष्ट व्यवहार करने, रिश्वत लेने, न्याय पंचायतों के अभिलेखों में हेर फेर करके गलत उल्लेख करने, पंचायत मंत्रियों से रुपया लेकर अवकाश स्वीकार करने तथा पूरा वेतन न देने, रुपया स्वीकार होने के उपरान्त भी अनुदान रोक देने, शराब पीने और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपमानित करने की शिकायत की गयी है ।

*७--श्री उमाशंकर तथा श्री भीमाप्रसाद--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उन शिकायतों में अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उपर्युक्त शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

*८--श्री उमाशंकर तथा श्री भीमाप्रसाद--

क्या मंत्री जी यह पता लगाकर बतायेंगे कि उक्त पंचायत निरीक्षक, जिस किसी भी पंचायत क्षेत्र में रहे हैं सभी जगह से उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हुयी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

१९५९ में जब उक्त पंचायत निरीक्षक इलाहाबाद जिले में थे तब उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनके फलस्वरूप उनका स्थानान्तरण वहां से कर दिया गया था ।

पिछड़ेपन का आधार

*९--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार को कुछ दिन पूर्व केन्द्रीय सरकार से कोई इस प्रकार का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें कि पिछड़ापन आंकने के लिए जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को आधार मानने की राय दी गयी है अर्थात् "अन्य पिछली जातियों" में वह लोग शामिल होंगे, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हों चाहें वह भले ही किसी जाति के हों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

केन्द्रीय सरकार ने अपने एक परिपत्र में यह स्पष्ट किया है कि पिछड़ेपन का आधार राज्य सरकारें अपने विवेकानुसार निर्धारित कर सकती हैं और यह राय भी दी है कि केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में जाति के स्थान पर आर्थिक स्थिति को आधार लागू करना अधिक अच्छा होगा।

*१०--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्ण पत्रक जो केन्द्र से प्राप्त हुआ है वह क्या है और उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा आगे क्या करने का विचार है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

पत्र की †प्रतिलिपि संलग्न है। शासन ने यह निर्णय किया है कि अन्य पिछड़े वर्गों की वर्तमान सूची में कोई परिवर्तन न किया जाय। आगे कोई और कार्यवाही करने का इस समय विचार नहीं है।

लखनऊ में रंगीन ब्लाटिंग पकड़ने का कथित मामला

*११--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी को जानकारी में यह है कि लखनऊ महापालिका के अधिकारियों द्वारा करीब २५ हजार रुपये का रंगीन ब्लाटिंग हजरतगंज के एक बड़े मिठाई बिक्रेता के यहां सन् १९६२ में पकड़ा गया था? यदि यह सत्य है तो उपरोक्त मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

जी नहीं, इसलिए कार्यवाही का प्रश्न नहीं।

प्रशासक क्षेत्रीय समिति, बनीपारा के विरुद्ध शिकायत

*१२--श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत प्रशासक क्षेत्रीय समिति बनीपारा के विरुद्ध जून व जुलाई सन् १९६२ में माननीय मंत्री जी व किसी अन्य उच्च विभागीय अधिकारियों को आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं। यदि हां, तो उसमें क्या तथ्य है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां। जुलाई, १९६२ में एक प्रार्थना-पत्र श्री प्रयागनारायण त्रिपाठी से क्षेत्रीय समिति बनीपारा के प्रशासक के विरुद्ध प्राप्त हुआ था। इस प्रार्थना-पत्र की विभागीय जांच की गई परन्तु जो शिकायतें की गई थीं वह गलत पाई गईं इसलिये प्रशासक के विरुद्ध किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न नहीं उठता।

*१३--श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

सहायक विकास अधिकारी, कृषि की वेतन वृद्धि

*१४--श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उन बी० एल० डब्यू० को जो तरक्की देकर ए० डी० ओ० ऐग्रीकल्चर बनाये जाते हैं उनको ए० डी० ओ० पंचायत व कोआपरेटिव के समान वार्षिक ६ रु० इन्क्रीमेंट क्यों नहीं दिया जाता?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सहायक विकास अधिकारी (कृषि) जून, सन् १९६१ से कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग २ में एकीकृत कर लिये गये हैं। सरकारी आदेशों के अनुसार कृषि सेवा वर्ग २ के कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य है जिसके बाद ही उनको दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि देय होती है। ऐसा न होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाती है।

---

†छापी नहीं गई।

*१५---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या यह सच है कि ऐसे ए० डी० ओ० का जो एग्रीकल्चर के ए० डी० ओ० बनाये जाते हैं विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य है ? यदि हां, तो यह नियम अन्य ए० डी० ओ० पर क्यों लागू नहीं किया जाता ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

सहकारी तथा पंचायत राज विभाग के सेवा वर्ग २ के सेवा नियम कृषि विभाग के सेवा नियमों से भिन्न हैं। कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में विभागीय परीक्षा पास करने का नियम इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये नहीं है।

वाराणसी जिला सहकारी संघ की पूंजी कृषि समितियां

*१६---श्री रघुनाथसिंह---

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में १९६१-६२ में सहकारी संघ की निजी पूंजी और कारोबार की पूंजी अलग-अलग कितनी थी और उस वर्ष कितने रुपये का व्यवसाय किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जिला सहकारी संघ वाराणसी की सहकारी वर्ष १९६१-६२ में (३०-६-६२) को निजी व कारोबारी पूंजी क्रमशः ५,०७,६२८ रु० ७ नये पैसे व ७,१४,९३१ रुपये ६० नये पैसे थी।

वर्ष १९६१-६२ में संघ ने ४,२२,३७५ रु० ७ नये पैसे का व्यवसाय किया।

*१७---श्री रघुनाथसिंह---

वाराणसी जिले में इस समय सहकारी खेती समितियां कितनी हैं तथा इन समितियों में सम्मिलित सदस्यों की संख्या और सम्मिलित खेतों का क्षेत्रफल क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

वाराणसी जिले में इस समय २० सहकारी खेती समितियां हैं। इन समितियों में सम्मिलित सदस्यों की संख्या ४३२ है तथा इनमें सम्मिलित खेती का क्षेत्रफल ११८२ एकड़ है।

*१८-१९---श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---

[९ वें गुरुवार के लिए प्रश्न ७३-७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२०-२२---श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)---

[९वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*२३-२४---श्री रघुनाथसिंह---

[७वें शुक्रवार के लिए प्रश्न १०५-१०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२५---श्री रघुनाथसिंह---

[९वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२६-२८---श्री काशीनाथ मिश्र---

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

ब्लड बैंक

*२९---श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लड बैंक की सुविधाओं के विस्तार के लिए हाल में कोई योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

जी हां। इसके अन्तर्गत फैजाबाद, देहरादून, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी, झांसी तथा पौड़ी के जिला अस्पतालों में एक एक ब्लड बैंक स्थापित करने का लक्ष्य है।

*३०-३१--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

आयुर्वेदिक औषधालय, कमलसागर का भवन

*३२--श्री श्यामलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास १५ अक्तूबर, सन् १९६२ का कोई पत्र रामसुन्दर पांडेय विधायक का प्राप्त हुआ है जिसमें राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, ग्राम कमलसागर पो० रामपुर, जिला आजमगढ़ के भवन निर्माण कराने के सम्बन्ध में उल्लेख है ? यदि हां, तो उस पर कौनसी कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी हां।

निदेशक आयुर्वेद एवं जिला हेल्थ अफसर आजमगढ़ को २३ नवम्बर, १९६२ को लिखा गया कि वे सम्बन्धित ग्राम सभापति से मिल कर उपयुक्त भूमि की व्यवस्था शीघ्र करावें ताकि उस प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में विचार किया जा सके।

इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, देवरिया

*३३--श्री रामायणराय (जिला देवरिया) तथा श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का सरकारी भवन कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस भवन के तैयार होने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा।

*३४--श्री रामायणराय तथा श्री बांकेलाल--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भवन के अभाव में ट्रेनिंग का कार्य कहां सम्पादित हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कोई उपयुक्त भवन प्राप्त न होने पर यह केन्द्र अभी नहीं खोला जा सका है।

*३५--श्री रामायणराय तथा श्री बांकेलाल--

देवरिया जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण के निमित्त क्या भर्ती तथा स्कालरशिप के लिए कोई गैर सरकारी लोगों की कमेटी बनी है ? यदि हां, तो उसके कौन-कौन लोग सदस्य हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न नहीं उठता।

*३६--श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*३७-३९--श्री कमलासिंह यादव--

[९ वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

कौड़िहार ब्लाक में सैनिटरी इन्सपेक्टर न होना

*४०—श्री मेवालाल जायसवाल—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोरांव तहसील, जिला इलाहाबाद के पश्चिमी क्षेत्र कौड़ियार ब्लाक में सैनिटरी इन्सपेक्टर की अब तक नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। क्योंकि कौड़िहार, पूर्व प्रसार विकास क्षेत्र है अतएव स्वास्थ्य निरीक्षक पद की स्वीकृत नहीं हुई अतः नियुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*४१-४३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[९वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

बलिया जिले में चेचक

*४४—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जो ज्ञात है कि बलिया जिला के अन्तर्गत नवानगर ब्लाक, पन्दह ब्लाक तथा मनियर ब्लाक में चेचक के रोग से कितने व्यक्तियों की किन-किन गांवों में दिसम्बर, सन् १९६२ ई० से अब तक मृत्यु हुई है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

बलिया जिले के अन्तर्गत पन्दह ब्लाक तथा मनियर ब्लाक में दिसम्बर, १९६२ से चेचक रोग होने की कोई सूचना नहीं मिली।

नवानगर ब्लाक के दो ग्रामों में निम्न संख्या में लोग बीमार तथा मृत्युएं हुईं:

नवानगर ब्लाक		बीमार	मृत्यु
१—सिकन्दरपुर ग्राम	..	४	२
२—रुद्रवर ग्राम	..	६	३

*४५—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ब्लाकों में अब तक कितने व्यक्तियों को चेचक के टीके लग चुके हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

उपर्युक्त ३ ब्लाकों में निम्न संख्या में अब तक टीके लगाए जा चुके हैं ?

१—नवानगर	..	..	३०,१९२
२—पन्दह	..	..	२७,३१२
३—मनियर	..	..	३५,२४८

*४६-४८—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—[९ वें बुधवार के के लिये स्थगित किये गये।]

उझानी निवासी, श्री महिन्दर नाथ शर्मा, का शिकायती पत्र

*४९—श्री पुरुषोतमलाल बधवार (जिला बदायूं) तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री महिन्दर नाथ शर्मा, जो १३३, बाजार कलां, उझानी, जिला बदायूं के रहने वाले हैं, की तरफ से डाइरेक्टर पब्लिक हेल्थ तथा मेडिकल सर्विसेन्ज, लखनऊ को १७ फरवरी, १९६३ का शिकायती पत्र रजिस्टर्ड ए-डी० मिला है जिसमें उनकी पत्नी की मौत के बारे में शिकायत है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

हां, मिला है जांच की जा रही है ।

*५०-५२--श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)--

[९वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये ।]

आई ० टी० आई० उत्तीर्ण विद्यार्थियों को काम दिलाने की व्यवस्था

*५३--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो आई० टी० आई० के ट्रेनिंग सेन्टर सरकार के हैं उनसे पास करके निकले हुये विद्यार्थियों को काम में लगाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

श्रम विभाग के आई० टी० आई० तथा ट्रेनिंग सेन्टर से पास होकर निकले हुये विद्यार्थियों को काम में लगाने के लिये सरकार ने निम्न प्रकार की व्यवस्था की है:--

१--आई० टी० आई० से पास हुये शिक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में करा दिया जाता है जो उनके लिये नौकरी ढूंढ़ने में सहायता करते हैं ?

२--इम्प्लायमेंट एक्सचेंज, आई० टी० आई० के प्रिंसिपल तथा शिक्षार्थियों के सम्मिलित प्रयत्नों से उनके लिये कारखानों में वैतनिक अप्रेंटिस के रूप में कार्य खोजा जाता है । अब इस कार्य के लिये अप्रेन्टिसशिप ऐक्ट की कानूनी धाराओं की भी सहायता ली जाती है ।

३--आई०टी०आई० से अच्छी श्रेणी में पास हुये बहुत से शिक्षार्थियों को जो मैट्रीकुलेट हैं भारत सरकार द्वारा चलाये गये सी० टी० आई० में ट्रेनिंग दिलाई जाती है और तत्पश्चात् उनको आई० टी० आई० में इंसट्रेक्टर के पद पर लगा लिया जाता है ।

सहारनपुर जिला अस्पताल के डाक्टरों में पार्टीबाजी की शिकायत

*५४--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार को जानकारी है कि सहारनपुर जिला अस्पताल में अधिकारियों (डाक्टर्स) के बीच पार्टीबाजी बहुत जोरों से हो रही है तथा इसके कारण जनता को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सिविल सर्जन सहारनपुर, या किसी अन्य अधिकारी द्वारा फौरन जांच के आदेश जारी करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

सिविल सर्जन ने जांच करके सूचित किया है कि वहां अधिकारियों में किसी प्रकार की पार्टीबन्दी नहीं है । अतएव पार्टीबन्दी के कारण जनता को कठिनाइयां होने का प्रश्न नहीं उठता ।

*५५--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार ऊपर कहीं जांच के पहले फौरन वहां के स्टाफ के शरारती लोगों का तबादला करने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*५६--श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

[९ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५७--श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

[७ वें मंगलवार के लिये प्रश्न ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५८–६०---श्री चन्द्रबलीसिंह---

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

*६१–६३---श्री शिवदानसिंह---

[९ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६४–६५---श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

[९ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

अमरोहा सहकारी संघ द्वारा अमोनियम सल्फेट के वितरण में अनियमितता की शिकायत

*६६---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६२ में सहकारी सीड स्टोर, अमरोहा, जिला मुरादाबाद को कुल कितने बोरी अमोनियम सल्फेट दिया गया है और उसका वितरण किस अधिकारी द्वारा किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

अमरोहा सहकारी संघ, जिला मुरादाबाद को सन् १९६२ में ८३० बोरे अमोनियम सल्फेट प्राप्त हुई । इसका वितरण संघ के संयुक्त मंत्री द्वारा किया गया ।

*६७---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२ में अमरोहा ब्लाक के किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा खाद सहकारी सीड स्टोर से दिया गया और वह किस गांव का रहने वाला है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

अमरोहा ब्लाक के निम्न तीन व्यक्तियों को सबसे ज्यादा खाद ६–६ बोरी दी गई है:---

१---श्री धीरेंद्र नाथ, अमरोहा,

२---श्री ध्यान सिंह, रायपुर,

३---श्री हरि सिंह, रामपुर ।

*६८---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गत वर्ष खाद के वितरण में अनियमिततायें हुई हैं और क्या यह सही है कि यह खाद किसानों को न देकर ब्लैक में बेंच दिया गया जिसकी सूचना जिला अधिकारी को तुरन्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

गत वर्ष खाद के वितरण में किसी प्रकार की अनियमिततायें नोटिस में नहीं आईं । खाद का वितरण कृषकों को ही सदैव किया गया है । विभाग को अनियमितताओं के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । इसलिये कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*६९–७०---श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---

[९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७१---श्री उल्फतीसिंह (जिला बदायूं)---

[९वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७२–७४---श्री सुखराम दास---

[९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७५–७६---श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)---

[९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७७-७९—श्री रक्षपालसिंह—
[९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८०-८२—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—
[९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

सुल्तानपुर जिले में बेदुपारा-टेंढई सड़क

*८३—श्री उमादत्त (जिला सुल्तानपुर)—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले की लभुआ ब्लाक में एक सड़क बेदुपारा से परजनपट्टी, शंकरपुर, गारबपुर, पिलखिनी, बेलौना, तातों मुरैनी होते हुये ढेंडुई तक बहुत पहले पंचायतों द्वारा निर्मित्त की गयी थी जिस पर ताती मुरैनी में डाक्टर केसकर के समय में एक पुल निर्माण की योजना भी चल रही थी परन्तु अब गारबपुर, पिलखिनी, बेलौना तथा तातों मुरैनी गांवों में वहां के निवासियों ने उसे तोड़ कर अपने खेतों में मिला लिया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—
जी हां। लभुआ ब्लाक में एक सड़क बेदुपारा से परजनपट्टी, शंकरपुरा, गरबपुर, पिलखिनी, बेलोना, तातोमुरैनी होते हुये टेंढई तक श्रमदान द्वारा निर्मित की गई थी। गांव वालों ने सड़क तोड़कर अपने खेतों में मिला लिया है।

*८४—श्री उमादत्त—
यदि हां, तो क्या सुल्तानपुर जिले के अधिकारी उस सड़क का जीर्णोद्धार करने की व्यवस्था करेंगे जब कि इस सड़क के टूट जाने से तातोमुरैनी जाने का कोई सार्वजनिक मार्ग नहीं रह जाता ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—
धनाभाव के कारण अन्तरिम जिला परिषद्, सुल्तानपुर इस सड़क का पुनः निर्माण कराने में असमर्थ है।

होम्योपैथिक औषधालय

*८५—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में किन-किन स्थानों पर होम्योपैथिक औषधालय चल रहे हैं जिनको सरकार अनुदान देती है, और यह अनुदान कितना-कितना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से संबंधित वांछित सूचना† संलग्न है।

*८६—श्री भीखालाल—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने निश्चय किया है कि प्रदेश में कुछ होम्योपैथिक औषधालय खोले जायेंगे जो पूर्णरूप से सरकार द्वारा चलाये जायेंगे ? यदि हां, तो कहां-कहां पर खोले जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
जी हां। स्थान अभी निश्चित नहीं हुए।

*८७—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) —
[९ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

---

† छापी नहीं गयी।

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, बकेबर में भोजन व्यवस्था

*८८—श्री रामसिंह (मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बकेबर, जिला इटावा में जहां पर ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है और वहां पर अछूत विद्यार्थियों का खाना बनाने का नम्बर नहीं आने देते हैं, जब कि सभी विद्यार्थी क्रमानुसार खाना बनाते हैं? क्या सरकार इस बुराई को दूर करने का प्रयत्न कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र, बकेबर (इटावा) में प्रशिक्षार्थियों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है वरन् उनका एक सम्मिलित भोजनालय है जिसमें नौकर भोजन बनाते हैं। भोजनालय की व्यवस्था प्रशिक्षार्थियों द्वारा चुनी हुई समिति करती है जिसके सदस्य हरिजन प्रशिक्षार्थी भी होते हैं। समिति के सदस्य प्रत्येक माह में बदलते रहते हैं। अब तक सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसे दूर करने की आवश्यकता हो।

*८९-९०—श्री रामेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

[हटा दिये गये।]

*९१-९३—श्री उमाशंकर—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

विधायक निवास डिस्पेंसरी में आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था का सुझाव

*९४—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में उन लोगों के लिये जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है विधायक तथा राजकीय कर्मचारी के लिये अलग से कोई व्यवस्था है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कैनिंग कालेज में सब के लिये निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध है। विधायकों एवं राजकीय कर्मचारियों के लिये कोई अलग व्यवस्था नहीं है।

*९५—श्री मुकुटबिहारीलाल—

यदि हां, तो क्या है? यदि नहीं, तो क्या उनके लिये कोई पृथक वार्ड या दवाओं के लिये कोई अनुदान की व्यवस्था निकट भविष्य में की जायगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है।

*९६—श्री मुकुटबिहारीलाल—

आयुर्वेद के महत्व और उन्नति को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार विधायक निवास स्थित डिस्पेंसरी के साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा की भी व्यवस्था करने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस सुझाव पर सरकार विचार करेगी।

*९७-९९—श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

ददउरा सहकारी समिति, गोरखपुर में गबन

*१००—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ददउरा सहकारी समिति, गोरखपुर में रु० ५,२०० रु० तथा १,२०० रु० का गबन हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बैंक से उक्त धन कौन-कौन से सदस्य, सोसाइटी ददउरा के ले गये और इस गबन के प्रति सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—
जी हां।

जिला सहकारी बैंक गोरखपुर के कागजातों के अनुसार उक्त धनराशियां समिति के दो सदस्यों, सर्वश्री बुधराम व रामसमुझ, के हस्ताक्षर से निकाली गई थीं।

जांच से यह आभास मिला कि उक्त धनराशियां वास्तव में उक्त व्यक्तियों ने स्वयं नहीं निकाला है बल्कि किसी अन्य सदस्य ने उनके फरजी हस्ताक्षर बनाकर निकाल लिया है। बैंक के प्रबन्ध संचालक ने १०-११-६२ व २-२-६३ को पुलिस में दो रिपोर्टें दे दी हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संबंधित सहकारी सुपरवाइजर को नौकरी से निकाल दिया गया है तथा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को सुपरवाइजर के पद पर पदावनति करके निलम्बित कर दिया गया है।

बैंक के काउन्टर क्लर्क, कैशियर और एकाउन्टेंट से जमानत ले ली गई है।

*१०१—श्री दुर्योधन—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ददउरा समिति, गोरखपुर के गबन के प्रति किसी व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र उप-मंत्री गृह को दिया था? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र को सदन के समक्ष उस पर जो कार्यवाही हुई उसके साथ रखने की कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—
जी हां। श्री राम चन्द्र शर्मा के प्रार्थना-पत्र दिनांक ९-१-६३ की †प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इस प्रार्थना-पत्र पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट, गोरखपुर की रिपोर्ट मांगी गई जो गृह विभाग में प्राप्त हो गई है और वह विभाग उस पर उचित कार्यवाही करेगा।

जरवल रोड चीनी मिल के कर्मचारियों को वेतन न मिलना

*१०२—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जरवल रोड शक्कर मिल के कर्मचारियों का वेतन चालू सीजन के प्रारम्भ से अब तक नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों? कर्मचारियों का वेतन दिलाने के लिये सरकार कौन-सा उपाय कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—
इस मिल के कर्मचारियों को चालू सीजन का वेतन अभी नहीं मिला है। उन्हें कुछ रकम एडवांस (Advance) के रूप में दी गई है।

इसका कारण यह है कि मालिकों के पास धन का अभाव है तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त अथराइज्ड कंट्रोलर (Authorised controller) और मिल के डाइरेक्टरों के बीच मुकदमेबाजी चलने के कारण बैंक ने मालिकों को रुपया देने से इंकार कर दिया है।

कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कराने के लिये पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत निदेश प्रार्थना-पत्र (Direction Applications) सिटी मैजिस्ट्रेट बहराइच के न्यायालय में दाखिल किये जा चुके हैं।

*१०३-१०४—श्री जगन्नाथ राव तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय—
[हटा दिये गये।]

---

†छापी नहीं गयी।

मड़ियाहू-मछली शहर सड़क

*१०५—श्री जगन्नाथ राव तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में मड़ियाहू-मछलीशहर सड़क पर ३,३५,२५० रु० व्योकृत होने तथा लगभग एक लाख रुपये का श्रमदान होने के पश्चात् पक्की सड़क निर्माण की दशा में वह क्या पग उठाने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मड़ियाहू-मछलीशहर सड़क पर केवल २५,००० रु० का श्रमदान हुआ है तथा ९ पुलियों का निर्माण-कार्य चालू है। सड़क का निर्माण कार्य शेष मिट्टी के कार्य के पूरे होने पर तथा नई पड़ी हुई मिट्टी के, बरसात द्वारा, पूरी तरह दब जाने के पश्चात् ही पूर्णरूपेण आरम्भ होगा।

पागलखाने

*१०६—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में पागलखाने कहां-कहां हैं और इस वक्त उनमें कितने-कितने पागल मौजूद हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस प्रदेश में राजकीय मानसिक चिकित्सालय (पागलखाने) आगरा, बरेली तथा वाराणसी में हैं और इस वक्त (१६ मार्च, १९६३ को) उनमें मस्तिष्क रोगियों (पागलों) की संख्या इस प्रकार है:—

आगरा	..	..	..	६७२
बरेली	..	..	..	३९१
वाराणसी	..	..	..	२३७
योग	..			१,३००

इटावा जिले में भूमि संरक्षण योजना

*१०७—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के अन्तर्गत भूमि संरक्षण योजना कब से लागू की गयी और अब तक जिले की प्रत्येक तहसील में अलग-अलग कितने एकड़ भूमि को कटान से बचाने के लिये बांध बनाकर खेती के योग्य बना लिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भूमि संरक्षण का कार्य कृषि विभाग द्वारा इटावा जिले में अभी तक आरम्भ नहीं किया गया। विकास अन्वेषणालय द्वारा एक अग्रगामी योजना भूमि संरक्षण की सन् १९५२-५३ में भाग्यनगर ब्लाक में चालू की गई थी जिसमें कि वहां के कृषकों के सहयोग से और शिक्षा द्वारा इस काम के चलाने के लिये चेष्टा की गई थी। इस कार्य में सफलता मिली और अब यह योजना भाग्यनगर और अजीतमल ब्लाकों के ४८ गांवों में फैल गई है जिसके अन्तर्गत लगभग ३२,५०० एकड़ भूमि को संरक्षण से उचित खेती योग्य बना लिया गया है।

उपरोक्त दोनों विकास खंड जिनमें यह भूमि संरक्षण कार्य आरम्भ किया गया, औरैया तहसील के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार तहसीलवार आंकड़े देने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[३-४-६३ के लिये तारांकित प्रश्न संख्या १०६ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

बदायूं जिले में ए० डी० ओज तथा बी० डी० ओज

२—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में ऐसे कितने ए० डी० ओज तथा बी० डी० ओज हैं जो एक ही ब्लाक में तीन साल से अधिक समय से नियुक्त हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बदायूं जिले में एक ही ब्लाक में तीन साल से अधिक से नियुक्त ए० डी० ओ० की संख्या ६ तथा बी० डी० ओ० की संख्या ३ है।

३—श्री शिवनार्थासिह—

[७ वें शुक्रवार के लिए प्रश्न २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हरिजन सहायक विभाग, आजमगढ़ में हरिजन कर्मचारी

४—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन कल्याण विभाग, आजमगढ़ में कुल कितने कर्मचारी हर पद पर रखे गये हैं ? उनमें हर पद पर हरिजन कितने हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

आजमगढ़ जिले में हरिजन सहायक विभाग के अधीन कर्मचारियों के पदों तथा हरिजन कर्मचारियों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है :—

पद	हरिजन	गैर हरिजन	योग
वैतनिक			
१—जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ..	..	१	१
२—लिपिक	..	२	२
३—सुपरवाइजर	२	२	४
४—चपरासी	..	१	१
अवैतनिक			
१—सामाजिक कार्यकर्ता	१	१	२
योग ..	३	७	१०

५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[९ वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

सहारनपुर जिले में चीनी मिलों का गन्दा पानी

६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार सहारनपुर जिले की तथा नगर की शुगर मिल मालिकान को आदेश देगी कि जन-स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये मिल का गन्दा पानी पक्की नालियां बनाकर दूर ले जावे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सहारनपुर जिले तथा नगर में स्थित चार चीनी मिल (१) आर्य कृष्णा शुगर मिल, सहारनपुर (२) महा लक्ष्मी शुगर मिल, इकबालपुर, (३) आर० बी० नारायण सिंह, शुगर एन्ड जनरल मिल्स, लक्सर तथा (४) गंगा शुगर कारपोरेशन देवबन्द, सहारनपुर, को एफलुएन्ट बोर्ड के निर्णय अनुसार पक्की नालिया बना कर फैक्ट्री के गन्दे पानी को बहाने के लिये पहले ही से आदेश दिये जा चुके हैं।

७—९—श्री रघुनाथसिंह—

[९ वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

वाराणसी जिले में चुनौतियां, कृषि उन्नति संबंधी प्रदर्शन

१०—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि विगत वर्ष में जो खरीफ में ४५६ चुनौतियां ग्राम सभाओं से अत्यधिक उत्पादन के लिये आयी थीं, उनमें कितनी चुनौतियां वाराणसी जिले की थीं और किन-किन गांव सभाओं की थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विगत वर्ष में खरीफ में वाराणसी जिले के चकिया तथा चहनियां विकास क्षेत्र की क्रमशः भरुइया तथा बेलवानी गांव सभाओं से चुनौतियां प्राप्त हुई थीं।

११—श्री रघुनाथसिंह—

रासायनिक खाद, उन्नतिशील बीज तथा आधुनिक कृषि यन्त्र से होने वाले लाभों को दिखाने के लिये किसानों के खेतों पर कितने प्रदर्शन विगत वर्ष किये गये इसमें कितने प्रदर्शन कटेहर क्षेत्र के चिरईगांव, बोलापुर और हरहुआ विकास खण्ड में किये गये और किन-किन गांवों में ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३२ पर)

१२—१३—श्री अल्फतसिंह—

[९ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

१४—१६—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

[९ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

हरिजन छात्रावासों को सहायता

१७—श्री शिवनाथसिंह—

क्या स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत किन-किन निजी हरिजन छात्रावासों को कब से और कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

१८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

उमा रमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला सुल्तानपुर के हरिजन छात्रावास का अनुदान

१९--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर के उमा रमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का हरिजन छात्रावास के अनुदान के हेतु जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था उसके प्राप्त होने की तथा वापस करने की क्या तिथि थी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

२०--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वह प्रार्थना-पत्र किस माध्यम से प्राप्त हुआ था तथा किस माध्यम से वापस किया गया, क्योंकि विद्यालय को वापस नहीं मिला ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवातस्व--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

विकास खण्ड जामों के भवन निर्माणार्थ भूमि का प्रतिकर

२१--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--

क्या सरकार को विदित है कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड जामों के भवन निर्माण के हेतु लगभग एक वर्ष पूर्व वहां के भूतपूर्व राजा साहब ने अपने अत्यन्त उपयोगी भूमि जनहित में दी थी पर आज तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? मुआवजा किस निश्चित तिथि तक प्राप्त हो जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, कुछ आवश्यक औपचारिकताओं के कारण अभी तक मुआवजा नहीं दिया जा सका। भुगतान की राशि लैन्ड एक्वीजिशन आफिसर के पास १४ मार्च, १९६३ को जमा की जा चुकी है और लैन्ड एक्वीजिशन आफिसर ने राजा साहब को भुगतान भी कर दिया है।

२२--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--

क्या सरकार को विदित है कि जनपद सुल्तानपुर के कार्यालय विकास खंड जामों के समीप की भूमि की दोनों फसलें कार्यालय में अभी तक फेन्सिग न होने के कारण नष्ट हुईं ? फेन्सिग किस निश्चित तिथि तक हो जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

फेन्सिग न होने के कारण फसलों की कोई क्षति नहीं हुई है। यों, फेन्सिग ३१ मई, १९६३ तक हो जाने की आशा है।

तालग्राम ब्लाक की इमारत

२३--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिल फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में तालग्राम ब्लाक की इमारत किस जगह और कब बनेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उक्त ब्लाक की इमारत ग्रान्ड ट्रन्क रोड के किनारे तेराजाकट नामक स्थान पर बनना निश्चित हुई है। फिलहाल, वर्तमान संकटकालीन स्थिति में निर्माण कार्य बन्द है।

वाराणसी जिले में सहकारी बीज भण्डारों से खाद का वितरण

२४—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में सरकारी बीज भन्डार कितने है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वाराणसी जिले में ४३ सहकारी बीज भंडार हैं।

२५—श्री रघुनाथसिंह—

सन् १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में वाराणसी जिले में इन बीज भंडारों द्वारा कौन-कौन बीज कितनी-कितनी मात्रा में और रासायनिक खाद कितनी मात्रा में वितरित हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में उक्त बीज भंडारों द्वारा वितरित विभिन्न प्रकार के बीज तथा रासायनिक खाद की मात्रा निम्न प्रकार थी :

किस्म बीज	मात्रा (मन में)
गेहूं	९,०१३
जौ	१२,६२७
चना	१०,७३६
मटर	५,९६२
धान	९,०३९
रासायनिक खाद	३,७५९ टन

२६—श्री रघुनाथसिंह—

कटेहर विधान सभा क्षेत्र में हरदुआ चोलापुर और चिरईगांव विकास खण्डों में बीज भन्डार कहां-कहां है और इनके द्वारा अलग-अलग बीज और रासायनिक खादों का कितना वितरण १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कटेहर विधान सभा क्षेत्र के हरदुआ चोलापुर और चिरईगांव विकास खंडों में सहकारी बीज भंडार निम्नलिखित स्थानों पर है।

हरदुआ विकास खंड

१—बीज भंडार हरदुआ ग्राम, हरदुआ।

२—बीज भंडार आयर ग्राम, आयर।

चोलापुर विकास खंड

१—बीज भंडार चोलापुर, ग्राम चोलापुर।

२—बीज भंडार चौबेपुर, ग्राम चौबेपुर।

३—बीज भंडार रजवारी, ग्राम रजवारी।

४—बीज भंडार बेला, ग्राम बेला।

चिरईगांव विकास खंड

१—बीज भंडार जाल्हूपुर, ग्राम जाल्हूपुर ।

२—बीज भंडार बरथरा, ग्राम बरथरा कलां ।

३—बीज भंडार उमरहा, ग्राम उमरहा ।

इन बीज भंडारों द्वारा वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में वितरित बीज व रासायनिक खाद की मात्रा का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८३३ पर)

आजमगढ़ जिले के विकास खण्डों में यातायात की कठिनाई

२७—श्री मंगलदेव—

क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के कितने विकास खण्ड केन्द्र हैं जो अब भी पक्की सड़कों से काफी दूर हैं और वहां यातायात की कठिनाइयां हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आजमगढ़ जिले में पवई, मारटीनगंज, हरैया तथा मिर्जापुर विकास खंड पक्की सड़कों से काफी दूर हैं और वहां यातायात की कठिनाइयां हैं ।

सुल्तानपुर जिले में ग्रामीण जनशक्ति योजना

२८—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब से ग्रामीण जनशक्ति योजना प्रारम्भ हुई तब से आज तक जनपद सुल्तानपुर के किन विकास खंडों में योजना द्वारा कितना कार्य हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

*सूचना संलग्न है ।

प्रशिक्षित ग्राम सेवकों की नियुक्ति

२९—श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ दिसम्बर, १९५६ को १,२०० ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण प्रदेश के विभिन्न शिविरों में समाप्त हुआ जिसमें से सिर्फ ५०० ग्राम सेवकों को सरकार ने नियुक्त किया है ? यदि हां, तो बकिया लोगों को नियुक्त न करने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

३१ दिसम्बर, सन् १९५६ में कुल ७०१ अभ्यर्थियों को ग्राम सेवक के पद का प्रशिक्षण दिया गया था । परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को, जिनकी संख्या ६९९ है, ग्राम सेवक पद पर नियुक्त किया जा चुका है ।

३०—श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जब ५०० ग्राम सेवकों की जरूरत थी तो १,२०० को क्यों प्रशिक्षित किया गया और इनके प्रशिक्षण पर कितना रुपया व्यय किया गया और क्यों किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता ।

---

*छापी नहीं गई ।

दहगवां ब्लाक इमारत की भूमि

३१—श्री उल्फतसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं ब्लाक दहगवां की ब्लाक इमारत के लिए जिस भूमि की नाप की गई है क्या उसमें हरिजनों का कब्रिस्तान भी है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर कब्रिस्तान वापस देने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ब्लाक को दी गई भूमि में कहीं कब्र या कब्रिस्तान नहीं है।

३२—३३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

३४—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था जिसका उत्तर पहली तारीख तक आ जाना चाहिए था लेकिन वह अभी तक नहीं आया तो जरा उसके लिए आप मंत्री जी को कहें.....

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, लिस्ट में तो है नहीं। बाद में दरियाफ्त कर लीजिएगा।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन पर मैं यह जानना चाहता हूं कि गत सोमवार को माननीय अध्यक्ष के प्रश्नों के सम्बन्ध में यह आश्वासन दिया था कि वह देखेंगे और विचार करेंगे, अभी एक दिन में केवल तीन ही प्रश्न एक माननीय सदस्य का स्वीकृत किया जाता है, अब चंकि सदन अधिक समय के लिये स्थगित होने वाला है, तो यह व्यवस्था करने के लिये उन्होंने कहा था कि इकट्ठा ही हम प्रश्न भेज दें और एक-एक दिन के लिए तीन-तीन वह स्वीकार कर लिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि माननीय अध्यक्ष ने निर्णय तो दिया था। अगर आप चाहें और बहुत जल्दी में हों तो मैं बता दूं जो बात तय हुई है।

श्री विजयसिंह—

अगर आप बता दें तो बड़ा सुन्दर होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

तो देखिये, ऐसी बात है कि प्रश्नों के बारे में यह है कि नियम ३४ में प्रश्नों की संख्या की परिसीमा का सवाल है। उसमें यह लिखा हुआ है "एक सदस्य एक दिन में तीन तारांकित प्रश्न से अधिक नहीं पूछेगा।" "पूछेगा" लफ्ज बड़े महत्व का है। इस लफ्ज को डिफाइन किया है नियम ३८ में और उसमें यह लिखा हुआ है कि "प्रश्न सचिव को उसकी लिखित सूचना देकर पूछे जायेंगे जिसमें कि मंत्री का सरकारी पद दिया गया हो जिसके विभाग से प्रश्न सम्बन्धित है।" इसमें यह है कि प्रश्न लिखित सूचना द्वारा पूछ जायेंगे। तो पूछने की परिभाषा इसमें दे दी गई है और आगे आप ३९ (२) को देखें तो उसमें यह लिखा हुआ है कि "किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिए वह सूचीबद्ध किया गया है।"

तो इसलिये पूछने की तारीख दूसरी है और उत्तर की दूसरी जिस दिन नोटिस आता है वह है। इसलिये जो नोटिस आयेगा उसमें तीन प्रश्न हम स्टार्ड क्वेश्चन स्वीकार करेंगे। उसके अलावा अगर ज्यादा प्रश्न होंगे तो हालांकि उसमें साफ तो नहीं लिखा है, लेकिन माननीय सदस्य के हक को सुरक्षित रखने के लिये हम लोगों ने यह तय किया है कि उसको हम फिर अनस्टाड अतारांकित प्रश्न बना देंगे। यह निश्चय हुआ है और मैं समझता हूं कि इससे माननीय सदस्यों को सन्तोष हो जायगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, सदन खत्म हो रहा है, अगर कोई माननीय सदस्य तीन चार दिन के लिए एक साथ प्रश्न भेज देता है तो उसके लिए कौन सी व्यवस्था आप करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये न, रूल्स के खिलाफ तो कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। स्पीकर रूल्स का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और उसमें जो ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते थे वह यही कि खारिज न कर के उनको अतारांकित मान लें।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा कहने का मतलब यह है कि सदन जब खत्म हो जायगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मैंने कल यह कहा था कि कोई भी अगर एक दिन के लिए तीन सवाल भेजता है एक लिफाफे में, फिर दूसरे लिफाफे में दूसरे दिन के लिए तीन सवाल भेजता है, इस तरह अलग-अलग लिफाफों में भेजता है तो वह ले लिया जायगा लेकिन अगर एक ही लिफाफे में तीन चार दिन के लिये दे दे तो क्या व्यवस्था होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें हमारी मजबूरी है, वह हम नहीं करेंगे। सूचना में जितने प्रश्न आयेंगे उनमें से तीन हम स्टार्ड मान लेंगे और बाकी अनस्टार्ड हो जायगा।

तुलसीपुर स्टेशन पर सरदार बलदेवसिंह, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

परसों एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया गया था, उसमें माननीय कृष्णपालसिंह और अन्य सदस्यों ने लिखा है—

"अभी मुझे विधान सभा सदस्य श्री बलदेवसिंह का तार मिला है जिससे यह विदित हुआ है कि तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा उन्हें पीटा गया है और हथकड़ी लगाकर अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया है। आपने सदन को इस समय तक कोई सूचना इस संबंध में नहीं दी, इससे स्पष्ट है कि गिरफ्तारी अवैधानिक ढंग से की गई है।

इससे माननीय सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है तथा सदन की अवमानना हुई है। हम आपके द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहते हैं।"

यह सूचना आई है। इस पर ५ माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं जिनके नाम ये हैं।

माननीय कृष्णपाल सिंह, माननीय माधो प्रसाद त्रिपाठी, माननीय राजेन्द्रसिंह, माननीय विश्वनाथप्रसाद, माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद।

[श्री उपाध्यक्ष]

इसके बाद मेरे पास कल यह सूचना आई है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० दोनों की तरफ से भेजी गई है :

"An incident took place between G. R. P. staff and Sri Baldeo Singh, M. L. A. at Tulsipur railway station on April 1, 1963 noon. G. R. P. reported a case under section 112, Railway Act, 332 I. P. C. against Sri Baldeo Singh for ticketless travelling and assault on G. R. P. constable. G. R. P. arrested Baldeo Singh and handcuffed him. He was released on bail shortly thereafter at Tulsipur station itself. Train was detained at Tulsipur station for about an hour and 45 minutes. Sri Baldeo Singh lodged a report under sections 147/323/342/379, I. P. C. against G. R. P. staff alleging theft of wood from Urjhola near Tulsipur Railway station, wrongful confinement and beating. Enquiries being made by Section Officer, S. O., G. R. P., Gorakhpur and Deputy Superintendent of Police, Gonda. One Sub-Inspector and three constables placed under suspension for alleged irregularities and excesses. Detailed report follows".

यह तार आया है ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

यह तार तो प्रिविलेज मोशन के बाद आया है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें ऐसी बात है कि जो एक्सीडेंट हुआ जब उसकी जानकारी डी० एम० को हुई तो उन्होंने सूचना दी । मैं यह अर्ज करता हूं कि प्रिविलेज मोशन इस वजह से था कि रिपोर्ट नहीं आई । अब रिपोर्ट आ गई है । इसमें डिले कुछ जरूर है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

प्रिविलेज मोशन का आफेन्स कमिट हो चुका है । जो हमारे अधिकार हैं उनका पालन नहीं हुआ । आफेन्स कमिट होने के १० मिनट बाद भी सूचना आती है तो वह आफेन्स हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास तार आ गया और उन्होंने सूचना दे दी ।

उसके बाद थोड़ी डिले जरूर हुई लेकिन आ गयी उनकी रिपोर्ट ।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

मेरा टेलीग्राम वहां से चल चुका था । मुख्य मंत्री जी को वह दिया गया था, यहां आपकी सेवा में दिया गया था और वह आ गया था । उसको वह टेलीग्राफ आफिस में रोक नहीं पाये, इसलिये उन्होंने बाद में तार दिया । यह आफेंस तो उन्होंने कमिट कर दिया । वे कर चुके । ब्रीच आफ प्रिविलेज तो हो चुका । यह मैं समझता हूं कि हमारी ही बेइज्जती नहीं, बल्कि सारे सदन की बेइज्जती है । अगर हमारी जिला अथारिटीज, जिलाधीश या और दूसरी संबंधित अथारिटीज इस तरह की बात इतनी देर अपने पाकेट में दबाये रहें और यह समझें कि हमने चीफ मिनिस्टर को लिख दिया यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है । अगर श्रीमन्, आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जायगा ।

सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---

मेरे साथ जो अन्याय किया गया है उसके लिये प्रार्थना है कि मुझे भी कुछ अर्ज करने का मौका दिया जाय, ताकि मैं अपनी बात सफाई के साथ हाउस के सामने रख सकूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--
एक प्वाइंट आफ़ आर्डर है। उसे जरा क्लियर हो जाना चाहिये तब माननीय सदस्य को आप सुनें तो बेहतर होगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--
उनको सुन लूं तब आपकी बात सुनूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह--
अच्छी बात है।

सरदार बलदेवसिंह--
जब मुझे अरेस्ट किया गया था तो उसमें कोई मेरी गलती नहीं थी। मेरे साथ अन्याय किया गया और उसके लिये मुझे कहने का मौका मिलना चाहिये इस सदन में। मेरी अर्ज यह है कि परसों, १ तारीख को, करीब ११ बजे दिन में मैं वहां था। मेरा स्टाक रेलवे यार्ड के अन्दर है। मेरे आदमियों ने मुझे इत्तला दी कि दो कांस्टेबिल लकड़ी चुराये लिये जा रहे हैं और हम लोग रोक रहें हैं तो कोई सुनता नहीं। वे लकड़ी लिये जा रहे थे। लकड़ी मेरी थी। मैं उस तरफ गया तो मैंने देखा कि एक कांस्टेबिल रेलवे के प्लेटफार्म के पास पहुंच चुका था और दूसरा कंधे पर लकड़ी रखे था। उसको मैंने पूछा कि यह लकड़ी कहां से लाये हो। तो उसने कहा कि हम लिये जा रहें हैं। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनसे, दरोगा जी, जो प्लेटफार्म पर ही टहल रहे थे, उन से मैंने अर्ज किया कि यह सिपाही ज्यादती करते हैं और इस की आप इन्क्वायरी करिये कि यह लकड़ी हमारी है और यह लिये जा रहें हैं और इसके लिये कार्यवाही करिये। उन्होंने कहा कि आप हमें राय देने वाले कौन होते हैं, मैं आपकी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हूं। उन्होंने इशारा किया और वे पुलिस के सिपाही उन के इशारे पर ट्रेन में बैठ गये और मुझ से कहा कि अगर आप बकवास करेंगे तो मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा। मैंने कहा कि यह ठीक है कि आप जी० आर० पी० के दरोगा हैं, जो चाहे कीजिये, लेकिन मैं भी एम० एल० ए० हूं। कम से कम जबानदराजी मत करिये। लेकिन इस पर उन्होंने मुझे फौरन ही अरेस्ट कर लिया और दस बारह लोगों से पिटाई शुरू करवा दी। (शेम शेम की आवाजें) और उसके चोटों के निशान आज तीन दिन के बाद भी मौजूद हैं जो मैं सदन के सामने आप लोगों को दिखाने के लिये तैयार हूं। (शेम शेम की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष--
आपका कहना ही काफी है।

सरदार बलदेवसिंह--
और इसका डाक्टरी मुआयना चार बजे हुआ है। तुलसीपुर में कोई डाक्टर न होने की वजह से मुझे बलरामपुर भेजा गया एक सिपाही के साथ। उसकी रिपोर्ट में नौ चोटें दिखायी गयी हैं। उस समय मुझे अरेस्ट कर के डिब्बे में डाल दिया गया था। जो वहां पर फर्स्टएड वाले थे उनको मेरे पास नहीं जाने दिया गया। मेरे साथ दो कांस्टेबिल थे जो हथकड़ी लगाये हुये मुझे अरेस्ट किये हुये थे और उस के बाद करीब ढाई, तीन घंटे ट्रेन वहां डिटेन रही। डी० एस० पी० और एस० पी० आये तब मेरे हाथ की हथकड़ी खोली गयी और मुझे आश्वासन दिलाया गया कि वह इसकी इन्क्वायरी करेंगे, लेकिन अगर इस तरह से हम लोगों के साथ, सदन के सदस्यों के साथ अन्याय होता रहेगा तो कबतक यह सरकार चल सकती है। (शेम-शेम की आवाजें) इस तरह से पुलिस गुंडागर्दी सदन के सदस्यों के साथ करती है और बर्बरतापूर्ण व्यवहार उसका रहता है।

श्री उपाध्यक्ष—

कमलासिंह जी, मैं जरा अपनी बात साफ कर दूं। मैंने अभी कुछ तय नहीं किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो आपका प्रिविलेज मोशन है और उस के अलावा दो माननीय सदस्यों ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। अब सवाल यह है कि.....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। आप जरा मुझे मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अभी अर्ज कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा यह तो बात दूसरी है, लेकिन अगर उस प्रिविलेज मोशन को, रेफर कर दिया जायगा तो वह बार्ड हो जाता है, ऐसी मेरी धारणा है। जैसा आप मुनासिब समझें और जिससे फायदा हो, उसको लें। जो वाकया हुआ है, मैं उसको सीरियस मानता हूं। यह माननीय सदस्यों की और इस सदन की मर्यादा का प्रश्न है। इसलिये मैं इसको महत्व देता हूं। लेकिन यह तो माननीय सदस्यों के चूज करने की बात है। अगर वह विशेषाधिकार समिति को रेफर कर दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि फिर यहां पर कोई दूसरी कार्यवाही नहीं हो सकेगी। मैं यही सोचता था।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि अभी आप निर्णय न दें। उसके मैरिट्स पर विचार होना चाहिये। अभी यदि प्रिविलेज मोशन एलाऊ कर दिया गया तो एडजर्नमेंट मोशन एलाऊ करने में दिक्कत होगी। दूसरे कार्य में दिक्कत होगी। मैं समझता हूं कि यह तीनों चीजें भिन्न-भिन्न हैं।

"Privilege motion is a matter concerning the official and the Member concerned, the privilege given to that Member".

सदस्य के अधिकार से विशेषाधिकार का संबंध है अधिकारियों और सदस्य दोनों के बीच की बात है। एडजर्नमेंट मोशन दूसरी बात है। रक्षक ही हमारा भक्षक हो सकता है। अगर वही चोरी करके हमारे ऊपर ऐसा अन्याय करेगा, तो क्राइम्स नहीं बढ़ेंगे तो फिर और क्या होगा? क्या इससे पब्लिक का विश्वास हमारे शासन के प्रति बढ़ेगा? मैं आपको बता दूं कि शासन की बदनामी ऐसे ही पुलिस के अधिकारियों के द्वारा हो रही है। न तो उनको ताड़ना मिले और न उनके बारे में डिस्कशन हो। क्या यह उचित बात है? आप देखें कि पाटन के मेले में दो घंटे गाड़ी रुकी रही भगदड़ मच गई वहां पर मेले में। मेले में लाखों आदमियों में पुलिस का आतंक फैल गया। पुलिस अपने पास ऐसी करनी करती है कि यह मालूम पड़ता है कि इस शासन का राज्य नहीं है, बल्कि उसका ही राज्य है। ऐसी परिस्थिति में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है। प्रिविलेज के मामले को टच नहीं करेंगे।

मैं आपको इसी सिलसिले में एक बात और बतला दूं इसी गोंडा की जी० आर० पी० ने एक कैनेडियन प्रेस कारेसपान्डेन्ट को इतना मारा कि प्रधान मंत्री ने हमारी लोकसभा में उसके लिये माफी मांगी। उससे आज उसका मन बढ़ गया। क्योंकि उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। उसके सामने उदाहरण मौजूद है। यही कारण है कि पुलिस काबू में नहीं रहती है। वह यह सोचती है कि यह मेम्बर कौन है। अगर रूलिंग पार्टी को खुश रखेंगे, तो फिर मेम्बर की बात कौन करेगा! इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। श्रीमन्, यदि हमारे हितों की रक्षा आप नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? इसलिये हमारे एडजर्नमेंट मोशन और प्रिविलेज मोशन भिन्न,भिन्न आस्पेक्ट्स पर अवश्य मंजूर किये जायं।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है जो कि आज सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। यह किसी एक माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं, बल्कि यह सारे माननीय सदस्यों की मान मर्यादा का प्रश्न है। जहां तक कामरोको प्रस्ताव की बात है, उसकी एक पृथक महत्ता होती है। गवर्नमेंट पर सेन्सर मोशन होता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है। उसमें यह प्रश्न अलग होता है। आप देखें कि गवर्नमेंट की मशीनरी ने माननीय सदस्य पर हमला किया और उनको अपमानित किया। यह प्रश्न गंभीर है। जो प्रिविलेज का प्रश्न है वह भिन्न है। यह दोनों अलग-अलग हैं। आज आप के ऊपर बिलकुल माननीय सदस्यों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ कामरोको प्रस्ताव अवश्य इस आदरणीय सदन में लाने दें।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत हैं, यह दो किस्म के हैं। पहला तो यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का और दूसरा यह प्रिविलेज है या नहीं। इस पर क्या किया जाय ? एडजर्नमेंट मोशन पर क्या कार्यवाही की जाय ? जहां तक ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न है, अभी माननीय सदस्य ने सदन के सामने यह बतलाया कि उनके हाथ में हथकड़ी लगाई गई, जिसको कि डी० एस० पी० और एस० पी० ने मौके पर खोला। जो कानून है, उसमें किसी माननीय सदस्य को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। तो ब्रीच आफ प्रिविलेज है। और बातों को मैं नोटिस में नहीं लाता। लेकिन जहां तक हथकड़ी का सवाल है, उसके लिये तो साफ दिया हुआ है कि किसी सदस्य को, जो इस सदन के सदस्य हैं, या काउन्सिल के सदस्य हैं, या लोकसभा के सदस्य हैं, उनको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। इस पर इस सदन से भी रूलिंग हो चुकी है और लोक सभा और पंजाब से भी रीसेंटली हुई है। तो जहां तक ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल है चूंकि माननीय सदस्य ने अभी सदन के सामने खुद बतलाया है कि उनकी हथकड़ी मौके पर लगायी गयी और एस० पी० और डी० एस० पी० ने खोली, इसलिये ब्रीच आफ प्रिविलेज हो गया। अब उसके बाद जहां तक ऐडजर्नमेंट मोशन का सवाल है, मुझे यह कहना है कि ऐडजर्नमेंट मोशन और ब्रीच आफ प्रविलेज दोनों भिन्न-भिन्न चीजें हैं। ऐडजर्नमेंट मोशन पर यहां वाद-विवाद होता है और उसके द्वारा हम गवर्नमेंट के ऐक्सेस को मेंसर करते हैं। जी० आर० पी० उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है और उसके कार्यों के लिये सरकार जिम्मेदार है तो इस पर ऐडजर्नमेंट मोशन भी लाया जा सकता है। इस प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि ब्रीच आफ प्रिविलेज भी लाया जा सकता है और ऐडजर्नमेंट मोशन भी लाया जा सकता है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शिकायत माननीय बलदेवसिंह ने रखी है उसम ३ बातें आती हैं। पहली तो यह कि लकड़ी चोरी की सिपाहियों ने, इस पर उन्होंने एतराज किया, पीटे गये और उन्हें बन्द कर दिया गया। ३४१, ३२३ आदि का जुर्म किया जो आर्डिनरी ला के अन्तर्गत हैं। उनके लिये मंत्री महोदय को जांच करना, उसपर अपना वक्तव्य देना अत्यावश्यक है। यही कालिंग अटेंशन का, कामरोको या नियम ५२ के अन्दर प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है।

दूसरे उन सदस्य को गिरफ्तार किया गया, बन्द किया गया, इसकी सूचना आपको, सदन को मिलनी चाहिये, समय पर वह नहीं दी गयी और गलत तरीके से गिरफ्तार करके रखा गया और इस प्रकार सदन का अपमान किया गया। सदन ने जो माननीय विधायकों की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीपनारायण सिंह]

इज्जत और मर्यादा की रक्षा के लिये नियम बनाये हैं उनकी अवहेलना की गयी है। इसलिये दरोगा जी, दोनों सिपाही सदन के अपमान करने के मुलजिम हैं। तो यह सदन एक कोर्ट की हैसियत से स्वंय बैठ कर उनका निर्णय लेगा---यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन है। इसलिये दोनों पर आप विचार करें। पुलिस मंत्री का कर्त्तव्य है कि सदन की इज्जत और अन्यायपूर्ण कार्यों की तरफ विशेष ध्यान दें। ५४ जिले के प्रान्त की पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किया है। उनके कान खड़े होते हैं, उनको मौका मिलता है कि वह प्रान्त के रक्षक के रूप में कार्य करें और जनवादी परम्पराओं को कायम करें। इस प्रकार से आप दोनों की कार्यवाही करें, कहीं रुकावट नहीं है। आपके इस पद से हमें यही उम्मीद है और हम न्याय की आशा लेकर आये हैं।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने शुरू में जो कहा उसे सुन कर मैंने यह महसूस किया कि मुझे भी बोलना चाहिये और यह इसलिये कि इस कम्पेन को माननीय सदस्यों ने जिस गंभीरता के साथ सदन में पेश किया है, सदन को उसे उतनी ही गंभीरता के साथ विचार करना चाहिये। पहले कहा गया कि यह रिपोर्ट देर में आयी, मैं समझता हूं कि अगर इसी पर विचार होगा तो यह खतरनाक बात होगी क्योंकि माननीय सदस्य के साथ जो अमानुषिक व्यवहार हुआ है उसका प्रभाव प्रदेश की करोड़ों जनता के ऊपर पड़ता है। यहां पर लाखों आदमियों द्वारा चुन कर, उनका प्रतिनिधि बन कर एक सदस्य यहां पर आता है और उसके साथ अगर एक साधारण नागरिक जैसा भी बर्ताव न हो तो वह बड़ी खराब बात है और इन चीजों से पुलिस और नौकरशाही का हौसला बढ़ता है। आज जरूरत इस बात की है कि इनकी प्रवृत्तियों पर पूरी तरह से नियन्त्रण किया जाय। जहां तक इस केस का संबंध है इसमें दो तीन आरोप हैं। प्लेटफार्म पर घटना को लेकर माननीय सदस्य को गिरफ्तार करना, उनको हथकड़ी पहनाना, उनको फिर बन्द करना, यह बड़ी ही गंभीर बातें हैं। मैं तो वहां की जनता को धन्यवाद देता हूं जो वहां पर रेल की पटरियों पर लेट गयी और रेल का चलना बन्द कर दिया। अभी एक सप्ताह पहले का पंजाब का ही एक हथकड़ी पहनाने का केस सामने आया, वहां एक माननीय सदस्य को हथकड़ी पहनायी गयी और उसको वहां की विधान सभा ने कितनी गंभीरता के साथ लिया। अगर किसी आदमी से कोई खतरा पैदा नहीं होता, तो उसको हथकड़ी पहनाने की क्या जरूरत है? मैंने एक बार पहले भी, करीब डेढ़ साल हुआ, यहां पर इस प्रश्न को उठाया था और अब तो हमारे नियमों में यह व्यवस्था हो गयी है कि जो एक नियमों में फार्म बना हुआ है इसी पर इत्तला आनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

जहां तक गम्भीरता का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यह प्रश्न काफी गंभीर है, उस पर हमें उचित कार्यवाही करनी चाहिये, मगर बार-बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव---

मैं यह जानना चाहता हूं कि उस फार्म पर इत्तला आयी है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष---

जो टेलीग्राम आया था, उसे मैंने पढ़ कर सुना दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव---

अगर वह फार्म पर नहीं आयी है तो उससे पूरे नियम का उल्लंघन हुआ है। तीसरी गलत बात यह हुई है कि माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया वायरलेस से उसकी सूचना तत्काल आनी चाहिये थी, वह नहीं आयी। जब यहां पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठा गया, तब वह सूचना आती है। इसलिये यह विशेषाधिकर की अवहेलना का प्रश्न निश्चित रूप से है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन कामरोको प्रस्ताव जो आया है वह इससे भी ज्यादा गम्भीर है, और उस पर हमें विचार करना चाहिये। माननीय सदस्य यहां पर मौजूद हैं और उन्हें अपनी बात कहना चाहिये। अगर अन्याय की यहां पर भी सुनवायी नहीं होगी तो कहीं उसकी सुनवायी नहीं होगी। इसलिये आप इस प्रस्ताव को भी अवश्य स्वीकार करें ताकि इसकी गम्भीरता पर पूरे प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित हो।

*श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं इसकी गंभीरता के विषय पर कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह कि यह खास तौर से विशेषाधिकार का प्रश्न है। नियम ६६(२)(३) को आप देखें उसके अन्तर्गत स्पष्ट तरीके से यह विशेषाधिकार के अन्तर्गत आता है और अगर एडजर्नमेंट मोशन के रूप में यह स्वीकार होता है तो हम केवल यहां पर कुछ बहस ही कर सकते हैं उसके अन्तर्गत। लेकिन विशेषाधिकार के रूप में अगर यह प्रश्न समिति को जाता है तो वहां हमको यह अधिकार होता है कि हम उसकी पूरी छानबीन करें और फिर हम कई उपयुक्त दंड भी दे सकेंगे। और ऐसे मामलों में, जैसा कि हमारे सामने है, मैं समझता हूं, ऐसा गंभीर प्रश्न आजतक सदन के सामने कभी नहीं आया। हमें उस अधिकारी के बारे में पूरी जांच करनी चाहिये और अपराधी को उचित दंड भी देना चाहिये। यदि विशेषाधिकार का प्रश्न स्वीकार न किया गया तो उचित दंड न दिया जा सकेगा। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अवश्य स्वीकार कर लें।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मैं नियमों की धारा ५९ को आपके सामने रखना चाहता हूं। इस धारा के अनुसार विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सामने न भेज कर तुरन्त लेने के बारे में कहा गया है। उसमें लिखा है--

> "अगर नियम ६७ के अनुसार अध्यक्ष को पूर्ण रूप से यह विश्वास हो जाय कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है अगर उनकी यह राय हो कि यह विषय ऐसा है जो सदन द्वारा निस्तीर्ण किया जा सकता है तो वे शिकायत करने वाले सदस्य से यह प्रस्ताव करने के लिये कह सकेंगे कि विषय पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाय।"

अतः श्रीमन्, माननीय सदस्य को आप आज्ञा दें कि वे प्रस्ताव करें और विशेषाधिकार का प्रश्न तत्काल सदन में विचार करने के लिये लिया जाय और जो उचित दंड यह सदन निर्धारित करे उसके अनुसार आप उचित कार्यवाही करें। इसलिये इसको विशेषाधिकार समिति के सामने भी भेजने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

मुझे सिर्फ एक बात यह कहना है कि माननीय सदस्य ढाई लाख रुपया रेलवे के फुट का देते हैं और इनकम टैक्स देते हैं। उन पर चार्ज लगाया गया है कि बिला टिकट सफर कर रहे थे। उनकी तो रेलवे के कम्पाउन्ड में ही लकड़ी की टाल है। वे तो वहीं रहते ही हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुनाथसिंह----
आपने हमारी बात नहीं सुनी। केवल एक मिनट चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--
आप बैठ जायं।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---
जो प्रश्न बलदेवसिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह वास्तव में बड़ा गंभीर प्रश्न है। जिस पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध यह शिकायत है उसके बारे में सरकार को पहले से कोई सूचना नहीं दी गयी न इसकी प्रतिलिपि ही सरकार के पास भेजी गयी ताकि उसके बारे में कोई सूचना मंगायी जा सकती। इसलिये एक मात्र सही तरीका यही हो सकता है कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है उसको नियम ६७ के मुताबिक विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाय और उसको यह अवसर होगा कि वह इस प्रश्न पर पूरी तरह से जांच करे। यदि पुलिस कर्मचारी को भी बुलाने की आवश्यकता होगी तो उसको भी बुलाया जा सकता है। पूरी जांच के पश्चात् समिति सदन के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है और उसके आधार पर यह सदन मुनासिब कार्यवाही कर सकता है। माननीय श्रीपालसिंह जी ने जो बात कही वह तो उसी समय तुरन्त लिया जा सकता है जबकि विशेषाधिकार सदन के सामने ही हुआ हो। इसके अलावा जिस कर्मचारी के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है वह भी सदन के सामने नहीं है, न उसका वरजन ही हमारे सामने है? प्रोइमाफेसी जो आरोप है, मैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई सन्देह प्रकट नहीं करता हूं और उसको सत्य ही मानता हूं। इसलिये इसको विशेषाधिकार समिति में भेज दिया जाय।

सरदार बलदेवसिंह---
मैंने परसों ही गवर्नमेंट को कई टेलीग्राम भेजे थे।

श्री कल्पनाथसिंह---
श्रीमन्, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। जैसा कि अभी माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि यह रिपोर्ट जो आनी चाहिये थी उसके लिये हमारी नियमावली में एक निश्चित प्रोफार्मा बना हुआ है, पर उस प्रोफार्मा पर वह रिपोर्ट नहीं आयी है। इसके पूर्व इस सदन में इस प्रकार का निर्णय हो चुका है कि ऐसी रिपोर्ट सदन में स्वीकृति नहीं की जायगी जब तक कि वह प्रोफार्मा की शक्ल में न हो। जो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गोंडा ने भेजी है वह उस प्रोफार्मा की शक्ल में नहीं है। वह ऐसी रिपोर्ट है जो उस हाउस के ब्यू में लाने के लिये लम्बी चौड़ी दी गई है। इस लिये मेरा आप से निवेदन है कि रिपोर्ट में जो बातें दी गयी हैं, उनको इस हाउस की प्रोसीडिंन्स से एक्सपंज कर दिया जाय। यह प्रश्न आपके सामने मैंने प्वायंट आफ आर्डर की शक्ल में उठाया है, कि माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गोंडा ने जो रिपोर्ट दी है, क्या वह हमारी नियमावली के अन्तर्गत उचित है या नहीं है? अगर उचित नहीं है तो वह प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं होना चाहिये।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक इस मामले को सुन सका हूं, ऐसा समझता हूं कि पहली अप्रैल को यह घटना है और आपको जिले से जो सूचना दी गयी है वह शायद २ तारीख को दी गयी है। श्रीमन, इस मामले में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा माननीय श्रीपालसिंह जी ने अभी आपसे निवेदन किया है, बिल्कुल उसी प्रकार का यह मामला है। विशेषाधिकार हमारा बढ़ नहीं सकता, उसका हमें ज्ञान है और इस चीज का भी ज्ञान है कि विशेषाधिकार इस मामले में किस सीमा तक है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि दो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात बिल्कुल स्पष्ट दिखलायी देती है। एक तो यह कि इतने हंगामे के बाद जिलाधिकारी ने उसकी सूचना २ तारीख को दी, किस समय सूचना दी, मैं नहीं कह सकता लेकिन २ तारीख को उन्होंने सूचना दी और इसमें विलम्ब किया।

दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार आपने यह निश्चित कर रखा है कि इस तरह से उनको सूचना देनी चाहिये, उस प्रकार से उन्होंने सूचना नहीं दी और इन दोनों बातों से स्पष्ट मालूम होता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई। तो और बातों को हम छोड़ भी दें, उससे अगर आपके किसी सदस्य की मानहानि हुई, या किसी सदस्य को कोई चोट पहुंची या जो कुछ भी हुआ, लेकिन जब तक सदस्य यह न कहे कि हम इस सदन में शामिल होने के लिये आ रहे थे, तो उसको आने से रोका गया या उसके आने में बाधा पहुंचायी गयी तब तक तो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता, उसके लिये तो फिर अदालती कार्यवाही है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये दो बातें ऐसी हैं जो विशेषाधिकार की अवहेलना की स्पष्ट बातें हैं और जैसा कि माननीय श्रीपाल सिंह जी ने कहा कि इसमें कोई विशेष जांच की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि सूचना मंत्री जी हमसे इत्तफाक करेंगे कि सदन कल से उठ रहा है लेकिन यह एक ऐसी घटना है जिसकी प्रतिक्रिया सारे देश में होगी। इस माननीय सदन के एक माननीय सदस्य के साथ जैसी दुर्घटना हुई है वह बड़ी ही शर्मनाक है और मैं समझता हूं कि कल सदन के उठने के पहले ही सदन इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करले।

अब रही बात कामरोको प्रस्ताव की। उसके ऊपर अलग से विचार किया जा सकता है और मैं समझता हूं कि उस पर आज विचार हो जाना चाहिये। लेकिन वह ला एण्ड आर्डर का मामला है कोई विशेषाधिकार का मामला नहीं है, इसलिये इस पर हम अलग से विचार करें और अवश्य करना चाहिये। क्योंकि जितनी जानकारी मुझे हुई है, इस प्रकार की बातें सुनने के बाद मुझे बड़ी लज्जा है और श्रीमन्, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे अधिकारों की रक्षा करने तथा हमारी ड्यूटी को पूरा करने में आप हमारी मदद करें। मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार के प्रश्न को अभी इसी समय सदन के सामने लेना चाहिये और अगर किसी जानकारी को जरूरत हो तो मैं माननीय सूचना मंत्री जी स कहूंगा कि वह टेलीफोन से जिला अथारिटीज से जानकारी कर के कल तक सदन उठने से पहले ही इस मामले में निर्णय लिया जा सकता है और वह आप भी कह सकते हैं। सदन के उठने के पहले ही निर्णय होना इस में बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष——

मैंने इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और सदन के माननीय सदस्यों की राय भी सुनी और मैं समझता हूं कि इस में कोई २ रायें नहीं हैं कि यह प्रश्न बहुत गंभीर है और माननीय सदस्य के साथ जो व्यवहार हुआ है वह अवश्य ही सदन के प्रिविलेज की अवहेलना है। हमें ऐसे गंभीर प्रश्न को किसी उतावले ढंग से तय करना नहीं है। एक बात यह जो कही गई कि कल ही इस पर फैसला हो जाय, यह हमारी मर्यादा के अनुकूल न होगा। आवश्यकता इस में इस बात की है कि हम एक्यूज्ड को भी सुनें और जो भी बात हो सुनने की हमें उनकी भी जरूरत है।

अनेक सदस्य——

उनको भी बुला लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——

प्राइमाफेसी केस में इस को मानता हूं और इसलिये इन सारी चीजों को, सब कागजात को मैं विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किये देता हूं और वह जल्द ही इस पर फैसला दे और सारी

[श्री उपाध्यक्ष]

बातों को देखे । केवल सूचना ही नहीं बल्कि अगर जरूरत वह समझे तो जिन पुलिस के लोगों ने यह काम किया है उनको भी बुलाया जाय और उन के बयान लेकर सब बातों पर विचार वहां कर लिया जाय . . . . .

श्री रघुनाथसिंह---

जो अधिकारी समय से सूचना न देने के जिम्मेदार हैं उनको नहीं बुलाया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

हां, इस प्रश्न को मैं प्रिविलेज कमेटी के सामने भेजे देता हूं, उसको इस विषय में भी पूरा अधिकार होगा कि वह जांच करे और निर्णय दे । वह देखे कि सूचना प्रोफार्मा के हिसाब से नहीं आई या देर से आई, वह इन सभी बातों पर विचार कर लेगी । विशेषाधिकार समिति इन सभी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर के यह भी सजेस्ट कर सकती है कि ऐसे मामलों में सदन को क्या कदम उठाना चाहिये । जब उस निर्णय में सब बातें आ जायेंगी और समिति का प्रतिवेदन आयेगा तो सदन को पूरे तौर से विचार करने का उस पर मौका मिलेगा । इस तरह से यह सब केस विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है ।

श्री नेकराम शर्मा---

कामरोको प्रस्ताव के संबंध में . . . .

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

श्रीमन्, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं ।

श्री प्रेमसिंह---

यह तो जबरदस्ती है, मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा जो सदन की मर्यादा के खिलाफ हो ।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा चाहिये, आपको भी क्या कहना है ?

श्री प्रेमसिंह---

श्रीमन्, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं मेरा विचार यह है कि यह कमेटी या समिति की बात तो मैं जानता नहीं, यह एक गंभीर मसला है और मैं तो यही जानता हूं कि इसमें इम्मीडियेट ऐक्शन होना चाहिये और ऐसे पुलिस कर्मचारियों को वही दंड मिलना चाहिये जो उनको मिला है । अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसी बात नहीं है, वह सस्पेंड हो चुके हैं ।

श्री रघुनाथसिंह---

दरोगा जी सस्पेंड नहीं हुये ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस में लिखा है कि एस० आई० और ३ कांस्टेबिल्स सस्पेंड हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या प्रश्न है ?

श्री लखपतराम शर्मा—

माननीय कल्पनाथ सिंह ने अभी आपके सामने एक व्यवस्था का प्रश्न रखा है, उस पर आपका निर्णय चाहे जो हो लेकिन वह आपको देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो मैंने कह दिया कि प्रोफार्मा पर इत्तला नहीं है, इसका निर्णय भी देना चाहिये समिति को ।

श्री लखपतराम शर्मा—

यह तो आपके निर्णय का प्रश्न है, आप वैधानिक उसको समझते हैं या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वैधानिक मानते हुये सब बातें प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दी गई हैं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, कामरोको प्रस्ताव का रूप पढ़ दें तो पता चल जायगा, हमें आर्गुमेन्ट ही न करना पड़े । एक बात कह दूं, मैंने पहले भी कहा है और अन्य सदस्यों ने मुझसे अच्छा कहा, माननीय गेंदासिंह ने भी कहा कि कामरोको प्रस्ताव का दूसरा आसपेक्ट है और प्रिविलेज मोशन का दूसरा आसपेक्ट है । प्रिविलेज के क्वेश्चन की जो इनक्वायरी होगी वह सिमटकर केवल उन्हीं अपराधों तक रह जायगी जो इनके अधिकारों पर कर्मचारियों द्वारा कुठाराघात हुआ है । लेकिन उन दो प्रश्नों को छोड़कर जो बाकी प्रश्न इस समय पैदा होता है, समस्या की गंभीरता को देखते हुये, वह बिल्कुल छूट जाता है, वैसे ही होगा कोई गंभीर मामला हो जाय और इन्क्वायरी कमेटी सेट-अप हो जाय और मामला हश अप हो जाय । पुलिस ला ऐन्ड आडर की जिम्मेदार है । जो कुछ पुलिस ने किया वह लाखों आदमियों ने देखा और उन्होंने अपना असन्तोष रेल गाड़ी के सामने लेटकर प्रकट भी किया । यह खबर सभी जिलों मे फैली होगी । और वही पुलिस है जो हमारे साथ कोई अपराध होता है तो उसकी रक्षा करनी चाहिये । तो यह सारी चीजें इम्प्लाइड हैं । मैं नहीं समझता इससे भी गंभीर कोई प्रश्न पैदा हो सकता है कि एडजर्नमेंट मोशन यहां अलाउड हो और डिस्कस हो । कम से कम जनता को मालूम तो होगा कि सरकार ने इसकी गंभीरता को समझ कर इस पर विचार किया । प्रिविलेज मोशन तो सिमट कर रह जायगा और उसका नतीजा केवल अखबार में निकल जायगा । अतः जनता की दृष्टि से इसकी गंभीरता को आप अनुभव करें और हमारा एडजर्नमेंट मोशन एलाउ करें । अगर एडजर्नमेंट मोशन उन दोनों चीजों को सेपरेट करके इस पहलू पर नहीं लिया गया तो बड़ा अनर्थ होगा । क्लाज (४) जिसमें यह है कि एडजर्नमेंट मोशन वाला प्रश्न कहीं रेफर हो गया प्रिविलेज कमेटी को तो नहीं लिया जायगा, वह प्रश्न इसमें नहीं उठता । अगर वह प्रस्ताव ही प्रिविलेज का क्वेश्चन रेज करे तब तो वैसा हो सकता है । लेकिन हमने तो उसके दूसरे मोशन से रेज किया है अतः एडजर्नमेंट मोशन आप एलाऊ करें ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, इसमें साफ हो गया कि पुलिस के कांस्टेबिल चोरी करते हैं और दरोगा जी चोरी करवाते हैं, पहली बात तो यह हुई । इतना ही नहीं अपनी चोरी को छिपाने के लिये फर्जी रिपोर्ट और दूसरे पर बिना टिकट ट्रेविल करने का फर्जी मुकदमा चलाया जाता है । तो फर्जी मुकदमे भी चलते हैं यह प्रश्न भी इसमें इनवाल्व है । इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है अमानुषिक अत्याचारों का । एक व्यक्ति को पीटा जाय और जब वहां फर्स्ट एड के लिये लोग पहुंचते हैं तो स्टेशन मास्टर को वहां तक पहुंचने न दिया जाय । वहां की जनता बधाई की पात्र है, अगर उसका सहयोग न होता तो इस बात को छिपा लिया जाता । अतः आप इस पर विचार करने का मौका दें और कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—

श्रीमन्, जो भाई एडजर्नमेंट मोशन के लिये प्रेस कर रहें हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एडजर्नमेंट मोशन वहां आता है जहां सरकार की जिम्मेदारी है। इस विषय में सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की, कि जो भी दोषी लोग हैं और जिनकी वजह से सारी चीजें जो बाद में हुईं और जो उनके लिये जिम्मेदार हैं, उसको बहुत विशिष्ट कमेटी, जो सदन की है, को रेफर कर दिया गया है। इस सारी तफसील में जो भी दोषी है उन्हें दोष देने में सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं हुई। जिन लोगों की वजह से परिस्थिति पैदा हुई वह सब लोग सजा पा सकेंगे अपनी सफाई का मौका मिलने के बाद। उसके बाद सरकार की सीधी जिम्मेदारी नहीं आती। कोई आफिसर गलती करता है तो किसी सरकार को उसे सजा देने में बाधक नहीं होना चाहिये और जब वह विषय प्रिविलेज कमेटी के सामने उपस्थित कर दिया गया है तो जिस प्रकार सबजुडिस केस हो कर उसकी मर्यादा बन जाती है उसी प्रकार इस केस में लोअर कोर्ट में मामला हो और उसके ऊपर हम यह दूसरा फैसला दे दें तो उस पर प्रिजुडिशल इफेक्ट पड़ेगा। मेरा विरोधी दल से नम्र निवेदन है कि वह इसे प्रेस न करे और श्रीमन् से मेरी प्रार्थना है कि मेरे निवेदन को अगर विरोधी दल स्वीकार नहीं करता है तो कम से कम आप इसकी इजाजत नहीं देंगे।

श्री ब्रह्मदत्त आयर (जिला सहारनपुर)—

अभी एडजर्नमेंट मोशन के सिलसिले में माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार किसी तरह से इस मामले में दोषी नहीं ठहराई जा सकती लेकिन मेरा कहना यह है कि वहां के कलेक्टर ने जो रिपोर्ट दी उसमें साफ जाहिर होता है कि दोषी लोगों को बचाने में वह हिस्सेदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है। उनको सस्पेंड कर दिया है और इन्क्वायरी चल रही है।

श्री ब्रह्मदत्त आयर—

जिस तरह से माननीय सदस्य ने यह मामला रखा है वैसी रिपोर्ट कलेक्टर ने नहीं दी है। यह उसी स्थान का विषय नहीं है सारे प्रान्त के अन्दर जी० आर० पी० वालों का यही हाल है। इसलिये सीधे सरकार का इससे संबंध है। इसलिये एडजर्नमेंट मोशन का विषय यह हो सकता है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

सभी पार्टीज को आप बोलने का मौका दे चुके हैं। मुझे भी एक मिनट बोल लेने दीजिये। आप हमेशा स्टेप मदर्ली ट्रीटमेंट करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने काफी सुना है। आप कोई लांछन नहीं लगा सकते। आप बैठ जाइये।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे निवेदन कर दूं कि इस तरह की घटना सदन के सामने आना निहायत शर्मनाक बात है। मुझे इस मामले में कुछ बेचैनी और कुछ तकलीफ भी है। लेकिन एक बात से मुझे दुख और भी अधिक हुआ कि हम इस मामले को लेकर इधर व उधर से कुछ कानूनी दांव पेंच में फंसे हुये हैं। प्रिविलेज कमेटी को आपने रेफर किया तो अच्छा किया। एडजर्नमेंट मोशन एलाऊ करें या न करें मैं इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह समझता हूं कि इन सब बातों का यह असर पड़ता है कि हम इस प्रश्न की गंभीरता को नहीं समझते। जिस समय यह प्रश्न सदन के सामने आया मुख्य मंत्री जी यदि होते तो उनसे मैं कहता, उनकी गैर-हाजिरी में जो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मेम्बर्स हों उनसे मेरी अपील है कि वह इस मामले को अपने हाथ में ले लें सारे कानूनी दांव पेंच को छोड़कर और वायरलेस से जो आफिशियल्स कंसर्न्ड हैं उनको बुलायें और उनसे बात करें और दूसरे जो सदन के दलों के नेता हैं उनसे भी बात करें और कल जिस वक्त हाउस हो उस वक्त तक केस को सदन के सामने रखा

जाय और एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाय ताकि यह पता चल सके कि यह बातें क्यों होती हैं। मेरा निवेदन है कि जिस समय असेम्बली के सदस्य हम चुने जाते हैं, तो इस तरह के आदेश अधिकारियों को होते हैं कि वे सदस्यों से जाकर मुलाकात करें, उनके साथ आदर व सम्मान का बर्ताव करें। तो हमारी हिदायतें क्या उन तक नहीं पहुंच पातीं या अधिकारी उन हिदायतों को समझ नहीं पाते, कौन सी बात है जिससे यह कठिनाइयां होती हैं? मैं यह नहीं कहता कि जिन माननीय सदस्य के संबंध में यह घटना है उनका कोई दोष होगा या नहीं। दोनों ही बातें हो सकती हैं। अगर उनका कोई दोष है तो उसके लिये कानून है, उसमें हर एक को लिया जा सकता है। हमारे सूबे या देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कानून से बच नहीं सकता, लेकिन उस कानून का कोई प्रोसीजर होना चाहिये। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे सीनियर-मोस्ट कैबिनेट के मेम्बर हों वे इस मामले को अपने हाथ में लें और शाम तक जो भी आफिसर हैं उनको वायरलेस या टेलीफोन से बुलायें और सारे मामले को समझ कर कल सुबह तक सदन के सामने एक वक्तव्य दें ताकि यह मामला साफ हो।

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, मैं माननीय रावत जी के विचारों से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। यह आप प्रिविलेज कमेटी में भेज रहे हैं यह तो भेजा ही जाना चाहिये। इसके अलावा जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव है उस पर भी विचार-विमर्श करना चाहिये। जिस तरह से माननीय सदस्य के साथ अमानुषिक व्यवहार हुआ है उससे साफ पता चलता है कि विरोधी दल के किसी भी माननीय सदस्य की जिन्दगी और उसके धन की सिक्योरिटी नहीं है। किसी भी माननीय सदस्य की जिंदगी आज खतरे से खाली नहीं है। अतः यह सत्तारूढ़ दल कुर्सी छोड़े और इस्तीफा दे।

*श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, मैंने माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी को बहुत गौर से सुना। वे मुझे माफ करें अगर मैं यह कहूं कि जो दलीलें उन्होंने पेश कीं उनके बारे में कानून मंत्री या माननीय महाबीर प्रसाद जी से सलाह कर लेते तो अच्छा होता। विशेषाधिकार का प्रश्न है और कामरोको प्रस्ताव का प्रश्न, दोनों एक नहीं हो सकते। वह साधारण ला ऐंड आर्डर का सवाल है और जैसा मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया कि किसी माननीय सदस्य के साथ मारपीट और किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की बात का जहां तक संबंध है अगर वह हमारे सदन में आने के सिलसिले में है तो वह विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता है लेकिन माननीय सदस्य ने इस बात का इशारा नहीं किया कि वे सदन में उपस्थित होने के लिये आ रहे थे और उस बीच में उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। वह दुर्व्यवहार इन्तहाई दर्जे की अशिष्टता है लेकिन विशेषाधिकार समिति कभी इस मामले में नहीं जाती कि उनके साथ थाने में जाने के बाद क्या किया गया, जी० आर० पी० ने क्या किया और उनको किस तरह से बेइज्जत किया गया। इस मामले में विशेषाधिकार समिति शायद ही जाय कोई नया विशेषाधिकार नहीं बन सकता सिवाय उनके कि जो परम्परा पहले से कायम है। मैं तो समझता हूं कि कानून की पेचीदगी भी अपनी प्रतिष्ठा के सामने है। उस कानून की पेचीदगी में विशेषाधिकार समिति को चूंकि यह मामला सुपर्द कर दिया गया इसलिये जो स्पष्ट गम्भीर मामला है, शर्मनाक मामला है उस पर सदन विचार न कर सके यह दलील मैं समझता हूं कि उठाने लायक नहीं है और मैं माननीय महाबीर प्रसाद जी से यह कहना चाहूंगा कि उन्हें भी विशेषाधिकार समिति में रहने का मौका मिला है, कानून की जानकारी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या विशेषाधिकार समिति उस तरफ भी जा सकती है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि रावत जी ने कहा कि यह मामला ऐसा है कि जो आपने विशेषाधिकार समिति के सुपर्द तो कर दिया लेकिन अब तीन महीने के बाद हम बैठेंगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

और तीन महीने के बाद जो सेन्स है विशेषाधिकार के प्रश्न का कि ऐसे प्रश्न जल्दी फैसल होने चाहिये और जल्दी उन पर कार्यवाही होनी चाहिये वह खत्म हो जायगा । मैं समझता हूं कि इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया ? इसलिये मैं आपका ध्यान इसकी तरफ दिलाना चाहता हूं । आपने इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया है । वह तो विचार करेगी ही लेकिन जैसा कि माननीय रावत जी ने कहा है कि अधिकारियों को यहां पर बुलाया जाय और सदन के सामने कल बयान दिया जाय जिससे सदन को मौका मिल सके कि वह अपना निर्णय दे सके तो मैं समझता हूं कि न्याय जल्दी हो सकेगा । जितना न्याय देर में होता है उतना ही उसका कोई अर्थ नहीं होता है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कामरोको प्रस्ताव की स्वीकृति दें और इस पर विचार होने दें और जल्दी से जल्दी इसके निर्णय करने का रास्ता निकालें । जैसा कि उन्होंने बताया कि वह वाजिब है ।

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से, जो तकरीरें हो रही थीं, उनको सुनता रहा हूं और आपने जो फैसला अभी दिया है और इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया है वह भी मैंने सुना । जाहिर है कि एक मामला इसमें ब्रीच आफ रूल्स का है और वह यह है कि किसी मेम्बर का अरेस्ट हुआ और उसकी इत्तिला इम्मीडियेटली हाउस को नहीं की गई । यह तो नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कोई मामला ब्रीच आफ प्रिविलेज का नहीं है । यह मुमकिन हो सकता है कि बाज जुज हों और बाज जुज न हों । इनका फैसला कमेटी खुद करेगी । इस मामले का फैसला हम नहीं कर सकते हैं । लेकिन यह मानना पड़ेगा कि कोई न कोई जुज ऐसा है कि जो ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला रेज हुआ है, उसको आपने सही तरीके से प्रिविलेज कमेटी के हवाले कर दिया है ।

दूसरा सवाल यह होता है कि जब आपने इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दिया है तो यह देखना है कि आपका रूल ५९ क्या कहता है ? उसमें यह है कि---

"The right to move the adjournment of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance shall be subject to the following restrictions, namely—

(1) not more than one such motion shall be made at the same sitting ;

(2) not more than one matter shall be discussed on the same motion ;

(3) the motion shall be restricted to a speific matter of recent occurrence ;

(4) the motion shall not raise a question of privilege;"

अब यह है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल उठ गया है और आपने उसको रेफर कर दिया है प्रिविलेज कमेटी को तो एडजर्नमेंट मोशन का सवाल नहीं आता है । जो माननीय रावत जी ने कहा है उसकी अहमियत को हम महसूस करते हैं और सारा हाउस एग्रीड है और आपने भी कहा है कि अहम मामला है । इसमें देरी नहीं होनी चाहिये । इसमें दिक्कत यह है कि कल हाउस उठ रहा है । बहरहाल, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर जो भी हो सके और स्टेटमेंट वायरलैस से या जैसे भी मिल सकेगा, कल हाउस के सामने पेश कर देंगे । अगर हो सकेगा तो साढ़े ग्यारह बजे तक वरना दो बजे पेश कर देंगे । उस वक्त मुख्य मंत्री जी भी होंगे या कोई और सीनियर मिनिस्टर होगा या मैं होऊंगा तो आपके सामने स्टेटमेंट रख देंगे ताकि मेरे ख्याल में मेम्बरान को इत्मीनान हो जाय कि इसकी इत्तिला गवर्नमेंट को हो गई और ऐक्शन लेगी । हम जानते हैं और शासन ऐक्शन लेगा । आप जो फैसला दे चुके हैं वह सही दिया है । हमें उसके फैसले का इन्तजार करना पड़ेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

उपाध्यक्ष महोदय, इस एडजर्नमेंट मोशन के बारे में दो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अपनी राय दी। लेकिन मैं इसके ऊपर कहूंगा कि मुझे दुख है कि एक माननीय सदस्य के साथ ऐसा दुर्व्यहार हुआ और चोटें लगीं और दोनों मंत्रियों में से किसी ने इस घटना के औचित्य और अनौचित्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसका हमें बड़ा खेद है, जबकि प्रधान मंत्री जी ने खेद प्रकट किया था। विरोधी दल के माननीय सदस्य के साथ यह बात हुई है। दूसरी बात माननीय मंत्री ने यह कही कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है। सरकार कोई स्थूल वस्तु नहीं है जिसको टच कर दें। दरोगा, मुंसिफ, जज, यह सरकार की कड़ी हैं और उनके ऐक्शन के लिये सरकार जिम्मेदार होती है। माननीय न्याय मंत्री ने कहा, और कोई कहता तो मुझे दुख न होता जो एक्सेप्शन है सेक्शन ५६(४) में वह यह है--

मैं कहता हूं कि एडजर्नमेंट मोशन की बहस में हम उन पहलुओं को छुएंगे नहीं जिन पर ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है। हम बाकी पहलुओं पर विचार करेंगे। जो पब्लिक का सप्रेशन करते हैं, सदन के माननीय सदस्यों के खिलाफ भी थर्ड डिग्री मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, इस पर हम बहस करेंगे। महज टेक्निकैलिटीज का लाभ उठाकर यह कह देना कि क्लाज (४) अलाऊ नहीं करता, क्लाज (४) बिल्कुल स्पेसिफिक है, सारे मामले उसमें नहीं आते, लाठी से मारा, जबरदस्ती पकड़ लिया, सारी पब्लिक के कहने पर भी माननीय सदस्य हैं उनके साथ जो व्यवहार किया उससे पब्लिक क्या सोचेगी, यह प्रिविलेज का सवाल नहीं है। प्रिविलेज में तो केवल दो प्वाइंट्स डिस्कस किये जायेंगे। मेरे में योग्यता नहीं, मैं कैसे समझाऊं? इस मामले के दो पहलू हैं। इन दोनों पहलुओं पर विचार करें। माननीय मंत्री ने यह नहीं कहा कि थर्ड डिग्री मेथड्स इस्तेमाल करो। लेकिन यह नीति की बात है कि पुलिस आज भी थर्ड डिग्री मेथड्स एडाप्ट करती है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--

आप कृपा करके एडजर्नमेंट मोशन को पढ़ कर सुना दें, तो माननीय मंत्री जी का भ्रम दूर हो जायगा।

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)--

मैं उसी जिले से संबंध रखता हूं। मेरी बात सुन लीजिये। जहां तक सवाल प्रिविलेज मोशन का है वह तो आपने दे दिया है। जैसा कि साथियों ने कहा हम लोग खास तौर से, इस ओर के लोग इसके शिकार होते चले आये हैं। जो चोरी बदमाशी होती है उसमें पुलिस का हाथ रहता है। इस नाते अगर यह कामरोको प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो हम लोगों को मौका मिलेगा कि जो सारी चोरियों को करवाते हैं, उनको हम लोग सामने रखेंगे, इसलिये इस कामरोको प्रस्ताव को जरूर मंजूर करें। अगर नहीं मंजूर करेंगे तो हम लोगों के दिलों को दबाया जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

मेरी प्रार्थना है कि आप एडजर्नमेंट मोशन पढ़ दें।

श्री उपाध्यक्ष--

सारा डिस्कशन हो गया है। कोई बात बाकी नहीं रह गई है। इसलिये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसमें दो रायें नहीं है, इधर के और उधर के सभी माननीय सदस्यों ने इसकी गम्भीरता को माना है और गंभीरता बहुत काफी है। अब सवाल केवल इतना रह जाता है कि कौन-सा तरीका हम अख्तियार करें जिससे कि जो गलती हुई है उसका समाधान हो जाय। अब सवाल यह है कि

---

*वक्ता भाषण कर पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]
एक प्रिविलेज मोशन मैंने अभी स्वीकार किया है उसमें सारी बातों को मैंने रेफर कर दिया है। सारी बातें और जितने कागजात हैं सब भेज दिये हैं और जो सारे प्वाइंट्स रेज किये हैं वह प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दिये गये हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---
कृपया सुना दें कौन-कौन से हैं।

श्री उपाध्यक्ष---
सवाल यह है कि हाउस को मौका मिलना चाहिये डिस्कस करने का और कायदे से मिलना चाहिये यह ठीक है। मान लीजिये कि इस कामरोको प्रस्ताव को हम मान भी लें तो केवल दो घंटे आपको मौका मिलेगा लेकिन प्रिविलेज कमेटी में दिया है, वहां सब बात साबित करने का मौका मिलेगा दोनों तरफ से और यह बात भी है कि अक्यूज्ड को बिना सुने फैसला करेंगे नहीं। यह कहा जाता है कि कल हाउस के सामने बुला लिया जाय। यह घटना हाउस के सामने हुई नहीं इसलिये हाउस को रेफरेंस हो नहीं सकता। इसलिये प्रिविलेज कमेटी को दे दिया गया। प्रिविलेज कमेटी अपना प्रतिवेदन देगी। उस प्रतिवेदन पर दो घंटे क्या और ज्यादा काफी मौका बहस का मिलेगा, अच्छी तरह से आप बहस कर सकते हैं। एक अनफार्चुनेट बात जरूर है कि कल हाउस उठ रहा है। लेकिन लाचारी की बात है।

प्रिविलेज कमेटी क्वासी जुडीशल इनक्वायरी करेगी उसमें बहुत से प्वाइंट्स आयेंगे। इसलिये आज किसी तरह का डिस्कशन होना ठीक नहीं समझ में आता है। इसके अलावा एक बात और है जो माननीय मंत्री ने कही कि गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। मैं समझता हूं कि सभी कर्मचारियों की हर एक ऐक्शन की सरकार जिम्मेदार है लेकिन कामरोको प्रस्ताव में जितनी जिम्मेदारी की जरूरत है, डाइरेक्टली जिम्मेदारी होनी चाहिये उस तरह की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिये मैं कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---
क्या मंत्री जी को मारना चाहिये, एडजर्नमेंट मोशन के लिये?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---
मुझे बड़ा दुःख है कि मेरे एडजर्नमेंट मोशन को अलाऊ नहीं किया हम सबके सब वाक आउट करते हैं।

(जनतंत्र दल के सदस्य सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री दीपनारायणसिंह---
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौन-कौन प्वाइन्ट्स आपने प्रिविलेज कमेटी को भेजे हैं?

श्री उपाध्यक्ष---
पूरा मामला भेज दिया है।

(व्यवधान)

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---
संयुक्त समाजवादी दल पांच मिनट के लिये वाक आउट करता है।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन छोड़ कर चले गये इसी के साथ समाजवादी दल के सदस्य भी सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---
यद्यपि मैं वाक आउट का कभी भी समर्थक नहीं हूं परन्तु इस गंभीर समस्या पर आपने जो निर्णय किया है उससे असहमति प्रकट करते हुये हम सब लोग वाक आउट करते हैं।

(स्वतंत्र पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री लखपतराम शर्मा--

थानेदार ने जो जुल्म किया है वह व्यक्तिगत रूप से नहीं किया है बल्कि सरकारी मुलाजिम की हैसियत से किया है। यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता कि बहुमत की शक्ति के ऊपर हम लोगों पर जुल्म करवाया जाय। इसके विरोध में हम लोग वाक आउट करते हैं।

(श्री लखपतराम शर्मा ने सदन का परित्याग किया।)

श्री नेकराम शर्मा--

आपने जो व्यवस्था दी है उसका हम विरोध करते हैं और हम और हमारा दल लंच तक के लिये वाक आउट करता है।

(श्री नेकराम शर्मा तथा उनके दल के सदस्य सदन छोड़ कर चले गये इसके साथ श्री श्यामलाल तथा उनका दल भी सदन छोड़ कर चला गया।)

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह--

हम लोग मजबूरन वाक आउट करते हैं।

(श्री दीपनारायणसिंह ने सदन का त्याग किया।)

श्री चन्द्रजीत यादव--

मैं समझता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है और इस बात पर जो सरकार के कर्मचारियों ने किया है सदन को विचार करना चाहिये। विशेषाधिकार का प्रश्न अलग से है। लेकिन कामरोको प्रस्ताव पर सदन अपनी राय देता उसको आपने नहीं माना इसलिये हमें अफसोस है और इसलिये हम सदन का त्याग लंच तक के लिये करते हैं।

(इसके उपरान्त साम्यवादी दल के सदस्य सदन को छोड़ कर चले गये।)

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५२ की कई सूचनाएं आयी हैं। एक माननीय सुदामा प्रसाद जी की है। वह मैंने गवर्नमेंट के पास भेज दी है केवल वक्तव्य के लिये।

एक माननीय अवधनारायण प्रतापसिंह जी की है। उसको मैंने नेसेसरी ऐक्शन के लिये गवर्नमेंट के पास भेज दिया है।

*श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जिन डाकुओं ने मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के उस लड़के को पकड़ा है वह निश्चित रूप से मेरे लिये उन्होंने वह योजना बनायी थी। मैं केवल पांच मिनट लेट वहां पहुंचा था, पांच मिनट पहले वह मेरे लिये योजना बनी थी। इसके अलावा उसी दिन सवेरे ६ बजे जब मैं जा रहा था तो दो डाकू नदी के किनारे घूम रहे थे। उस दिन रात भर मेरे लिये घेरा पड़ा रहा और मैं यह बता दूं कि यह केवल डाकुओं की योजना नहीं है बल्कि हमारे जो जिला परिषद् के चुनाव आ रहे हैं उसके लिये चेतावनी दी गई थी एक महीना पहले कि आप उस क्षेत्र में न जांय, तो यह उसकी तैयारी है। गत वर्ष मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई थी और इस वर्ष मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लड़के को पकड़ लिया गया। तो मेरी यह प्रार्थना है कि इसकी सी० आई० डी० द्वारा एन्क्वायरी हो। मैं अपने दल के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कार्यकर्ता की जिन्दगी और मौत का सवाल है, इसलिये इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायी जाय और जो दोषी मिले उसे सजा दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

एक सूचना मेरे पास माननीय राजेन्द्रसिंह जी की आयी है नियम ५२ के अन्तर्गत। उसको मैंने मुख्य मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी नियम ५२ की सूचना पढ़ तो दें।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो स्टेटमेंट हो जायगा उस पर।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---

मेरा निवेदन यह है कि उसको कम से कम आप पढ़ने की कृपा तो करें। आपने नियम ५२ में उसे स्वीकार नहीं किया, केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है तो उसको पढ़ तो दें।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा लीजिये। मैं नियम ५२ के अनुसार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम सैदपुर, थाना महरोनी (जिला झांसी) में सैदपुर मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री भैयालाल जैन का पुत्र श्री धरमचन्द जैन (१८ वर्ष) को ३१ मार्च, १९६३ की रात को लगभग सवा आठ बजे १०-१२ बन्दूकधारी डकैत घर से पकड़कर ले गये। मैं वहां पर ५ मिनट पीछे पहुंचा अन्यथा यह योजना मुझे पकड़ने की थी।

मान्यवर, उक्त घटना से उस क्षेत्र के निवासी बड़े भयभीत हैं और उनमें बड़ा आतंक व भय व्याप्त हो गया है, इसलिये मैं माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस माननीय सदन में इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने की कृपा करें कि अभी तक इसमें क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

जिला परिषद्, गोरखपुर द्वारा स्वीकृत करमैनीघाट का ठेका सरकार द्वारा समाप्त कर दिये जाने के सम्बन्ध में मन्त्री का वक्तव्य

श्रममंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

जिला गोरखपुर के कुछ मल्लाहों ने अपनी एक सहकारी संस्था बना रखी है जिसका नाम नाविक जल सहकारी मजदूर संघ है। पिछले दो वर्षों में यह संघ प्रयत्न करता रहा है कि जिले की जो नौका घाटें हैं वे बिना नीलाम किये संघ को दे दी जावें। गत वर्ष अप्रैल में इसी संबंध में संघ द्वारा एक भूख हड़ताल आन्दोलन भी चालू किया गया था तथा इसी संबंध में विकास मंत्री द्वारा एक वक्तव्य सदन में १९ अप्रैल, १९६२ को दिया गया था।

इस वर्ष करमैनी घाट का ठेका ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने को था। अतः परिषद् द्वारा नियमित रूप से इस नीलाम करने का १३ दिसम्बर, १९६२ को आयोजन किया गया, जो कि २३,००० रुपये की बोली पर छूटा। परिषद् ने इस बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया क्योंकि नियमावली इसे स्वीकार करने के पूर्व बोलने वाले की हैसियत इत्यादि की जांच करना आवश्यक था।

इसी बीच संघ ने आयुक्त, गोरखपर डिवीजन को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २ जनवरी, १९६३ को दिया जिसमें यह कहा गया था कि संघ उक्त घाट का ठेका २२,५५० रुपये में लेने को तैयार है जो कि पिछले ५ वर्षों में हुई आय के औसत से अधिक था। आयुक्त ने संघ के प्रार्थना-पत्र को शासन को अग्रसारित कर दिया तथा यह सिफारिश की कि संघ को यह घाट ठेके पर बिना नीलाम किये एक वर्ष के लिये दे दिया जावे। शासन ने अपने दिनांक १६ फरवरी, १९६३ के आदेश द्वारा आयुक्त के सुझाव को स्वीकार कर लिया तथा अंतरिम जिला परिषद् को भी तदनुसार सूचित कर दिया गया।

इसी विषय पर अध्यक्ष, अंतरिम जिला परिषद् का भी पत्र शासन को प्राप्त हुआ। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि एक ऐसी संस्था को यह घाट ठेके पर दे दिया गया है जिसने कि नीलामी में भाग नहीं लिया था। इसके कार्यकर्त्ता कम पढ़े लिखे थे तथा उनको इस बात का कोई अनुभव नहीं था कि इस प्रकार के घाटों का किस प्रकार संचालन किया जावे। करमैनी घाट, जिला गोरखपुर तथा बस्ती के बीच एक महत्वपूर्ण घाट है और इन सब बातों पर विचार करते हुए और इस बात पर भी ध्यान देते हुए कि यह घाट परिषद् के अन्तर्गत है तथा इस विषय में सारी जिम्मेदारी अन्ततोगत्वा परिषद् पर होगी, शासन ने अपने आदेश दिनांक १६ फरवरी, १९६३ को रद्द कर दिया तथा यह आदेश दिया कि इस घाट को नियमानुसार नीलामी से ठेके पर दे दिया जावे।

इस संबंध में यह कह देना अनुपयुक्त न होगा कि शासन ने सहकारी समितियों को सहायता देने की नीति के अनुसार आजमगढ़ जिले के बेवरी गोला घाट बाजार का ठेका नाविक जल मजदूर समिति को १२,३३५ रु० वार्षिक पर एक वर्ष के लिये दे दिया है और आशा है कि यह संस्था अपने कार्य को सफलतापूर्वक करेगी तथा अन्य संस्थाओं को एक आदर्श उपस्थित करेगी।

कानपुर में शराब की गद्दियों तथा ताड़ीखानों के खुल जाने के संबंध में मंत्री का वक्तव्य

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

श्री हरीशकुमार गंगवार तथा ठाकुर चिरंजीलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव जो कानपुर में शराब की दुकानों से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के संबंध में है, के विषय में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि गत दिसम्बर मास में कानपुर नगर में मद्यनिषेध के पुनर्गठन होने के पश्चात् २० शराब की दुकानें खुलीं जिनमें १४ दुकानें उन्हीं बस्तियों में खोली गई हैं जहां पर इस जिले में मद्यनिषेध लागू होने से पूर्व वर्तमान थीं। उनके नाम इस प्रकार हैं :—

१—पलटनगद्दी, २—परमट, ३—ग्वालटोली, ४—नवाबगंज, ५—खटिकाना, ६—रायपुरवा, ७—रामबाग, ८—जूही, ९—नाचघर, १०—सिकली मोहाल, ११—बाजार रामनारायन, १२—कर्नलगंज, १३—रूमा, १४—पनकी।

इन दूकानों में ग्वालटोली, रामबाग, नाचघर और सिकली मोहाल की शराब की दुकानों में जनता की ओर से आपत्ति की गई कि वे घनी बस्तियों में खोली गई हैं किन्तु वे बस्तियां इतनी घनी हैं कि उनमें जहां कहीं भी दूकानें रखी जायंगी शिकायत बनी रहेगी। खटिकाना शराब की दूकान के विषय में कोई शिकायत नहीं आई और न उसका घनी बस्ती में होना ही कहा जा सकता है किन्तु दुर्भाग्यवश उसके निकट एक कत्ल हो जाने के कारण जनक्षोभ होना स्वाभाविक हो गया यद्यपि इस कत्ल का शराब की दूकान से कोई संबंध नहीं पाया जाता।

इसके अतिरिक्त ६ नई दूकानें १—गुमटी नं० ५, २—मीरपुर, ३—आर्यनगर स्वरूप-नगर, ४—गोविन्दनगर, ५—चकेरी, और ६—रावतपुर में खोली गई।

जहां तक नई दुकानों का संबंध है कोई भी दूकान घनी बस्ती में नहीं खोली गई। इस संबंध में जनता द्वारा शिकायत नहीं है। केवल आर्यनगर स्वरूपनगर की दुकान पर रहायसी मकानों के निकट होने के कारण कुछ व्यक्तियों ने आपत्ति की यद्यपि इसका संबंध शान्ति व्यवस्था से नहीं था।

जहां तक ताड़ी की दूकानों का संबंध है वे खटिकाना ताड़ी की दूकान को छोड़कर सभी अपनी पुरानी बस्तियों में खोली गई हैं। खटिकाना ताड़ी की दुकान अपना पुराना स्थान न मिलने के कारण लगभग २।। मास बन्द पड़ी रही और ठेकेदार को बिना व्यवसाय किये लाइसेंस

[डाक्टर सीताराम]

फीस देनी पड़ी। गतमास वह निकटवर्ती स्थान कोरपगंज में अस्थायी रूप से खोली गई और १८ मार्च, १९६३ को दो दलों में आपसी रंजिश के कारण दूकान के अन्दर झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप तीन हत्यायें हो गईं।

जिसके अधिकारीगण ग्वालटोली, सिकलीमोहाल, नाचघर तथा रामबाग, पी० रोड, दूकानों को अन्यत्र ले जाने के विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं किन्तु स्थानाभाव के कारण विवश हैं। अतः शीघ्र ही इस संबंध की समस्यायें लाइसेंसिंग बोर्ड के समक्ष जाने की आशा है। वह इस बारे में अपने सुझाव देगा। बोर्ड की नियुक्ति के लिये कार्यवाही की जा रही है।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

इस पर वक्तव्य किस तारीख को दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय पुलिस मन्त्री यहां पर नहीं हैं। कल पूछ लेंगे।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---

कल पूछेंगे तो फिर कब वक्तव्य मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय वे नहीं हैं तो फिर किससे पूछा जाय।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---

कब तक यह सूचना प्राप्त हो सकेगी यह विभाग से मालूम करने के बाद ही कहा जा सकता है।

विभिन्न समितियों के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष---

अब मुझे यह घोषणा करनी है कि जो आज चुनाव होने वाले थे उनमें हालांकि टाइम नहीं रखा गया था फिर भी समझौता हो गया है। इसलिये उनका विद्ड्रास मंजूर कर लिया गया है। अब जो निर्विरोध चुने गये हैं वह मैं आपके सामने रखता हूं। प्राविधिक शिक्षा के लिये ४ नाम थे हैं :

श्री शिवनाथसिंह, कानपुर; जगन्नाथ सिंह, फतेहपुर; श्रीमती सुशीला रोहतगी, कानपुर और ऋषिनारायण शास्त्री, वाराणसी।

भुवानी कंसेटोरियम के लिये श्री पशुपतिनाथसरनसिंह, रायबरेली और हमीद खां, कानपुर।

लाभप्रद विषयक संयुक्त समिति के लिये श्री अवैद्यनाथ, गोरखपुर।

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एजूकेशन के लिये माननीय जगदीशशरण अग्रवाल, बरेली और जयंतसिंह, बिजनौर।

कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिये माननीय कोतवालसिंह भदौरिया, फर्रुखाबाद और नरेन्द्रसिंह विष्ट, पिथौरागढ़।

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये माननीय चन्द्रजीत यादव, आजमगढ़ श्री जगदीश शरण, रस्तोगी, मेरठ, श्री जे० पी० मिश्र, हरदोई और माननीय श्रीनिवास, अलीगढ़।

आवास मंत्रणा समिति तथा कार्य मंत्रणा-समिति के मनोनीत सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

कुछ कमेटियों से माननीय नेकराम शर्मा जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो उनकी जगह में आवास मंत्रणा समिति में माननीय प्रेम सुन्दर, मेरठ को नियुक्त करता हूं। कार्य मंत्रणा समिति से भी माननीय नेकराम जी ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह श्री नरदेव सिंह, बिजनौर को नियुक्त किया गया है।

नवयोजित संयुक्त समाजवादी दल में सम्मिलित होन वाले सदस्यों के नामों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे एक सूचना और देनी है। यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के लिये जो नाम पहले आ चुके हैं उनके अलावा तीन माननीय सदस्यों ने और अपने नाम भेजे हैं। उनके नाम हैं माननीय शिवचरन लाल, माननीय मुल्तान सिंह और माननीय बाबू सिंह। इन तीन माननीय सदस्यों ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन करने की सूचना दी है।

प्रदेश के कुछ जिलों में उपलवृष्टि तथा वर्षा से क्षति के विषय में मंत्री द्वारा २१ मार्च, १९६३ को नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य में शोधन

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री ब्रजबिहारी)---

उपाध्यक्ष महोदय, उपल वृष्टि से हुई क्षति के विषय में मैंने एक वक्तव्य २१ मार्च, १९६३ को सदन में दिया था, जिसमें गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में १११ प्रभावित गांवों में क्षति की मात्रा १५ नये पैसे से कम बतायी गयी थी। जिलाधीश, गोरखपुर ने अब यह सूचित किया है कि उक्त क्षति की मात्रा १५ नये पैसे से कम के स्थान पर ५० नये पैसे से कम है। ऐसा टाइप की गलती से हो गया था। सही सूचना निम्न प्रकार है:---

"महाराजगंज तहसील में १८३ ग्राम प्रभावित हुए जिनमें से ६२ गांवों में रबी को ७५ नये पैसे से अधिक, १० में ५० तथा ७५ नये पैसे के मध्य तथा शेष १११ में ५० नये पैसे से कम की क्षति का अनुमान है।"

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२*

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है। एक तो इसका मकसद यह है कि पहले हमारे नियमों में इस बात का विधान था कि आम चुनाव के बाद सदस्य जैसे ही निर्वाचित होते थे और नये सदन का संगठन होता था, सदस्यों को उस समय से वेतन मिलना शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार इसमें यह संशोधन कर दिया गया कि सदन में शोथ लेने के समय से वह वेतन

---

*३-१२-६२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री बनारसीदास]
मिलेगा। यह थोड़ा उचित नहीं मालूम होता था इसलिये इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि जिस दिन से सदन का संगठन हो उस दिन से सदन के माननीय सदस्यों को वेतन दिया जाय, न कि जिस दिन से वे ओथ लें। एक तो इसका लक्ष्य यह है।

दूसरी चीज यह है कि अभी तक माननीय सदस्यों को यहां पर निःशुल्क आवास की व्यवस्था है, लेकिन आवासों की काफी कमी है। इसलिये दो तरह के आवास बताये जाते हैं। एक तो जिसमें दो शय्यायें हैं और दूसरे जिनमें एक शय्या है। यानी 'क' और 'ख', यह दो श्रेणी के आवास हैं ऐसे भी सदस्य काफी हैं, जिनके लिये 'क' और 'ख' किसी प्रकार के आवास की भी रहने के लिये व्यवस्था नहीं की जा सकी है। उनके लिये नियमों में अब तक इस प्रकार की व्यवस्था थी कि ७५ रुपये माहवार उनको कम्पेन्सेटरी एलाउन्स दिया जाय। लेकिन जो लोग 'ख' आवासों में रहते थे, जो कि छोटे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कम्पेन्सेटरी एलाउन्स नहीं दिया जाता था। इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि जो 'ख' किस्म के आवास में रहते हैं, उनको ३५ रुपये का कम्पेन्सेटरी एलाउन्स दिया जाय। जिनके पास आवास नहीं है, उनको ७५ रुपया मिलता रहे। यही इस विधेयक का मकसद है। जैसा उस दिन निश्चय किया गया कि यह विषय विवादास्पद नहीं है, यह सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर मिलेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश-शरण अग्रवाल, एडवोकेट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक माननीय बनारसीदास जी ने इस सदन के सामने जिस रूप में प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बहुत ताज्जुब करता हूं कि ऐसा विधेयक सदन के समक्ष उस वक्त आया जबकि देश के सामने सुरक्षा का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय कमला सिंह जी, आप यह बतायें कि आपने जो संशोधन दिया है उसको आप प्रस्तुत कर रहे हैं या केवल विरोध कर रहे हैं?

श्री कमलासिंह यादव---

जी नहीं, संशोधन नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, विरोध कर रहा हूं।

श्रीमन्, यह देखा जा रहा है कि एक तरफ हम यह राग अलापते हैं कि टैक्सेशन अधिक होना चाहिए, बाहर से ऋण ले रहे हैं ताकि देश के किसान के सर को ऊंचा करें, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी ब्लाक डेवलपमेंट की जो स्कीमें हैं उनमें जिस आदमी के पास पैसा है सिर्फ उसी की इमदाद करते हैं, जिसके पास नहीं है उसको कोई फायदा नहीं पहुंचता। आज गांव का नौजवान जिसके हाथ में फावड़ा चलाने, हल चलाने, मिट्टी खोदने की ताकत थी वह शहर की तरफ जा रहा है। बाहर जब विदेशों में हम अपने लड़कों को भेजते हैं तो वहां देखा जाता है कि लोग वहां खुद काम करके और खुद पालन-पोषण अपना करके विद्याध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अफसोस है कि यहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो कोई आदमी काम करने की तमन्ना रखता हो उसे कोई रोजगार मिल सके जिससे उसका जीवन का भरण और पोषण हो सके।

आज हमें अमेरिका, इंगलैंड और कैनाडा से भी इमदाद मिल रही है और कांस्टिट्युएंसी में जाकर लोगों को बताया जाता है कि वे सुरक्षा कोष में धन और सोना दें। इस तरह की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भावना लेकर लोग यहां से जाते हैं। पहले गवर्नमेंट टैक्सेशन करती थी आर्डिनेंस द्वारा, लेकिन एक नयी प्रेरणा पैदा हुई कि किसान के नुमाइंदे सदन के सामने आने लगे। वह इसलिए नहीं आये कि जिस तरीके से चाहें टैक्सेशन करें, बल्कि किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको शेल्टर करने के लिये हमें यहां भेजा गया, लेकिन अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि हमने यहां क्या करतूत की है। जब किसान मुझ से पूछता है कि तुमने क्या किया तो मैं कहता हूं कि हमने फर्दर टैक्सेशन बढ़ाया है, रिलीफ की कौन कहे। हम उसे सान्त्वना देते हैं कि संतोष रखो, लेटर-आन तुम्हें रिलीफ मिलेगी। लेकिन इस वक्त तो अपने में एक ताकत पैदा करना है कि हम इस एडमिस्ट्रेशन को चलाने के लिये टैक्सेशन को देने की कोशिश करें। माननीय गुप्त जी, १९२४ में, जब यहां अपोजीशन की बेन्चेज पर बैठते थे तो एक बार उन्होंने कहा—

".... 'Well, all we have done for you is this,we have imposed further taxation upon you.' We were returned to this Council in order to carry relief to them and we go back to them and tell them: 'Well, you can have relief later on, but you must first of all make up your mind to pay more towards the exchequer so that the ordinary duty of the humdrum administration may be carried on'."

तो उनकी यह भावना थी। आज हम यह भी देख रहे हैं कि टैक्सेशन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अभी अखबारों में भी निकला था कि माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से यह कहा कि अब कोई स्कोप नहीं है कि हम फरदर टैक्सेशन करें। यह भी हमारे सामने है कि ७ करोड़ की मालगुजारी बढ़ कर २७ करोड़ हो गयी।

श्री अधिष्ठाता—

मैं एक बात आपसे निवेदन कर दूं, कमलासिंह जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस विधेयक के लिये एक घंटे का समय रखा है। मैं रोकता नहीं हूं आपको, लेकिन आप समय का ध्यान रखें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, इसी विचार से मैंने अपना संशोधन नहीं रखा।

एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जब आपात भार लगा था उस वक्त माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जब हम वृहत् जोतकर ले आयेंगे तो गरीबों को उससे अलग कर देंगे। अब वह ऐक्ट भी पास हो गया, लेकिन गरीब किसान, जिसके पास अलाभकर जोत थी, उसको कोई रिलीफ निहीं मिली। आज सुरक्षा का प्रश्न देश के सामने है, हम लोगों से यह कहने जा रहे हैं कि तुम एक वक्त भोजन करो, एक ववत का भोजन देश के लिये दो, तो उस वक्त अपने स्वार्थ के लिये अगर हम यह करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। जब शुरू में माननीय सदस्यगण आये तो उन्होंने खुद कमरे लिये, कोई ग्रज नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि संतोषजनक ढंग से वे कमरों में रह रहे थे, लेकिन फिर एक प्रलोभन पैदा किया गया और वह यह कि जो छोटे कमरों में रहते हैं उनको ३५ रुपये महीना एलाउन्स दिया जायेगा।

एक सदस्य—

यह गलत है, कोई प्रलोभन नहीं दिया गया।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर मुझे छोटा कमरा रहने के लिये मिलता है तो मुझे यह नहीं कहना चाहिये कि बड़ा कमरा ही मुझे मिले। साथ ही साथ यह है कि जो आदमी दूसरे के साथ रह रहा हो उसे ७५ रुपये दिये जायंगे। कोशिश तो यह करनी चाहिये कि जल्दी से जल्दी एकोमोडेशन पैदा की जाय। अगर कोई किसी के साथ रह रहा हो तो उसे ७५ रुपया देना उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मैं इस बिल का जितना विरोध कर सकता हूं, उतना करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं बनारसी दास जी से जानना चाहूंगा कि इस हाउस में एक बार एक बिल पेश किया गया था और फिर वापस क्यों लिया गया ?

श्री कमलासिंह यादव---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस विधेयक में बहुत खामियां हैं। अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो सैलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं नहीं समझ सका कि ६ महीने पहले अपने प्रदेश की क्या हालत थी और ६ महीने बाद वह इतनी अच्छी हो गई कि मंत्री जी की ओर से यह बिल लाया गया।

इस बिल में दो संशोधन हैं। एक यह है कि जिन माननीय सदस्यों के पास छोटे कमरे हैं उन्हें कुछ किराया बढ़ाकर दिया जाय ७५ रुपया पूरा कर दिया जाय, यानी और ३५ रुपया मासिक उन्हें दिया जाय। दूसरा यह है कि शपथ-ग्रहण और चुनाव के बीच के समय का वेतन दिया जाय, जो मैं समझता हूं कि हर सदस्य को करीब ५०, ८५ रुपये होगा। मैं नहीं समझ सका कि कितने छोटे कमरे हैं, वह तालिका मंत्री जी के पास होगी। लेकिन यह संशोधन लाने के माथने हैं माननीय सदस्यों को जनता की निगाह में गिराना। मैं माननीय बनारसीदास जी से स्पष्ट सवाल करता हूं कि वह स्पष्ट उत्तर दें कि कितने मेम्बर छोटे कमरों में रहते हैं और कितनों ने उनके पास दरख्वास्त दिया है कि हमको बड़े कमरे का एलाउन्स मिलना चाहिये ? नम्बर २ यह बात है कि कितने मेंबरों ने उनसे कहा है कि उस पीरियड का वेतन मिलना चाहिये जो उनको नहीं मिला है ? खैर, असेम्बली में संशोधन लाने का कोई कारण होना चाहिये। अगर हमें ये सब बातें मालूम हो जावें तो इस विधेयक का समर्थन करने में आसानी होगी। मेरा खयाल है कि इसका दिग्दर्शन नहीं कराया गया है। मैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि संकटकाल में, जबकि गरीब जनता से और भीख मांगने वाले तक से पैसा हम सुरक्षा कोष में चाहते हैं तो इन मेम्बरों को जिन्हें २०० रुपया माहवार मिल रहा है गरीब जनता से ऊपर स्थान हम लोगों का है उनको ३५ रुपया माहवार या ७५ रुपया और देकर जनता की निगाह से गिराओ मत।

आपको याद होगा, श्रीमन्, माननीय सम्पूर्णानन्द जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी एक ऐसा बिल लाना चाहा था कि मेम्बरों का वेतन २०० से बढ़ाकर ३०० कर दिया जाय। लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी थी कि हम उसी समय यह बिल हाउस में लायेंगे जबकि विरोधी दल के लोग भी सहमत हों। श्रीमन्, हम लोगों ने कहा कि हम सहमत नहीं है। माननीय सम्पूर्णानन्द जी उस बिल को हाउस में नहीं ला सके। माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी और माननीय बनारसीदास जी रोजाना लेक्चर देते हैं कि कम खर्च करो, मितव्ययिता करो, लेकिन इस बिल के जरिये माननीय मेम्बरों को जनता की निगाह में गिराने की साजिश करके कुछ मेम्बरों को गुमराह करते हैं और उन्हें अपनी ओर खींचना चाहते हैं। आप हमें बतावें स्पष्ट तौर से कि किन मेम्बरों ने आपसे इस दढ़ोत्तरी के लिये कहा है ? उनमें उधर के कितने हैं और इधर के कितने हैं ? कौन-कौन हैं ? और अगर केवल सरकार की इच्छा है तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं। जैसे ६ महीने पहले ऐसा बिल वापस लिया ऐसे ही इसे भी वापस ले लें।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, पहले मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि यह बिल मनी बिल है या नहीं। अगर है तो ज्ञापन भी आना चाहिये था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनारसीदास---

आप गौर से पढ़ें तो ज्ञापन-पत्र भी इसमें है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

अगर इस बिल को सही तरीके से देखा जाय तो बजाय इसके कि माननीय सदस्यों को कुछ मिल जावेगा, इसमें हर सदस्य का नुकसान होने की सम्भावना है। मेरा खयाल है कि माननीय सदस्यों ने उधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसूल ही इनकम टैक्स का यह है कि २०० के साथ ७५ रुपये हाउस एलाउन्स का मानने से हर सदस्य की तनख्वाह २७५ रुपये माहवार हो जायगी। इनकम-टैक्स वाले उसकी आय ३,३०० रुपये साल मानकर उस पर टैक्स लगा देंगे। जिस समय साल की आमदनी ३,००० से ज्यादा उठ गई तो हर सदस्य को इनकम टैक्स वालों के पास जाना होगा। यदि किसी सदस्य की २ जगह हैं या दो से ज्यादा हैं तो उन्हें मिलाने के बाद उसकी आमदनी ३,६०० से ज्यादा हो जायगी और हर माननीय सदस्य इनकम-टैक्स का असेसी हो जायगा। छोटे कमरे वाले को आप ३५ रुपया देना चाहते हैं तो दीजिये। वे भी हमारे भाई हैं। अगर सरकार कुछ दान देना चाहती है तो हम बीच में क्यों रोड़ा अटकावें? लेकिन इससे हर सदस्य को जो कठिनाई पैदा होने वाली है उससे मैं चाहूंगा कि इस बिल के लिये समय दिया जाय। इसमें लीगल ओपीनियन इनकम टैक्स वालों की ले लें और इस बिल को स्थगित कर दीजिये। माननीय मंत्री जी से मेरी सुबह बातें हुईं और उन्होंने इस बात को माना था कि अगर इधर से यह प्रस्ताव हो कि इसे सेलेक्ट कमेटी को दे दें और वहां इसे देख लिया जाय और अगर जरूरी समझा जाय तो हाउस में बिल उस शक्ल में लाया जाय। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को सैलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय या फिलहाल वापिस ले लें।

*श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी इस विधेयक पर बोलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन माननीय कमलासिंह जी और रामसुन्दर जी ने जिस प्रवृत्ति का परिचय दिया है उसका विरोध करना आवश्यक है। उन्होंने पूछा है कि किन सदस्यों ने बनारसीदास जी के पास प्रार्थना-पत्र दिया है कि हम छोटे कमरे में रह रहे हैं और कुछ पैसा हमें दिया जाय। मैं यह बात एक सदस्य की हैसियत से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि लाबीज में और सदन के आसपास विरोधी दल के नेताओं तक और अधिकांश सदस्य चीफ व्हिप और कांग्रेस के सदस्यों से सदैव कनवेंसिंग करते रहे हैं .....

श्री कमलासिंह यादव---

क्या लाबीज की या प्राइवेट बातों को यहां उठाया जा सकता है?

श्री रामसुन्दर पांडेय---

हमने बाकायदा नाम और संख्या दोनों ओर के माननीय सदस्यों की पूछी है। विरोधी दलों के सदस्यों के लिये वह आक्षेप कर रहे हैं, हम सबको अपमानित कर रहे हैं। वह स्पष्ट शब्दों में नाम बतावें।

श्री अधिष्ठाता---

(श्री कृष्णानन्दराय से) आप अपने भाषण में तर्क को काटें तो तथ्यों से काटें। अगर आप नाम बता सकते हैं तो उस का जिक्र करें। अगर नहीं बता सकते हैं, तो उसका जिक्र न करें।

*श्री कृष्णानन्दराय---

संसदीय डैकोरम का ध्यान रखते हुए मैंने नाम देना उचित नहीं समझा, लेकिन मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि विरोधी दलों के अधिकांश सदस्य---मैं इस समय नाम लेने में असमर्थ हूं इस बात की सदैव कनवैंसिंग करते रहे हैं इधर के बैठनेवाले मित्रों से कि उत्तर प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्दराय]

विधान सभा के सदस्यों को जो कुछ उपलब्धियां मिल रही हैं वे और प्रदेशों के सदस्यों से कम हैं और वे बढ़ाई जायें। लेकिन सरकार के मंत्रिवर्ग और कांग्रेस के सदस्यों ने इसका विरोध किया और कहा कि आज जब कि दुनिया भर के टैक्स लगाये जा रहे हैं यह उचित नहीं होगा कि विधान सभा के सदस्यों की उपलब्धियों को और बढ़ा दिया जाय। मैं पांडेय जी को चैलेंज करता हूं और कहता हूं कि अभी परसों सोशलिस्ट पार्टी के ही एक सदस्य, जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं, हमारे कमरे में गये....

श्री अधिष्ठाता—

अगर आप नाम लेना नहीं चाहते हैं तो उसको अब न कहें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर। मेरा निवेदन है कि अभी माननीय कृष्णानन्दराय जी ने अपने भाषण में यह कहा कि विरोधी दल के सदस्य और विरोधी दल के नेताओं ने उनसे कहा। विरोधी दल के नेताओं के नाम तो सर्वविदित हैं। सामने पट्टियों पर ही लिखे हुये हैं तो माननीय कृष्णानन्द राय जी को उनके नाम बता दें। अभी आपने जो व्यवस्था दी, उससे मैं समझता हूं कि यह किसी प्रकार भी संगत नहीं है इसलिये इस असंगत पोर्शन को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

इस प्रकार से हर बात पर एतराज करना ठीक नहीं है। जब माननीय कृष्णानन्द राय जी भाषण कर रहे थे तो मैंने उनको संकेत कर दिया कि वे उन लोगों के नामों को बता दें, लेकिन इस प्रकार से जिक्र करना सर्वथा असंसदीय नहीं है। अब माननीय कृष्णानन्द राय जी तथ्यों पर आ जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नाम बता दीजिये। आप कहते हैं कि उधर के लोग तो बहुत अच्छे हैं और इधर वालों ने ही आपसे कहा।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप लोग आपस में बातचीत न करें।

श्री कृष्णानन्दराय—

मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह घोषणा करना चाहता हूं और अगर मेरी बात असत्य हो तो प्रिविलेज कमेटी में इस मामले को भेज दिया जाय, यह सत्य है कि इस सदन के विरोधीदल के अधिकांश सदस्यों ने कहा, उनके नेताओं ने कहा, प्राइवेटली, और लाबी में कहा, मंत्री महोदय और चीफ ह्विप से कहा कि उत्तर प्रदेश में माननीय सदस्यों के एमाल्यूमेंट्स बहुत कम हैं, लेकिन यह कांग्रेस सरकार इस बात पर सहमत नहीं हुई। इसलिये मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब कि ऐसे इन्नोसेंट बिल के सिलसिले में माननीय कमलासिंह जी और रामसुन्दर पांडेय जी ने इस प्रकार के विचार प्रकट किये और इस प्रकार से चीप पाप्युलेरिटी गेन करने के लिये ही केवल इस विधेयक का विरोध किया।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है, मैं समझता था और चाहता था कि उसके ऊपर यहां इस प्रकार का विवाद न होता तो ज्यादा बेहतर होता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके पहले भी कई बार यह समस्या यहां पर उठी और कम से कम मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि बहुत से लोग इस बात को महसूस करते हैं कि सदस्यों को दी गयी सुविधायें बहुत ही अपर्याप्त हैं। जैसे कमरे की ही बात है, किसी के पास तो बड़ा कमरा है और किसी के पास छोटा कमरा है, तो यह बात भी कुछ उचित नहीं मालूम पड़ती कि किसी माननीय सदस्य को तो बिलकुल छोटा कमरा ही मिले और उसके कम्पेन्सेशन में उसे कुछ न मिले। सार्वजनिक कार्यकर्त्ता होने के नाते इस प्रकार की बहुत सी समस्यायें हम लोगों के सामने रहती हैं और इस संबंध में इस सदन के अन्दर और बाहर भी इस बात की चर्चा रही है कि लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। इस संबंध में इस सदन में एक बार करीब-करीब एक निर्णय हो चुका था कि सब लोगों को रेलवे पास मिलेगा। लेकिन उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती रही कि उस पर अंतिम निर्णय न हो सका, लेकिन असुविधाओं के संबंध में बहुत से सदस्यों को शिकायत है। पार्लियामेंट में तो एक परम्परा सी रही है कि माननीय सदस्यों की असुविधाओं या इसी प्रकार की किसी शिकायत का जब कभी कोई प्रश्न आता है तो उस पर सदन में विवाद नहीं होता। सरकारी पक्ष तथा विरोधी पार्टी के सब नेता बैठकर उसके ऊपर विचार-विमर्श कर लेते हैं और जो बात वाजिब व मुनासिब समझते हैं उसे कर लेते हैं क्योंकि वे भी सब जनता के प्रतिनिधि हैं और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारा देश गरीब है और हम गरीब जनता के प्रतिनिधि हैं। वे सब जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं तो वह इसीलिये कि जब उनको सारी सुविधायें मिलेंगी तो अपने काम को वे अच्छी तरह से कर सकेंगे। इसी तरह से सार्वजनिक काम करने वाले लोगों को भी सारी सुविधायें प्राप्त हों तो वे जनता की सेवा अच्छी तरह से कर सकेंगे।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जब पार्लियामेंट में यह परम्परा है कि सब पार्टी के लोग आपस में बैठकर ही इस प्रकार की समस्या को तय कर लेते हैं तो उसी प्रकार से यहां भी आपस में बैठ कर ही इस पर विचार-विमर्श कर लिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। श्री बनारसी दास जी से परसों ही मैंने स्वयं बात की कि जो ७५ रुपया सदस्यों को देने का मामला है, कहीं ऐसा न हो कि सदस्यों को इससे सुविधा के बदले और असुविधा हो जाय और इस पर उनको इनकम टैक्स आदि देना पड़े जिससे उनका नुकसान हो जाय। तो इस समय भी उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वे इस पर पहले लीगल ओपीनियन ले लें और आपस में विचार-विमर्श करके आवश्यक समझें तो एक नया बिल दूसरा लावें। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि अभी इस बिल को वापस लें और इस संबंध में और भी जो दूसरे बहुत से प्रश्न हैं उन पर भी आपस में बैठ कर सभी दल के लोग विचार करके इस बिल को लावें ताकि एक राय से इसको पास कर दिया जाय।

*श्री बनारसीदास---

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय चन्द्रजीत यादव जी का बड़ा आभारी हूं कि इस विधेयक के संबंध में वस्तुस्थिति को उन्होंने सदन के सामने रखा। लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ माननीय कमला सिंह और माननीय राम सुन्दर पांडेय जी के विरोध को देख कर। काफी समय पूर्व यह विधेयक विधान परिषद् के अन्दर पारित हुआ और इस सदन में विरोधी पक्ष की तरफ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे गये थे कि जब से सदन का संगठन हुआ और जब से ओथ लिया गया, इस बीच का वेतन दिया जायगा या नहीं ? इस संबंध में मैंने यह आश्वासन दिया था कि यह वेतन दिया जायगा। और इस विधेयक की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से इस वेतन का देना संभव नहीं था। साथ ही काफी समय से इस बात की मांग थी कि कुछ सदस्य जो बी० क्लास के कमरों में रहते हैं जिनको काफी असुविधा भी रहती है, या तो उनको सामान्य कमरे दिये जायं या उनको कम्पेन्सेटरी एलाउंस दिया जाय। इस प्रकार का विधेयक कौंसिल के अन्दर पारित हुआ था और इस सदन में भी उस पर विचार किया जाने वाला था, पर उस वक्त कुछ माननीय सदस्यों की राय हुई कि इमर्जेंसी की वजह से इस विधेयक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

को पारित न किया जाय । परन्तु जब से यह सदन यहां बैठा करीब-करीब सभी दलों के सदस्यों की ओर से मुझ से इस बात की मांग की गई कि इस को पुनः पारित किया जाय और अभी कुछ दिन हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में माननीय रामायणराय जी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, रिपब्लिकन्स भी थे, सब लोग थे, सभी की यह राय थी कि एक ऐसा विधेयक है जैसा कि माननीय इन्द्रजीत ने कहा कि सदस्यों की सुविधा के संबंध में जो विधान हो उस पर कोई वादविवाद नहीं होना चाहिये और मैं समझता हूं कि हर ऐसे विधेयक पर एमर्जेंसी की बात कहना और एक साथ उसको त्याग और तपस्या के साथ जोड़ देना ऐसा तर्क है जो उस को स्वयं हास्यास्पद बना देता है । आज सब को २०० रुपया मिलता है और यह त्याग और तपस्या तो व्यक्तिगत चीज है, अगर कोई अपना पूरा वेतन न लेना चाहे तो उन्हें कौन रोक सकता है ? और मैं जानता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसी घोषणा भी की है । यह तो केवल १७ दिन के वेतन का सवाल है और १०१ या ११२ रुपये की बात है इसमें प्लेइंग टु दि गेलरीज की कहां आवश्यकता है ? विरोध भी करते हैं और समझते हैं कि पत्रों में मोटी सुरखी में नाम छप जायगा और जब वह पास हो जायगा तो ११२ रुपये का बिल मिलेगा । लेकिन एक उस के पीछे नैतिक समर्थन होता है, यह कानून पास भी हो जाय और अधिनियम भी बन जाय तो भी कोई सदस्य ऐसे हों कि जो ११२ रुपया न लेना चाहें तो उसमें कौन सी कानूनी अड़चन होगी जो उनको इस त्याग से रोक सकती है । इसलिये मैं माननीय कमला सिंह जी को दाद देता हूं कि भावना का उन्होंने परिचय दिया और कहा कि एक कमरे में २ सदस्य रहें तो ज्यादा उचित होगा । अगर कोई ३५ रुपया कम्पेनसेटरी अलाउन्स स्वयं न ले तो इस में कौन सी बात है ? मैं समझता हूं कि इसका कोई प्रभाव ही न होगा । यदि माननीय कल्पनाथ सिंह आफर कर दें कि ४८ से अधिक जो छोटे कमरे हैं उनको वह अपने दल के लिये ले लें, इस तरह से फिर कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह सफाई उनसे चाहता हूं कि अगर हम लोग वह ४८ कमरे ले लें तो क्या यह बिल वापस हो जायगा ? हम तैयार हैं हमारी पार्टी छोटे कमरों में रहेगी, अब आप बिल को वापस लें ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप बैठें, आप कह चुके ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कितने सदस्य होंगे कि जो अपने यह ११२ रुपये छोड़ देंगे, तो मैं एलान करता हूं कि मैं नहीं लूंगा ।

श्री बनारसीदास---

मैं माननीय मायर जी को बधाई देता हूं उनकी अच्छी भावना है और बड़ी सामर्थ्य है और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की सामर्थ्य के व्यक्ति प्रदेश में अधिक हों कि जो १ रुपये में साढ़े ९ आने आयकर दे सकें और मैं चाहता हूं कि यहां विधानमंडल में ऐसा समय आये कि उन की तरह लोग १ रुपये में साढ़े ९ आना इन्कमटैक्स दे सकें । ११२ नहीं वह और २२४ भी दें तब भी उनका त्याग उस किसान के मुकाबले में अधिक नहीं होगा जिसकी आय आज भी उन के मुकाबले में कम है । इसके अलावा मैं माननीय पांडेय जी के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि यह कानून हमारे खयाल से स्वयं ही इनएफेक्टिव हो जायगा अगर इसके पास होने के बाद आप के दल के ४८ आदमी इन छोटे कमरों को ले लें और साथ ही यह एलान कर दें कि हम लोग ३५ रुपया मासिक कम्पेन्सेटरी अलाउन्स नहीं लेंगे । इस तरह से इस बिल का कोई प्रभाव ही नही रहेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

आप को इस को वापस लेने में क्या दिक्कत है ? मैं तो सदन के सामने कह रहा हूं कि जितने हमारे समाजवादी संयुक्त दल के लोग हैं सब छोटे कमरों में रहने लगेंगे, लेकिन आप इसको अभी वापस ले लीजिये।

आप बिल वापस ले लें, हमारे ऊपर छोड़ दीजिये, हमारी ईमानदारी की बात होगी कि हम रहते हैं कि नहीं ।

श्री बनारसीदास---

अगर वास्तव में माननीय सदस्य चाहते हैं कि राजकीय कोष पर इसका भार न पड़े तो ४८ कमरे हैं और आपको वह कमरे दे दिये जायेंगे तथा आप किराया न लें। माननीय कमलासिंह जी ने एक संशोधन पेश किया जिसमें और कुछ सुविधायें चाहते थे। तो लगता यह है माननीय कमलासिंह का अपना मत नहीं है, बल्कि बदल गया है क्योंकि उनका संशोधन था कि परिवार के लिये भी चिकित्सा और बढ़ा दी जाय। यह अमेंडमेंट छप गया। मैं माननीय कमला सिंह जी की भावना जानता हूं कि वह क्या हैं ? वह जानते हैं कि बिल तो पास होगा ही क्यों न यू०एस०पी० के लिये पत्रों में श्रेय कमा लिया जाय। अगर ऐसा है तो हमारी तरफ के जो सदस्य हैं, आप इन सुविधाओं का लाभ भी उठाना चाहें और उनके साथ श्रेय भी लेना चाहें तो मुझे उससे कोई ग्रज नहीं है। इसके बावजूद भी आपको यह सुविधायें मिलेंगी।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५२ की धारा २-ख का संशोधन

२---उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम १९५२ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:---

सदस्यों के आवास के लिए व्यवस्था

"२ख" (१) धारा २ में अभिदिष्ट प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि पर्यन्त ७५ रुपये प्रति मास की दर से आवास भत्ता पाने सदस्यों के आवास का अधिकारी हो, किन्तु शर्त यह है कि जिस अवधि से उसके लिये लखनऊ में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत मान के अनुसार सज्जायुक्त आवास की व्यवस्था की जाये उस अवधि में उक्त भत्ते में से, यदि व्यवस्थित आवास 'क' श्रेणी का हो तो ७५ रुपये प्रति मास और यदि वह 'ख' का हो तो ४० रुपये प्रति मास काट लिया जायेगा। आवासों का "क" श्रेणी और "ख" श्रेणियों में वर्गीकरण, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत रीति से, १ मार्च, १९६२ से किया जायगा।

स्पष्टीकरण---आवास की व्यवस्था उस दिनांक से की गयी समझी जायगी जब सम्बद्ध सदस्य को उसके नाम आवास के प्रदेशन (allotment) की सूचना दी जाय, चाहे वह उसे स्वीकार करे या न करे अथवा उसमें रहे या न रहे।

(३) राज्य सरकार सदस्यों के लिये व्यवस्थित आवास के प्रयोग के कारण होने वाले अन्य व्ययों के संबंध में नियम बना सकती है।"

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गंगा प्रसाद जी आप अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे कि नहीं ?

श्री गंगाप्रसाद (बिलग्रा गोंडा)--

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय दीनदयालनारायणसिंह जी ने अपना संशोधन वापस ले लिया है । माननीय कृष्णानन्द राय ने भी प्रस्तुत संशोधन वापस ले लिया है । उन्होंने एक और संशोधन प्रस्तुत किया है और मेरी अनुमति चाही है कि अनुमति दे दूं । मैंने सभय की अवधि को बेव कर दिया तथा अनुमति दे दी कि वह संशोधन प्रस्तुत करें ।

श्री कृष्णानन्दराय---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड २ में प्रस्तावित धारा २-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

सदस्यों के आवास की व्यवस्था का अधिकारी होगा :

२--ख(१) धारा २ में अभिदिष्ट प्रत्येक सदस्य बिना किराया दिये लखनऊ में "क" अथवा "ख' श्रेणी का जिसकी भी उस के लिये व्यवस्था की जाय आवास के उपयोग

प्रतिबन्ध यह है कि जब व्यवस्थित आवास "ख" श्रेणी का हो या जब किसी आवास की व्यवस्था न की जाये तो सदस्य को प्रति कर भत्ता दिया जायेगा जो कि प्रथमोक्त दशा में ३५ रु० प्रतिमास की दर से तथा उत्तरोक्त की दशा में ७५ रु० प्रतिमास की दर से होगा ।

स्पष्टीकरण---

आवास की व्यवस्था उस दिनांक से की गयी समझी जायेगी जब सम्बद्ध सदस्य को उसके नाम आवास के प्रदेशन (allotment) की सूचना दी जाय, चाहे वह उसे स्वीकार करे या न करे अथवा उसमें रहे या न रहे ।

(२) राज्य सरकार आवासों के "क" और "ख" श्रेणियों के वर्गीकरण के लिये तथा व्यवस्थित आवास के प्रयोग के कारण होने वाले व्ययों के संबंध में नियम बनायेगी और ऐसे नियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रभावी हो सकेंगे ।"

श्री बनारसीदास---

यह संशोधन मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता----

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड २ में प्रस्तावित धारा २-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

सदस्यों के आवास की व्यवस्था का अधिकारी होगा:---

२-ख (१) धारा २ में अभिदिष्ट प्रत्येक सदस्य बिना किराया दिये लखनऊ में "क" अथवा "ख" श्रेणी का जिसकी भी उसके लिये व्यवस्था की जाय आवास के उपयोग

प्रतिबन्ध यह है कि जब व्यवस्थित आवास "ख" श्रेणी का हो या जब किसी आवास की व्यवस्था न की जाये तो सदस्य को प्रतिकर भत्ता दिया जायेगा, जो कि प्रथमोक्त दशा में ३५ रु० प्रतिमास की दर से तथा उत्तरोक्त दशा में ७५ रु० प्रतिमास की दर से होगा ।

स्पष्टीकरण---आवास की व्यवस्था उस दिनांक से की गयी समझी जायेगी जब सम्बद्ध सदस्य को उसके नाम आवास के प्रदेशन (allotment) की सूचना दी जाय, चाहे वह उसे स्वीकार करे या न करे अथवा उसमें रहे या न रहे ।

(२) राज्य सरकार आवासों के "क" और "ख" श्रेणियों में वर्गीकरण के लिये तथा व्यवस्थित आवास के प्रयोग के कारण होने वाले व्ययों के संबंध में नियम बनायेगी और ऐसे नियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रभावी हो सकेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

उ०प्र० अधिनियम संख्या १२, १९५२ की धारा ३ का संशोधन

३--(१) मूल अधिनियम की धारा ३ की संख्या बदल कर उसे उस धारा की उपधारा (१) कर दिया जाये तथा इस उपधारा में शब्द "भत्तों" तथा शब्द "अतिरिक्त" के बीच में शब्द "तथा धारा २-ख में अभिदिष्ट आवास भत्ते के" बढ़ा दिये जायें, और

(२) धारा ३ की उपधारा (२) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये--

"(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट वेतन, विधान सभा के सामान्य निर्वाचन की दशा में विधान सभा का संघटन होने के दिनांक से, और किसी अन्य दशा में, सदस्य के यथास्थिति, निर्वाचन या नाम-निर्देशन की विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, देय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी दशा में सदस्य अपने निर्वाचन की विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित होने के दिनांक के पहले के किसी दिनांक से वेतन नहीं पायेगा ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी सदस्य को उस अवधि के लिये वेतन देय न होगा जिस अवधि में वह किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के किसी निर्णय या आज्ञा के परिणामस्वरूप, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् में बैठने में असमर्थ हो ।"

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कृष्णानन्द राय जी जो प्रस्तुत संशोधन है उसको नहीं मूव करना चाहते। माननीय कमला सिंह जी भी नहीं चाहते । अब माननीय कृष्णानन्द राय, आप दूसरा संशोधन मूव करें।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड ३ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

'(२) धारा ३ में निम्नलिखित उपधारा दिनांक १ मार्च, सन् १९६२ ई० से बढ़ायी गयी समझी जाय:--

(२) सदस्य को उपर्युक्त वेतन, यथा स्थिति, उसके निर्वाचन या नाम निर्देशन की विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, अथवा उस दिनांक से जब वह भारत के संविधान के अनुच्छेद १८८ के अनुपालन में शपथ ले या प्रतिज्ञा न करे, उक्त दोनों दिनांकों में, जो भी पहले पड़े, देय होगा :

[श्री कृष्णानन्द राय]

प्रतिबन्ध यह है कि विधान सभा का कोई सदस्य उस विधान सभा के संघटन के पहले के किसी दिनांक से वेतन पाने का हकदार न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी सदस्य को उस अवधि के लिये वेतन देय न होगा जिसमें वह किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के किसी निर्णय या आज्ञा के परिणामस्वरूप यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् में न बैठ सके ।"

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उबखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(२) धारा ३ में, निम्नलिखित उपधारा दिनांक १ मार्च, सन् १९६३ ई० से बढ़ायी गयी समझी जाय :--

(२) सदस्य को उपर्युक्त वेतन, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम निर्देशन की विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, अथवा उस दिनांक से जब वह भारत के संविधान के अनुच्छेद १८८ के अनुपालन में शपथ लें या प्रतिज्ञान करे, उक्त दोनों दिनांकों में जो भी पहले पड़े, देय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि विधान सभा का कोई सदस्य उस विधान सभा के संघटन के पहले के किसी दिनांक से वेतन पाने का हकदार न होगा ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी सदस्य को उस अवधि के लिये वेतन देय न होगा जिसमें वह किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के किसी निर्णय या आज्ञा के परिणामस्वरूप यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् में न बैठ सके ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२

[जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।]

उ०प्र० अधिनियम संख्या १२, १९५२

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ को संशोधित करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

(२) यह १ मार्च, १९६२ से प्रचलित हुआ समझा जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय---

अधिष्ठाता महोदय, आप की आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :---

"विधेयक के खंड १ में---

(क) उपखंड (१) की संख्या और कोष्ठ '(१)' निकाल दिये जायं और

(ख) उपखंड (२) निकाल दिया जाय।"

श्री बनारसीदास---

मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड १ में---

"(क) उपखंड (१) की संख्या और कोष्ठ '(१)' निकाल दिये जायं और

(ख) उपखंड (२) निकाल दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक, इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्यक्रम

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

मैं एक चीज की जरा जानकारी करना चाहता था। माननीय सूचना मन्त्री यह भी बतला देते कि सदन कब तक चलेगा तो बड़ी कृपा होती।

*सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)---

यह सदन ४ तारीख तक चले यह पहले निश्चय किया गया था और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक साढ़े ५ बजे बुलायी गयी है। उसका निश्चय है कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९६३ समाप्त कर दिया जाता है तो कल ही सदन स्थगित हो सकता है और यदि सदस्यों का आग्रह हुआ कि नहीं तीन दिन इसको चलना है तो फिर ५ तारीख तक सदन चलेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

गैर-सरकारी दिन के लिये एक दिन भी सूचना मन्त्री जी की तरफ से नहीं मिला इस पर सूचना मंत्री जी की क्या राय है? क्या सब मामला गड़बड़ ही गड़बड़ रहेगा?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनारसीदास--

मेरी बात माननीय कल्पनाथ सिंह और सभी सदस्यों से हुई है और सब यह चाहते हैं कि सदन जल्दी से जल्दी स्थगित किया जाय। बड़ा कार्य करना है। तो जहां तक गैर-सरकारी दिनों का सवाल है सदन जब फिर मिलेगा तब हिसाब-किताब कर लेगा।

उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३†

वित्त उप मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)--

मैं आप की आज्ञा से, श्रीमन्, यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न विकास सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन के लिये और संकट काल से सरकार के ऊपर जो एक बड़ी जिम्मेदारी आ गयी है उसको पूरा करने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि सरकार और अधिक साधन जुटाये। उसी दृष्टि से यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

मैं पुनः सदन से कहूंगा कि माननीय सदस्य सदन में शांति रखने की कृपा करें।

श्री जयराम वर्मा---

इस संशोधन विधेयक द्वारा तीन अधिनियमों का संशोधन किया जा रहा है। एक तो कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०, दूसरा इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ और तीसरा उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८। जिन संशोधनों का प्रस्ताव इस विधेयक के द्वारा किया गया है मैं उसमें से कुछ की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो पहला संशोधन इसके खंड २ के द्वारा किया जा रहा है उसके उपखंड (१) में कोर्ट फ़ीस ऐक्ट की शनुसूची १ के अनुच्छेद १ का संशोधन किया जा रहा है। अनुच्छेद १ में जो रेवेन्यू और सिविल कोर्ट्स के सामने प्लेन्ट्स रिटेन स्टेटमेन्ट्स या मेमोरन्डम आफ़ अपील फ़ाइल की जाती हैं उनके बारे में आजतक व्यवस्था यह है कि विचाराधीन प्रश्न के वैलुएशन या उसकी धनराशि के प्रत्येक ५ रुपये या उसके भाग पर ८ आना कोर्ट फ़ीस लगती है। इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि रेट तो यही रहेगा, लेकिन कोर्ट फ़ीस कम से कम ५ रुपया लगेगी। यानी, वैलुएशन कितना ही कम हो उस पर कोर्ट फ़ीस ५ रुपये लगेगी और इस संशोधन का जो परिणाम होगा वह अनुच्छेद १ के अन्त में जो कोर्टफ़ीस सम्बन्धी सारिणी दी हुई है उसमें भी परिवर्तन किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में बहुत से संशोधन माननीय सदस्यों के आये हैं। उनमें से एक ऐसा है जिसमें प्रस्ताव किया गया है कि कोर्ट फ़ीस और बढ़ा दी जाय। यानी हमने जो संशोधन रखा है कि एमाउन्ट कितना ही कम हो कोर्ट फ़ीस कम से कम ५ रुपये लगेगी तो एक संशोधन यह आया है कि कम से कम १० रुपये कर दी जाय। दूसरा एक संशोधन यह है कि जो कम से कम ५ रुपया कोर्टफ़ीस सरकार द्वारा रखी गयी है इसको स्वीकार किया है, लेकिन उससे हायर एमाउन्ट पर कोर्ट फ़ीस की दर को कम करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा भी कुछ संशोधन आये गये हैं।

सरकार द्वारा इस संशोधन को लाने का कारण यह था कि ऐसे मुकदमे जिसमें थोड़े एमाउन्ट्स इनवाल्व होते हैं अदालतों में बहुत आते हैं और कोर्ट फ़ीस थोड़ी लगने पर भी उनमें समय कम नहीं लगता, समय उतना ही लगता है जितने बड़े एमाउन्ट्स के केसेज में लगता है। ऐसी हालत में स्मॉलेस केसेज भी दायर हो सकते हैं। इसी दृष्टि से कोर्ट फ़ीस कम से कम

---

†२८ मार्च, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

५ रुपये लगेगी ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन सरकार ने इस प्रश्न पर फिर से विचार किया और इस बात को मानते हुये भी कि इस तरह के मामले बहुत आते हैं और अदालतों में ऐसे मामलों में काफ़ी समय लगता है सरकार यह महसूस करती है कि इसका प्रभाव छोटी हैसियत के लोगों पर पड़ेगा। अर्थात् ऐसे लोग जो छोटी रकम के दावे दायर करते हैं, उनके ऊपर वर्तमान व्यवस्था के मुकाबले में कोर्ट फ़ीस बढ़ जायगी और बड़ी रकम के दावों पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिये सरकार समझती है कि इस तरह के संशोधन को लाकर छोटी हैसियत के लोगों पर और बोझा डालना उचित नहीं होगा। इसलिये सरकार ने निश्चय किया है कि इस तरह के संशोधन को ड्राप कर दिया जाय और इस तरह का एक संशोधन एक माननीय सदस्य की ओर से आया भी है, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा।

अब कोर्ट फ़ीस ऐक्ट की अनुसूची (२) में कई संशोधन किये गये हैं। कुछ संशोधन जो दरख्वास्तें पड़ती हैं उनकी कोर्ट फ़ीस के सम्बन्ध में हैं। ऐसी दरख्वास्तें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट में पड़ती हैं जिन पर अब तक १ रुपया २५ नये पैसे कोर्ट फ़ीस पड़ती थी उसको बढ़ा कर १ रुपया ५० न० पै० किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वे दरख्वास्तें जो कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के सामने पड़ती हैं, उन पर अब तक २ रुपये ५० नये पैसे थे, उसको बढ़ा कर ३ रुपये किया जा रहा है। आर० टी० ओ० के यहां जो दरख्वास्तें पड़ती थीं उन पर भी ढ़ाई रुपया कोर्ट फ़ीस लगती थी उसको भी बढ़ा कर पांच रुपया किया जा रहा है और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी के समक्ष जो दरख्वास्तें पड़ती थीं उसकी कोर्ट फ़ीस ५ रुपये पड़ती थी, उसको बढ़ा कर १० रुपये किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त अनुसूची (१) के अनुच्छेद (१०) में मुख्तारनामे और वकालतनामें पर १ रुपया २५ न० पै० फीस लगती थी, उसको बढ़ा कर १ रुपये ५० पैसे किया जा रहा है और जिन मामलों में मुख्तारनामे और वकालतनामे पर ढ़ाई रुपया कोर्ट फीस पड़ती थी उसको बढ़ा कर ३ रुपये किया जा रहा है। अनुच्छेद (१७) में भी एक संशोधन किया जा रहा है। इसमें प्लेन्ट्स, मेमोरेंडम आफ अपील, जो डिक्लेटरी डिक्री आबटेन करने के लिये दायर की जाती थीं जिनका एमाउन्ट एक हजार रुपये से कम हो तो उस पर अब तक २५ रुपये कोर्ट फ़ीस लगती थी उस को बढ़ा कर ३० रुपया किया जा रहा है।

इसके अनुच्छेद (२२) में इलेक्शन पैटीशन का जिक्र है। अब तक म्युनिसपल बोर्ड में प्रेसीडेंट आदि के इलेक्शन में १५० रुपये फीस लगती थी, इसको बढ़ा कर २०० रुपये किया जा रहा है और म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या अन्य लोकल बाडीज के मेम्बरों के इलेक्शन पेटीशन में १२५ रुपये फीस लगती थी उसको बढ़ा कर १५० रुपये किया जा रहा है। म्युनिसिपल बोर्ड के वाइस-प्रेसीडेंट, कारपोरेशन के डिप्टी मेयर, जिला परिषद् के उपाध्यक्ष का कोई जिक्र नहीं था। इनके इलेक्शन को चैलेंज करने के लिये इलेक्शन पेटीशन होगा तो उस पर भी उतनी ही फ़ीस लगेगी जितनी मेयर, प्रेसीडेंट या अध्यक्ष के खिलाफ पेटीशन होने पर लगती है। यह संशोधन किये जा रहे हैं।

कुछ संशोधन इंडियन स्टैम्प ऐक्ट में किये गये हैं। एक यह है कि अनुसूची (१) के अनुच्छेद (५) में कुछ एक्जेम्पशन्स दिये हुये थे.....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, कोई मिनिस्टर सदन में नहीं हैं और बिल पेश किया जा रहा है।

अधिष्ठाता—

मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं।

श्री कमला सिंह यादव—

डिप्टी मिनिस्टर हैं।

श्री अधिष्ठाता---

मिनिस्टर इनक्लूड्स डिप्टी मिनिस्टर (Minister includes Deputy Minister)।

श्री जयराम वर्मा---

अनुच्छेद ५ में ऐग्रीमेंट ऐंड मेमोरेंडम आफ़ ऐग्रीमेंट का जिक्र है। उसमें एग्जेम्पशन यह था कि यदि यह गुड्स या मर्चेन्डाइज के सेल के सिलसिले में हो तो स्टैम्प ड्यूटीज से एग्जेम्प्ट कर दिया जाय। इस एग्जेम्पशन को वापस लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद २४ का थोड़ा-सा संशोधन किया गया है, उस की व्यवस्था को नरम रखने के लिए, टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। अनुच्छेद ४६ और ५५ में अनामलीज को दूर करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। खंडों के संशोधनों को देखने से मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्यों को इस बारे में काफी भ्रम है और जो उन्होंने संशोधन दिये हैं उससे टैक्स कम होने के बजाय बढ़ेगा। गवर्नमेन्ट की तरफ से जो संशोधन आया है वह अनामलीज को दूर करने के लिये आया है।

सेल्स टैक्स में मामूली संशोधन है। उस ऐक्ट में सेक्शन ३-ए के अन्तर्गत एक पदीय सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार है। इस संशोधन के द्वारा उस अधिकार को ७ परसेंट से बढ़ा कर १० परसेंट किया जा रहा है। यह सरकार अधिकार ले रही है। इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा-सा माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। अभी सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स हुई थी। वहां सब की सहमति से यह तय हुआ कि लग्जरी गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स जो लगे वह सभी स्टेट्स में यूनिफार्म हो और यह तय हुआ कि यह अधिकार सभी गवर्नमेन्ट्स १० परसेंट का ले लें कि लग्जरी गुड्स पर दस परसेंट सेल्स टैक्स लगा सकें जिससे किसी स्टेट के व्यापारियों को शिकायत न हो कि उनके यहां सेल्स टैक्स की वजह से किसी स्टेट के मुकाबले में अड़चन पड़ रही है। बिहार ने एक ऐसा कर दिया। मध्य प्रदेश ने भी कर लिया है। बाकी गवर्नमेन्ट्स संशोधन करने जा रही है। उसी तरह का संशोधन इसमें लाया जा रहा है और सरकार अधिकार ले रही है कि एक पदीय सेल्स टैक्स जहां सात परसेंट तक होता है १० परसेंट तक हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त डीलर की डेफिनीशन में स्पष्टतया लगायी गयी है। अभी तक डेफिनीशन यह है---

"Dealer" means any person or association of person carrying on business or selling Goods in Uttar Pradesh whether for commission remuneration or otherwise.

अदरवाइज से यह मतलब लिया जा रहा है कि अगर कोई बिजिनेस बिना प्राफिट मोटिव से भी किया जाता हो तब भी इसके अन्दर आ जाता है और व्यापारी पर सेल टैक्स लगाया जाता रहा है। सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेन्ट को संविधान के शेड्यूल ७ की सूची २ की प्रविष्टि ५४ से मिलता है। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन इस तरह का नहीं है कि प्राफिट मोटिव हो तब सेल्स टैक्स लग सकता है। इसी तरह का मतलब निकलता है। लेकिन इधर यह आशंका प्रकट की गयी है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी डेफिनीशन में स्पष्ट नहीं दिया हुआ है कोई और मतलब ले लिया जाय। इसलिये परिभाषा में इसको स्पष्ट करना उचित होगा। इसलिये उसको स्पष्ट करने के लिए यह संशोधन लाया गया है और उसमें कहा गया है कि खरीदने और बेचने के व्यापार के अन्तर्गत ऐसा वह व्यापार भी है जो लाभ कमाने के प्रयोजन को बिना किया जाता हो और यह संशोधन शुरू से ही किया हुआ समझा जायगा।

तो यह थोड़े से संशोधन इस संशोधन विधेयक के द्वारा लाये गए हैं और इसमें कोई बहुत लम्बे संशोधन नहीं हैं। बहुत छोटा सा बिल है और जैसा कि मैंने कहा माननीय सदस्यों को इसके बारे में काफी भ्रम रहा है और उसके आधार पर वह यह समझते रहे हैं कि इसमें बहुत तब्दीली की गई है और इसको पास करने में उनको बहुत समय की जरूरत होगी। वह जो उनका भ्रम था उसकी तरफ इशारा मैंने कर दिया। उनकी तरफ से ही ऐसे संशोधन इसमें आये हैं कि

जिसमें टैक्स को और बढ़ाने की बात कही गई है, जहां सरकार की तरफ से केवल कुछ एनामलीज को दूर किया जा रहा है वहां उसकी तरफ से ही टैक्स बढ़ाने की बात इसमें कही गई है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें सदन को ज्यादा समय की जरूरत नहीं होगी और सदन इसे थोड़े समय में ही पारित करेगा।

श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। धारा ३ के भाग (२) में "अनुच्छेद संख्या २४ में "टू रूपीज" के स्थान पर शब्द "थ्री रूपीज" रख दिये जायं" यह परिवर्तन जो कर रहे हैं इसमें ओरिजिनल में २ रुपया २५ नया पैसा है। तो उसमें इस "पूरे" का परिवर्तन करने का मंशा है या केवल २ के स्थान पर ३ कर रहे हैं?

श्री जयराम वर्मा—

इसके पेज १२ को आप निकाल लें तो मैं बता दूं। २४ का (१) पढ़िए:—

"If the original was not chargeable with duty or if the duty with which it was chargeable does not exceed two rupees."

इसी में टू रूपीज को थ्री रूपीज किया गया है।

श्री मन्ना लाल—

२ रुपये २५ नये पैसे जो हैं.....

श्री जयराम वर्मा—

उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। अगर ओरिजिनल में कोई ड्यूटी चार्जेबिल नहीं थी या ओरिजिनल में २ रुपये तक ड्युटी चार्जेबिल थी तो यह होगा, जहां दो रुपये रखा गया था, वहां तीन रुपये रख दिया गया है, इसको और लिबरल बनाया गया है। कोई टैक्स नहीं लगाया गया है।

*श्री कमलासिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३ को जनमत संग्रह के लिए १ मास तक घुमाया जाय।

श्रीमन्, जो बजट सदन में प्रस्तुत हुआ था उसमें हमने देखा कि करीब ४.९७ करोड़ का घाटा है जिसकी पूर्ति के लिए सरकार हर तरह का टैक्स बढ़ा रही है। जो कोर्ट फीस ऐक्ट है उसमें आप देखें कि गरीब जनता जो है, जो सताया हुआ आदमी है जिसे तकलीफ है, राहत नहीं मिलती है वह कोर्ट्स में राहत ढूंढ़ने के लिये जाता है। नतीजा यह होता है कि वह इन्सान जिसको किसी के द्वारा सताया जाता है या टार्चर किया जाता है, या कोई आदमी किसी को कोई चीज दे और फिर उसे वह वापस न मिले तो उस तकलीफ को रफा करने के लिये वह अदालत में अपनी रिमेडी सीक करने के लिये जाता है। तो सवाल यह उठता है कि ऐसे वक्त में जब कोई आदमी परेशान हो किसी बात से, वह मारा पीटा जाय या किसी तरह की तकलीफ उसको हो तो उसे राहत कैसे मिलेगी? श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन में जहां की पालिसी या जिसके रूल्स और नियम हम अडाप्ट कर रहे हैं, वहां पर किसी किस्म की कोर्ट फीस नहीं लगायी जाती। हमारे इस देश के अन्दर भी कोई कोर्ट फीस पहले नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे कोर्ट फीस शुरू किया और उसका दायरा अब इतना बढ़ गया कि चरम सीमा तक पहुंच गया और यह एक तरीके पर एक साधन या रोजगार सरकार ने बना लिया कि अगर कहीं भी कोई दायरा न मिले तो कोर्ट फीस बढ़ा दी जाय और लाखों रुपया बना लिया जाय। तो इस तरह की चीज यह है।

श्रीमन्, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, यह देखा जाता है कि प्रापर्टी के लिये, परसन के लिये हिफाजत का इंतजाम सरकार की तरफ से होना चाहिये। परसन की हिफाजत की जिम्मेदारी तो पूरी तरह सरकार की है और यह भी देखा जाता है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

देश में, अगर बलवे हों या और किसी तरह की खराबी हो तो उसे ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। यह गवर्नमेन्ट की डाइरेक्ट जिम्मेदारी है, इसलिये कि देश या देश में रहने वाले व्यक्तियों को प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से मिलता है। इसके लिये सरकार जिम्मेदार है कि व्यक्ति पीसफुली प्रदेश में रह सकें। साथ ही साथ जहां प्रोटेक्शन मिलने का सवाल है, प्रदेश में शान्ति रहने का सवाल है उसके साथ ही व्यक्ति को जस्टिस भी मिलनी चाहिये। यह व्यक्ति का अधिकार है और डेमोक्रेसी में भी यह माना गया है कि हर आदमी को जस्टिस मिलनी चाहिये। लेकिन जब हम छोटे क्लासेज में पढ़ते थे तो उस समय हमने एक बंदर और दो बिल्लियों की कहानी पढ़ी थी। दो बिल्लियों में लड़ाई हुई एक रोटी को लेकर और वे उसे ले कर एक बंदर के पास अपना झगड़ा निपटाने पहुंची। बन्दर ने तराजू पर उस रोटी को टुकड़े कर के रखा और धीरे-धीरे सारी रोटी खा गया। मैं सरकार की उसी प्रकार की नीति देख रहा हूं। जब अंग्रेज यहां हुकूमत करता था तो यही हमारे दोस्त लोग, जो उस तरफ बैठते हैं, इस तरफ बैठा करते थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन लोगों ने इन अपोजीशन बेंचेज पर बैठ कर कुछ बातें कहीं थीं। मैं जानना चाहता हूं कि जो बातें उस समय उन्होंने कही थीं, जो वायदे उन्होंने उस समय किये थे वह आज सब कहां गये? जो राग आप उस समय अलापते थे वह आज कहां गया? अगर माननीय पंत जी की बातों को भी आप याद करें, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वे गुणज्ञ थे, देशभक्त थे, तो आप को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं उनकी पुरानी बातों को आपके द्वारा सदन की सेवा में पेश करना चाहता हूं। थोड़े शब्दों में ही उनकी बात पढ़ूंगा। पंत जी ने १९२४ में, जब कोर्ट फीस का थर्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया था, तो यह अल्फाज कहे थे :

"It is the duty of Government to make arrangements for the administration of justice as for the protection of property or of person. and to impose a heavy charge for carrying out this very elementary duty is fundamentally wrong."

(27th March, 1924—Page 250).

माननीय पंत जी हमारे प्रदेश में बहुत दिनों तक नेता रहे हैं, इस सदन के भी नेता रहे हैं। उनके यह अल्फाज हैं कि जो सिद्धांत आप अपना रहे हैं वह बिलकुल गलत है। तो मैं चाहूंगा कि जब देश में सुरक्षा का एक तरफ बड़ा सवाल है और जो प्रश्न देश के सामने एक गंभीर प्रश्न है, उस समय इस प्रकार का विवादग्रस्त मामला सदन में पेश न करें। आज दाने दाने के लिये हमारे आदमी मुहताज हैं। आप पूर्वी जिलों में स्टेशन पर जायं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वहां पर आपको नंगे लड़के घूमते नजर आयेंगे। कभी कदा वे छोटा टुकड़ा बांधे घूमते हैं और जब आप पूड़ी खाते हैं तो वे आपकी तरफ ललचायी नजरों से देखते रहते हैं और जब आप अपना भोजन फेंक देते हैं तो वे उसी पर निर्भर रहते हैं। उसी को वे खाते हैं। पूर्वी जिलों में एक मुसहर जाति है। वह जाति जिस पत्तल में आप खाते हैं, उस पर ही अपना गुजर करती है। आज १५ साल हो गये। सरकार बहुत कहती है कि उसने हरिजनों के साथ यह किया, वह किया। मैं तो कहता हूं कि वह जीता जागता नमूना है मुसहर जाति और मैं दावत देता हूं बनारसीदास जी को, कृष्णानन्द जी को वे पूर्वी जिलों में चलें और देखें।

श्री अधिष्ठाता---

श्री कमला सिंह जी, आप बहुत इधर उधर जा रहे हैं।

श्री कमला सिंह यादव---

मैं मजबूर हूं। अगर नहीं कहूंगा तो मुश्किल हो जायगी।

श्री अधिष्ठाता--

आप कहें, लेकिन सीमा में रह कर ।

श्री कमला सिंह यादव--

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इस मुसहर जाति को उच्छिष्ट अन्न पर गुजर करने के लिये मजबूर किया जाता है । कोई अन्य साधन नहीं है उनके पास जीविकोपार्जन का और पुलिस का यह व्यवहार, जैसा कि आज हमने देखा एक माननीय सदस्य के साथ, यह सहनीय नहीं है । वह सब आप के सामने है । यह चीजें हो रही हैं, उचित नहीं है । जहां तक फैक्टरीज वगैरह पर खर्च सरकार ने किया है, आप देख लीजिये, ट्यूबवेल्स हैं, कैनाल्स हैं, वह सब लास पर रन कर रही हैं । सीमेंट की फैक्टरी खोली गई, वह भी कई साल से लास पर चल रही है । यह हालत है इस सरकार की कि जिन चीजों में इन्वेस्टमेंट करती है और फैक्टरी खोलती है, वह सब लास पर चलती है । आखिरकार आप कहां से पैसा लायेंगे ? हम तो यह उम्मीद कर रहे थे कि देश में कल कारखाने स्थापित करने से कुछ लाभ होगा, उसका नतीजा यह होगा कि एक वक्त आयेगा कि जब टैक्सेज कम करेंगे । लेकिन यह देखा जा रहा है कि टैक्सेज घटने के बजाय और बढ़ते चले जा रहे हैं । उसके बाद भी, यह प्रयास है कि और टैक्सेस बढ़ाओ । आपने कभी यह भी खयाल किया है कि जितने इन्वेस्टमेंट आपने किये हैं उससे आपको किस अनुपात में लाभ हुआ और क्या आपने टैक्सेशन में कमी की है । यह भी हम देखते हैं कि हर देश और प्रदेश का आदमी यही चाहता है कि वह इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक करे । यह भी देखा जाता है कि उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी उसी मात्रा में हो । प्रोडक्शन के साथ इनकम भी बढ़ेगी । परन्तु हमारे प्रदेश की हालत दिनों दिन गिरती चली जा रही है । मालगुजारी को एक करोड़ से बढ़ा कर २७ करोड़ कर दिया गया है । जो सरकार से इमदाद मिलने की आशा थी कि अच्छे बीज औजारों के द्वारा हम अधिक अन्न उपजायेंगे, परन्तु आज उन आशाओं पर पानी फिर रहा है । आप देखें कि आपत्तिकाल में जब किसी के घर में आग लग जाय या बाढ़ से हानि हो, तो उस समय भी सहायता बिलकुल नहीं दी जाती है । बल्कि यह सरकार की तरफ से कहा जाता है कि तकावी ले लो । ऐसे कठिन समय में भी जनता को इमीडियेट रिलीफ नहीं मिलती है । ऐसा वातावरण हो गया है कि तहसीलदार और कलेक्टर यह कहते हैं कि तकावी ले लो । जो जनता को इस सरकार से आशायें थीं, वह पूर्ण नहीं हुईं । जनता की आवश्यकता के समय में भी इस सरकार का रवैया बदलता जा रहा है । सरकार तो यह समझती है कि किसान के घर में सोना भरा हुआ है, और सरकार उसको लेने के लिये तड़प रही है । मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि अगर यही रवैया रहा, तो उत्पादन गिरता चला जायगा और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा । आप प्रत्यक्ष देख लें, कि पर-कैपिटा इनकम गिरती चली जा रही है । नतीजा यह होगा कि भगवान का नाम याद करना पड़ेगा । एक तरफ तो यह कहा जाता है कि बजट का घाटा हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मेमोरेंडम के वाल्यूम (२) के पेज ३ पर दिया हुआ है कि जहां तक रेवेन्यू इनकम का सवाल है यह २०१ करोड़ ८२ लाख १९ हजार २०० रुपये है । लेकिन एक्सपेंडीचर २०६ करोड़ ७९ लाख ३१ हजार १०० दिखाया गया है । इसी तरह से आडिट सरविस में देखा जाय, तो १९६२-६३ में जो एक्चुअल था वह २५ करोड़ और जो बजट में इस्टीमेट है वह २८ करोड़ है । ३ करोड़ यहां ज्यादा दिखाया गया है । दूसरे सोशल ऐन्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में ७१ करोड़ पहले था, अब उसको ७६ करोड़ रखा गया है । साथ ही साथ मिसलेनियस खर्चे को देखें जो कि १९६२ में १३ करोड़ था उसके बाद रिवाइज्ड १४ करोड़ है । अब उसे १६ करोड़ कर दिया गया है । इस तरह से २-२ करोड़ हो गया है ।

एक्स्ट्राआर्डिनरी आइटम्स बजट में देखें तो वह १ करोड़ ९७ लाख ७० हजार ८९९ है । यह १९६१-६२ का ऐक्चुअल है । रिवाइज्ड है १९६२ का २ करोड़ १६ लाख ६९ हजार ४०० । अब उसको कर दिया गया है-७,०९,३२,१०० रुपया । इस प्रकार से १०-१२ करोड़ सिर्फ एस्टीमेट में फर्क दिखाया गया है । लेकिन सदन में डेफिसिट इसलिए दिखाया जाता है जिससे

[श्री कमलासिंह यादव]

टैक्सेशन ला सकें । नतीजा यह है कि देश का गरीब जो दो वक्त भी भोजन नहीं पा सकता उसको मजबूर कर रहे हैं टैक्स अदा करने के लिये । आपातिक भार का पहले काफी जनता ने विरोध किया था, लेकिन सदन में किस तरीके से पास हुआ । गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन दिया गया कि वृहत जोतकर लायेंगे तो वापस करेंगे और गरीब किसान पर किसी तरह का भार नहीं होगा, लेकिन वह भी पास हो गया, और वह आश्वासन भी खत्म हो गया । कहा गया था कि एक साल के लिए लायेंगे, लेकिन यह भी देख रहे हैं कि कंटीनुअसली चलेगा । साथ ही साथ एक साल के लिए जो आपातिक भार लगाया गया था उसके लिए कहा गया था कि खरीफ और रबी की उतनी ही वसूली होगी, लेकिन इस वक्त पूर्वी जिलों में यह हालत है कि पूरे एक साल की २५ परसेंट बढ़ोत्तरी एक साथ वसूल की जा रही है । मैं नहीं समझता कि यह सरकार का रवैया किस तरीके से चल सकेगा और किस तरह से जनता इतना भार वहन कर सकेगी ।

साथ ही साथ अभी तक माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि प्लेंट जो होता था उस पर सवा रुपये का टिकट लगता था, अब डेढ़ रुपया लगेगा और कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें दो पार्टी बाउंड न हों---एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट, लेकिन और भी हो सकती हैं । तो पार्टी बनने के साथ जितने वकालतनामे होंगे उनमें इस तरह की आमदनी होगी । मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि रेलवे के जो लोग हैं उनके जो प्राइवेट मुकदमे होते हैं कम्पेंसेशन मुंसिफ वगैरह के यहां उनको एग्जेम्प्ट किया है । वह सरकार की तरफ से अप्वाइंट नहीं हैं, लेकिन उनको क्यों छोड़ा गया है ? अगर रेलवे के प्राइवेट वकीलों को एग्जेम्प्ट न करे तो इससे सरकार को काफी आमदनी हो सकती है और इस आमदनी से सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चों का आदान-प्रदान कर सकती है । साथ ही साथ अभी तक रिटेन स्टेटमेंट पर कोई स्टाम्प या कोर्टफीस नहीं ली जाती थी । अब कोई भी किसी किस्म का केस आयेगा तो रिटेन स्टेटमेंट पर कोर्ट-फीस देनी होगी । तो कितना बड़ा भार है ? एक तरफ आप ऐलान करते हैं कि राम-राज्य है, हम पूरी जस्टिस देंगे । लेकिन हमने वह चकबन्दी में देखा कि कहा गया कि अप्लीकेशन पर कोई स्टाम्प नहीं लगेगा, लेकिन किसान मर गया । मैं समझता हूं कि सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है । करप्शन की बात तो कहना बेकार है, वह नहीं कहूंगा । एक जगह करप्शन है, यह कहना भूल होगी । लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि आप जो यह कह रहे हैं कि अगर कोई एक हजार से ऊंचा है तो हम उस पर २५ रुपया कोर्ट-फीस लेंगे, यह कहां का इंसाफ है ? जितना परसेंटेज आपने फिक्स किया, उस पर लीजिये । मैं नहीं समझता कि इस तरह से आप गरीबों को शेल्टर दे रहे हैं । इस तरह से जो आप कानून के द्वारा यह चार्ज कर रहे हैं, यह नहीं करना चाहिये । जितने रुपये का दावा हो, उस हिसाब से जो भी कोर्ट फीस हो वह लेना चाहिये । अगर एक हजार पर तक आप यह २५ रुपये लेंगे, तो जिसका एक रुपये का दावा होगा उससे भी आप २५ रुपये ले लेंगे । जब इस तरह की चीजें होंगी तो हम कैसे उम्मीद कर सकेंगे कि हमको उचित न्याय मिलेगा । यह तो उसी प्रकार से होगा कि बन्दर के पास गये बटवारे के लिये, और वह दोनों की रोटी खा गया । हम अदालत में न्याय के लिये जाते हैं, और जब वही हमको नहीं मिलेगा तो क्या होगा ? हमारा देश नीचे से नीचे की श्रेणी में चला जायेगा ।

श्रीमन्, यहां पर ब्रिटेन की दुहाई दी जाती है और वहां की नकल की जाती है । वहां पर कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाती है । माननीय मंत्री जी बतायें कि वहां पर क्या इस तरह की कोर्ट फीस है जो यहां लगायी गयी है ? पहले आप कहते थे कि हम गुलाम हैं, क्या करें । आज तो आप स्वतंत्र हैं, आज तो इन्साफ होना चाहिये और हर व्यक्ति को राहत मिलना चाहिये । आज आप टैक्सेज बढ़ा कर यह कह रहे हैं कि हमको पैसा चाहिये । इसमें हमारे आपके इन्टेन्शन में फर्क है अगर आप यह कहते कि हम रेट हाई कर रहे हैं इसलिये कि उससे लिटिगेशन कम होगा या खत्म हो जायेगा, तब तो बात ठीक थी, लेकिन यहां तो आप पैसा पैदा कर रहे

हैं। अगर यह दूकान न खोलकर, आप इस नतीजे पर आ जायं कि लिटिगेशन कम हो, तो मैं समझता हूं कि कोर्टफीस की कोई जरूरत नहीं है। कोई आदमी जाता है तो वह सटेंन ग्रीवान्स को लेकर जाता है और अगर उसको गांवों में ही राहत मिल जाय तो वह अदालत या हाई कोर्ट आदि में क्यों जायगा, उसे वहां जाने का शौक नहीं होता। तो आप इसको पैसा कमाने के लिये रोजगार का एक साधन न बनायें। अगर आप यह चाहते हैं कि लिटिगेशन कम हो, तो उसके और तरीके हैं।

आज की चकबन्दी का यह हाल है कि अगर ए० सी० ओ० कोई गलती करता है और सी० ओ० के यहां उसकी अपील होती है तो वह उसको योंही देखकर खारिज कर देते हैं। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर के यहां अपील है, मगर वहां भी उसको इन्साफ नहीं मिलता है। मुझे गांव का नाम तो याद नहीं, मुजफ्फरनगर में एक आदमी की कुछ जायदाद थी। उसने २०० एकड़ जमीन १ हजार रुपये फी बीघा पर खरीदी थी। उसी के करीब दूसरे व्यक्ति ने २५ रुपये के हिसाब से खरीदी थी। लेकिन जब चकबन्दी हुई तो २५ रुपये वाले को वह कीमती जमीन भी दे दी गयी, वह उसमें शामिल कर दी गयी। अब आप सोचें कि आप किसी के महल को ले लें, और उसको झोपड़ी दे दें तो क्या यही इन्साफ कहा जायेगा? मैं कहूंगा कि ऐसे इंसाफ की जरूरत नहीं है। मैं यह कहूंगा कि सुरक्षा के नाम पर, इसकी आड़ में, आप यह नरसंहार न करें, बल्कि फैक्टरीज में जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको आप बढ़ाने की कोशिश करें, प्रोडक्शन को आप बढ़ायें। केवल इसी प्रकार से आप देश को लाभ पहुंचा सकते हैं। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव मैंने सदन के सामने रखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि सदन उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री ने कहा कि यह इमर्जेंसी के लिये टैक्स लगाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जिस चीज पर भी आप टैक्स लगाते हैं, आप यह भूल जाते हैं कि वह क्या चीज है, क्योंकि यह कोर्टफीस कोई टैक्स है ही नहीं। टैक्स सदैव कामन पूल में जाता है और जनरल गुड के लिये खर्च किया जाता है, लेकिन कोर्टफीस जो कोई आदमी देता है वह उस एवज में देता है जिसका वह न्याय पाता है। इसलिये कोर्टफीस उतनी ही ली जानी चाहिये जितनी कि किसी को न्याय की सर्विस दी जाती है। इसलिये यह कोर्टफीस और टैक्स में अन्तर है।

जनता को न्याय देना, एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस, स्टेट का वैसा ही कर्त्तव्य है जिस प्रकार से दवा देना है। अंग्रेजों के जमाने में भी लार्ड मैकाले ने कहा था कि यह दलील कोर्टफीस के लिये देना गलत है कि उससे लिटीगेशन कम हो जायगा। यह तो आपका कर्त्तव्य था कि न्याय जनता को मुफ्त मिलता। स्वर्गीय पंत जी ने अंग्रेजों के जमाने में इधर बैठ कर कहा था कि किसी भी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट में कोर्ट फीस नहीं लगायी जा सकती, लेकिन आज वही आप इमरजेंसी का नाम लेकर और बढ़ा रहे हैं। आपने सारी जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं पर टैक्स लगा दिया है। दवा पर भी लगा दिया है। ला कमीशन ने भी अपनी पिछली रिपोर्ट में यह कहा कि भारत में दुनिया के और देशों के कंपरेजन में कोर्टफीस बहुत ज्यादा है। फाईलिंग फी इंगलैंड और अमेरिका में लगती है, रूस में वह भी माफ है। लेकिन हमारी वेलफेयर स्टेट की हालत यह है कि दिन पर दिन और बढ़ाई जा रही है और मंत्री जी उसको टैक्स कहते हैं। १९६०-६१ में फुल बेंच की रूलिंग हो चुकी है कि कोर्ट फीस तो वह सर्विस का एवज है जो किसी आदमी को उसके न्याय पाने के एवज में दी जाती है। लेकिन टैक्स वह है जो कामन पूल में जनरल गुड के लिये खर्च किया जाता है। तो सरकार जरा इन बातों पर ध्यान तो दे। आप हाई कोर्ट, सुप्रीमकोर्ट, ला कमीशन आदि किसी की भी बात को मानते नहीं हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस वेलफेयर स्टेट में जिसको आप सोशलिस्टिक पेटर्न भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस को माफ ही कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

पिछली बार जब चीफ जस्टिस आफ मद्रास यहां आये थे और उन्होंने यहां की बढ़ती हुई कोर्ट फीस को देखा तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि आप हमेशा से ही अमेंडमेंड करते चले आये है। अब तक ३६, में, ४१, ५६, ६० और ६२ में और भी संशोधन आप कर चुके हैं। आपके इस रवैये से लोगों को बिलकुल भी संतोष नहीं है, और भरोसा नहीं है कि जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं वे कभी सस्ती होंगी; बल्कि दिन पर दिन महंगी ही होती जा रही हैं। उसमें ऐसा लगता है कि किसी जमाने में जहां ८ आने के टिकट पर दरख्वास्त देते थे वहां कुछ दिन बाद १२ आने के टिकट पर दरख्वास्त देने लगे, फिर उसके बाद १६ आने के टिकट पर दरख्वास्त देने लगे, फिर दो वर्ष पहले २० आने के टिकट पर दरख्वास्त देने लगे और अब आप इमर्जेंसी के नाम पर २४ आने यानी डेढ़ रुपये करने जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिये न्याय सस्ता नहीं हो सकता और न वह गरीबों के लिये सुलभ हो सकता है। इसका नतीजा यही होगा कि एक ऐसा युग आयेगा जब कि लोगों में अशान्ति फैलेगी। जो आदमी सस्ता न्याय नहीं पा सकेगा और गरीबी की वजह से कोर्ट में दावा नहीं कर सकेगा तो वह लाठी का ही सहारा लेगा, वह न्यायालय में नहीं जायगा। मद्रास के एक एक्स चीफ जस्टिस ने यहां के लिटिगेंट्स के बारे में जो कहा है, उसे मैं पढ़ देता हूं—

"They pay High Court fees and it is beyond question that the aggregate amount is far more than sufficient to cost the total cost of administration of civil justice. When I came to India I was amazed at the High Court Fees which litigants were called upon to pay, the position being different in England."

आज हमारी सरकार को यह शर्म नहीं है कि कहने के लिये तो वह माडर्न सिस्टम आफ एडमिनिस्ट्रेशन व तमाम चीजों का अनुसरण कर रही है जैसा कि दूसरे देशों में है, जैसे उसका कहना है कि हमने पंचायत राज ऐक्ट बना दिया और भी बहुत से ऐसे कानून बना दिये, और हमारा कोर्ट फीस ज्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन, श्रीमन्, पिछले तीन चार साल के बजट को देखें तो उससे बिलकुल साबित हो जायगा कि हमारी सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाया, स्टैम्प ड्यूटी को बढ़ाया, कोर्ट फीस को बढ़ाया और इस तरह से हर साल करोड़ों रुपये वह ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर खर्च कर रही है। लिटिगेंट ही ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस, क्रीमिनल जस्टिस गवर्नमेंट एडवोकेट आदि की लम्बी चौड़ी फीस देता है, ला ऐंड आर्डर मेनटेन करने का खर्चा भी वही सरकार को देता है और पाता है वही अपना ५ रुपया वापस जिसके लिये उसने कोर्ट में दावा किया था और जिसको पाने के लिये उसे इतने तमाम खर्च करने पड़े। आखिर यह कहां का और कौन सा न्याय है कि जो आदमी रिलीफ पाने के लिये कोर्ट में जाय उसे ही तमाम खर्च करने पड़ें तब जाकर कहीं उसे इतना मंहगा न्याय मिल सके। लेकिन इतने पर भी सरकार का कलेजा ठंडा नहीं हुआ और इमर्जेंसी के नाम पर, डी० आई० आर० के नाम पर इस तरह के तमाम काम कर रही है। यहां सदन के सामने संशोधन आने पर हम कुछ कहना चाहते हैं तो उसको भी आसानी से नहीं कह सकते। अधिक न कहते हुए मैं केवल संक्षेप में ही समाप्त करूंगा कि अगर मेरे खयाल से ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस कमेटी की सिफारिश के अनुसार ही एकोनामी की गयी होती तो जितना रुपया आप कोर्ट फीस से लेना चाहते हैं उससे कहीं अधिक पा जाते मगर इन्साफ करते तो। श्रीमन्, हमारा तजुर्बा है कि सेक्शन ८०-सी की हजारों नोटिसें ईश्यू हुईं और गवर्नमेंट एडवोकेट ने हजारों मुकदमें लड़े लेकिन मेरा खयाल है कि सरकार ८० परसेंट केस हार गयी और मुश्किल से २० परसेंट केस ही जीत सकी। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि लिटिगेंट ने सरकार पर दावा किया और सरकार हार गयी तो उसका खर्चा भी लिटिगेंट को ही देना पड़ा और सरकार ने जो डिफेन्ड किया उसकी कोर्ट फीस भी उसे ५ रुपये के ऊपर देनी पड़ी। कई मर्तबा इस सदन में भी सुनने को मिला है कि जितनी नोटिसेज सर्व हुईं उनका अगर पता लगाया जाय तो करीब ९० परसेंट केसेज में सरकार हारी और उसके हारने की रिस्पांसिबिलिटी लाइयर्स के ऊपर ही आयेगी। तो बहुत बड़े आइटम उसमें चले जाते। वैसे ही क्रिमिनल कोर्सेज में, वैसे ही लीगल डिपार्टमेंट में है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा और आपके कहने के अनुसार मैं परिधि के बाहर भी विधेयक को नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन

इसमें ला आफिसर है, लम्बा चौड़ा स्टाफ है, इन सब चीजों में कमी करके आप उन दर्जे पर ला सकते हैं कि जिससे लिटिगेन्ट को, जो गरीब है, कुछ रिलीफ मिले । आप उसमें संशोधन लायें । मैं इस सदन के सामने कहूंगा कि अब तो आपको ज्ञान हो गया होगा, आप गरीबों का खयाल करते हैं, उधर सभी गरीबों के नुमाइन्दे हैं और इधर हम अमीरों के नुमाइन्दे हैं लेकिन आप यह देखें कि कितनी एप्लीकेशन्स गरीब देते हैं । इसके आंकड़े मैंने इकट्ठा किये हैं; वह आप देखें कि जिलों में कितनी दरख्वास्तें जिलाधीश, सिविल जज, एस० डी० ओ०, रेवेन्यू आफिसर, जुडिशियल आफिसर और जितने भी अफसर हैं उनके यहां गुजरती हैं और उनको देने वाले देहातों के ९० प्रतिशत वह गरीब लोग ही हैं कि जिन पर यह सरचार्ज लगाया जा रहा है और जिसके लिये कोई सुनवाई नहीं है । कोर्ट फीस उसमें बढ़ी हुई लगेगी । पहले तो नोटिस जायगा, उसके बाद एतराज का मौका होगा और उसको सुनने के बाद जो उचित सरचार्ज होगा वह लगाया जायगा । और जगह की तो मैं नहीं जानता लेकिन हमारे यहां बस्ती में एक भी केस ऐसा नहीं है कि जहां नोटिस पहले सर्व किया गया हो और बाद में एतराज सुनने के बाद सरचार्ज का निर्णय हुआ हो । हम इन गरीब लोगों से कोर्ट फीस इस तरह से लेंगे कि जिसके पास पहले किसी जमाने में ८ आना लगते थे अब उस पर २४ आना लगेंगे--क्योंकि इमर्जेंसी है । एमर्जेंसी के नाम पर हड्डी भी बिकवा लीजिये, गवर्नमेंट हमारे लिये नहीं है बल्कि हम गवर्नमेंट के लिये हैं; ऐसी हमारी न्याय की धारणा है । आप ने मजबूर होकर केवल सप्लाई विभाग को छोड़ दिया है । कन्सालिडेशन के बारे में क्या कहूं ? वहां तो बिल्कुल नर्क है, वह तो कलयुग का तीर्थ है, वहां की मुकदमेंबाजी की क्या बात है, वहां तो मजबूरन जाना ही पड़ेगा वर्ना तर ही नहीं सकता । हमारी सरकार ने ८ आने की जगह डेढ़ रुपया कर दिया और जिसका प्रभाव अधिकतर किसानों पर ही पड़ रहा है ।

दूसरे यह कैसा उपहास है कि यह जस्टिस के देने वाले लोग कहते हैं कि जो विभाग हमारे पास पास कराने को भेजते हैं वह हम पास करा देते हैं ! जैसे कि परसों ही हमारे समाज कल्याण मंत्री जी ने कह दिया कि मैं दूसरे की बुद्धि से कह रहा हूं, हमारी बुद्धि तो ताक पर रखी है और माल मंत्री जी की बात मैं कह रहा हूं और सचमुच ही जिसके पास हृदय है वह ऐसी बात नहीं कर सकता, उनका हृदय हमारे साथ है । माननीय मंत्री महोदय ने भी इसी तरह से ला डिपार्टमेंट ला कर रख दिया । पहले ५-१० रुपए तक की रिकवरी के दावे में कोर्टफीस १ रुपया थी और ५ रुपए पर केवल ५० नये पैसा ही थी लेकिन अब अगर ५ रुपये की रिकवरी का दावा होगा तो ५ रुपया खर्च करना होगा जो मिनिमम है ।

श्री जयराम वर्मा--

इस सम्बन्ध में तो हमने मान लिया है, संशोधन मंजूर कर लेंगे ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

वह ठीक है लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इस वक्त तो आप ने मान लिया लेकिन आपकी बुद्धि पहले कहां थी जब आपने इसको लगाना स्वीकार किया था ? इसी तरह से वकालतनामें में उन्होंने छोटों की रक्षा नहीं की बल्कि बड़ों की ही रक्षा की है । कोई किसान है या जिनके पास जमीन है या कोई भी हमारे दूसरे भाई हैं वह अदालत में जायेंगे । हाकिम परगने के सामने खड़े हो जायेंगे तो दरख्वास्त पर डेढ़ रुपये के टिकट लगाने पड़ेंगे । पेटीशन राइटर को लिखाई पर ४ आना और दिये । तो मामूली दरख्वास्त पर जो ५ मिनट में तय होगी उस पर पौने दो रुपया खर्च करना पड़ेगा । यह किस पर बढ़ा ? गरीब पर । वकालत नामा फाइल करेगा, वकील रखेगा क्योंकि अदालत उससे बात नहीं करेगी । बड़ी भारी हमदर्दी आपने दिखाई ।

बहुत से वकील लोग ट्रेजरी बेंचेज में हैं, आप भी, श्रीमन्, हैं, मुझे ताज्जुब है उस बुद्धि का प्रयोग नहीं हो पाता । डिक्लेरेटरी सूट्स का आपको तजुर्बा होगा कि इस समय जितने दायर हो रहे हैं या हुए हैं, मैं बस्ती जिले का उदाहरण देता हूं, ९५ फीसदी में से ८० फीसदी गरीब आदमियों द्वारा होते हैं । पहले १ रुपया था अब उसको धीरे-धीरे बढ़ा कर ३० रुपया कर दिया ।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

लोकल बाडीज का आपने क्या डीसेन्ट्रेलाइजेशन किया है ? आपको, श्रीमन्, याद होगा लोकल बाडीज में पंचायत भी शामिल कर ली गयीं । अगर मैं ठीक से समझ सका हूं, आर्टिकल २२ कहता है :

Election petition questioning the election of any person as a President, Chairman or Mayor of a Municipal Board, District Board, Corporation or any other Local Body except those mentioned in Clause (*c*). ....

क्लाज (सी) में नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया हैं । अब अगर कोई गरीब किसान दावा करेगा तो उसको १५० रुपया देना पड़ेगा, अगर हाकिम कह देता है कि लोकल बाडीज की डेफिनीशन में आता है । अगर फैसला खिलाफ होता है तो हम हाई कोर्ट तक जायंगे और बराबर उसको खर्च करना पड़ेगा । आपने कुछ क्लेरीफिकेशन किया जब हाई कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है । ला डिपार्टमेंट उसकी रूलिंग्ज को नेगलेट करता है । तो जो बढ़ाया ऐसा विवेकहीन संशोधन रखा है जिसमें पूअर पीपुल अधिक हिट होते हैं, और धनी का तो कोई प्रश्न ही नहीं । अगर किसी कारण आपने कोर्ट फीस बढ़ायी थी तो कुछ ध्यान देते कि यह किसको हिट करने जा रही है ।

अभी बहुत से पहलू एमर्जेंसी में निकलेंगे और एक विभाग ऐसा खुलेगा जोकि और रिसोर्सेज को टैप करेगा । मेरा कहना है कि मुख्तारनामे और एप्लीकेशन डिक्लेरेटरी सूट्स के बारे में कोर्ट फीस की बड़ी दरों से छोटों को नुकसान पहुंचेगा और बड़ों को फायदा होगा । एक करोड़ रुपये की जिसकी मिल्कियत है उसे भी ३० रुपये ही देने होंगे और १०० रुपये की मिल्कियत वाले को भी ३० रुपये ही देने होंगे । इस पहलू को आप याद रखें कि किसको आप हिट करने जा रहे हैं । जो मामूली काश्तकार हैं, जिसके घर पर, पिछवाड़े की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है ऐसे ही लोगों के ८० परसेंट केसेज कोर्ट में जाते हैं । यह उनके ऊपर ३० रुपये बढ़ाना इनजस्टिस है । जो नान-प्लांड मुहकमे हैं उनमें कमी कीजिये । ला डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एडवोकेट, और पैनल आफ लाइयर्स पर कुछ ध्यान रखिये । उनके कारनामों पर ध्यान रखते हुये काफी कटौती करने की आवश्यकता होगी जो आप दूसरों से मांगते हैं ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय अध्यक्षता महोदय, इंडियन कोर्ट फीस ऐक्ट, सेल्स टैक्स में जो संशोधन इस विधेयक द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और जो वृद्धियां प्रस्तावित की गई हैं उनका मैं समर्थन करता हूं । माधोप्रसाद त्रिपाठी जी जो कचेहरी में प्रेक्टिस करते हैं और किसान व मजदूर वर्ग जो कचेहरी में जाता है उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर उन्होंने इसे अन्यायसंगत कहा है कि कोर्ट फीस का स्टाम्प बढ़ाया जाय । मैं भी उन्हीं की बिरादरी का हूं और मुझे भी अनुभव है कि आज तक यह सुनने में नहीं आया कि वह किसान और मजदूर जो कचेहरियों में मुकदमें ले जाते हैं कभी भी यह वकील साहब अपने बार एसोसियेशन में इस प्रस्ताव को पास करवाते कि जो नित्य प्रति वकीलों की फीस बढ़ती जा रही है उसमें कटौती की जाय जिससे उन गरीबों का लाभ हो सके । वकील साहबान की फीस २,५ और साढ़े ७ प्रतिशत तक होती जा रही है और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में जाने पर जो कि मुकदमा लड़ रहे हैं उन्हें कहीं अधिक फीस देनी पड़ती है । लेकिन जैसा मैंने कहा, वकील साहबान के मस्तिष्क में यह बात नहीं आई कि गरीबों के हित को दृष्टि में रख कर इस प्रकार का प्रस्ताव हम लोग पास करते कि उनसे कम पैसा लिया जाय । इसमें उन लोगों का दोष भी बहुत नहीं है । मैं उन्हीं के तर्क में फंसा जाऊंगा यदि इस बात का मैं विरोध करने लगूं कि वकीलों की फीस अधिक पड़ती है । आज का समय ऐसा ही बन गया है कि रुपये का, पैसे का समाज में बड़ा महत्व है और आज के युग में कोई भी वकालत या कोई भी आधुनिक न्याय पद्धति बिना खर्चे के चलाई नहीं जा सकती ।

हिन्दू राजाओं के अतीत के इतिहास की तरफ आदरणीय सदस्यों ने इशारा किया कि कभी भी वादों के लिये जो लोग कचहरियों में न्याय मांगने जाते थे उनसे पैसा नहीं लिया जाता था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उस समय जो न्याय देते थे उनको तनख्वाहें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दी जाती थीं या नहीं। कहानियों में हम लोगों ने जरूर पढ़ा है और सिनेमा में भी ऐसे चित्र दिखाये जाते हैं कि जहांगीर के राज्य में एक घन्टा लटका दिया जाता था और जिन लोगों को न्याय की आवश्यकता होती थी वे उस घन्टे को बजा देते थे और बादशाह एक सुन्दर सा, लच्छेदार फैंसला सुना दिया करते थे। मैं पूछना चाहता हूं अपने उन आदरणीय सदस्यों से कि शाहजहां और औरंगजेब के युग का न्याय क्या आज कल के कानून के जमाने में वे स्वीकार करेंगे। क्या वे यह नहीं कहेंगे कि इस प्रकार का अधिनायकवादी न्याय समाज के लिये कलंक है? तो हर युग की एक प्रवृत्ति होती है और उसी के अनुसार ही चीजों को कसौटी पर कस सकते हैं। आज न्याय देने वाले वे लोग हैं जिन्हें पचासों वर्ष से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का अध्ययन करना पड़ता है। आज वकील वर्ग भी वह हैं जिसे पचासों वर्ष की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नजीरों का अध्ययन करना पड़ता है। आज सरकार को चाहे मुंसिफ हो चाहे जज हो इनको लम्बी लम्बी तनख्वाहें देनी पड़ती हैं और मुझे याद है कि इस सदन में भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट, मुन्सिफ आदि की तनख्वाहों के बारे में चर्चायें होती हैं और इस प्रकार का अनुरोध होता है कि उनको ऐसी तनख्वाहें देनी चाहिये जिससे वे अपनी ईमानदारी की रक्षा कर सकें; तो इन सब बातों को देखते हुये आज यह कहना कि इंडिया कोर्ट फीस ऐक्ट और स्टैम्प ऐक्ट में कोई वृद्धि न की जाय कुछ न्यायसंगत नहीं मालूम होता।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

आपने अभी यह कहा कि पहले की जुडिशरी को तनख्वाह मिलती थी या नहीं, यह सदस्यों ने नहीं बताया। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी जानकारी इस बारे में क्या है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि प्राचीन समय में क्या होता था उसका मैंने अध्ययन नहीं किया है और मैंने स्वयं आदरणीय सदस्यों से, जिन्होंने यह कहा है कि पहले न्याय के लिये कोर्ट फीस नहीं लगती थी, यह पूछा कि क्या उन्होंने यह भी अध्ययन किया कि जो लोग न्याय देते थे उन्हें वेतन मिलता था या नहीं।

श्री भगवानसहाय—

आईन-ए-अकबरी पढ़िये, पूरा एक चैप्टर इसी पर है।

श्री कृष्णानन्द राय—

पुराने जमाने में जब लोग ऋषियों के आश्रमों में बैठकर पढ़ते थे तो उनको भी किसी न किसी प्रकार का वेतन तो मिलता ही था। कुछ नहीं तो गुरू दक्षिणा ही दे आया करते थे। तो किताबों में यह नहीं दिखा सकते कि उनको क्या दिया जाता था और क्या नहीं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें खास तौर से यह दिखाया गया है कि हमारे पड़ोसी राज्यों में भी इस प्रकार के संशोधन किये जा रहे हैं और यहां जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है यह उन्हीं के समानान्तर लाने की प्रक्रिया मात्र है। तो बहुत विरोध की गुंजायश नहीं रहती।

एक बात मैं और अपने व्यावहारिक ज्ञान से बता देना चाहता हूं कि आज कचहरियों में जाते कौन लोग हैं। श्रीमन्, आपको भी अनुभव है कि आज उस टाइप के सिविल केसेज जो ५—७ साल पहले का हम लोगों का अनुभव है कचहरियों में नहीं आते। डेट ऐक्ट्स कुछ इस प्रकार के बन चुके हैं कि आज किसी को कोई ऋण नहीं देता और बहुत कम मात्रा में रुपये पैसे से संबंधित मामले कचहरियों में आज आ जा रहे हैं। जहां तक जमीन के संबंध में कानून है, आप जानते हैं कि जब जमींदारी एबालीशन ऐक्ट स्वीकृत हुआ था तो प्रारम्भ में बहुत से केसेज आये लेकिन धीरे-धीरे उनके प्रश्नों का समाधान होता चला जा रहा है और रेवेन्यू तथा सिविल केसेज समाप्त होते चले जा रहे हैं। आप हाई कोर्ट की फाइलों को देखिये, मुंसिफों और जजों की फाइलों को देखिये तो मालूम होगा कि सिविल केसेज इस तरह के होते हैं कि किसी स्कूल का मुकदमा जाता है, इलेक्शन पैटीशन होते हैं, नौकरियों के रिट्स जाते हैं, लेबर लाज के मुकदमें जाते हैं यानी आधुनिक समाज में जो आधुनिक संघर्ष हो रहा है उसके ही मुकदमें जा रहे हैं और जिन गरीब किसानों और मजदूरों की यहां पर दुहाई दी जा रही है, उनके मुकदमें धीरे-धीरे कचहरियों से समाप्त हो गये हैं।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में न्याय की पद्धति में परिवर्तन हुआ है। न्याय पंचायतों को

[श्री कृष्णानन्द राय]

काफी सीमा दी गई है और उनका जूरिसडिक्शन बढ़ाया गया है और एक हजार रुपये तक का मुकदमा वहां जाता है और मुंसिफ तथा जज की अदालत की आवश्यकता नहीं रह गई है । ऐसी दशा में जब न्याय सुलभ बनाया जा रहा है और गरीबों को मौका दिया जा रहा है कि वे अपने झगड़ों को न्याय पंचायत में उपस्थित करके समझौते के द्वारा तय करा सकें . . . . .

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, वक्ता जी ने कहा कि एक हजार रुपये तक के मुकदमे न्याय पंचायतों में जाते हैं लेकिन मेरी जानकारी में ५०० रुपये तक के ही जाते हैं । तो मैं माननीय सदस्य का स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, मुझे, कहने में संकोच नहीं है कि न्याय पंचायतों की सीमा ५०० रुपये है । उसके लिये हमें दुःख है कि हमने एक हजार रुपये तक का निवेदन किया था । लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि ऐसी बात नहीं है कि सरकार की यह दृष्टि है कि किसान मजदूर कचहरियों में आये और सरकार को व्यवसाय के रूप में अधिक पैसा मिले । यदि यह ध्येय रहता तो न्याय पंचायतों को यह अधिकार न दिये जाते कि जिससे लोगों को पूरा मौका मिल सके और वे अपने मुकदमे को निबटारा पंचायतो में करा सकें जिन पर कोर्ट फीस बहुत कम देनी पड़ती है ।

श्रीमन्, बताया गया कि ब्रिटेन में कोर्ट फीस नहीं लगती है । लेकिन जो प्रार्थना-पत्र वहां दाखिल किये जाते हैं उन पर कितना टिकट लगता है, यह देखना है । सुप्रीम कोर्ट में, जहां तक मुझे जानकारी है, ३ रुपये १२ आने या ४,५ रुपये के बीच में स्टाम्प लगता है और इंगलैन्ड अमरीका में छोटे-छोटे मुकदमों में १२ या १३ रुपये प्रार्थना-पत्रों में फीस लगती है । ऐसी दशा में जब तक हमें किसी देश की पूर्ण जानकारी न हो तो भी यकायक उदाहरण उपस्थित करना हमारी समझ में न्यायसंगत नहीं होगा ।

श्रीमन्, मुझे अधिक नहीं कहना है और दुहराना होगा अगर मैं यह कहूं कि डिफेंस के लिये या प्लानिंग के लिये आवश्यकता है, इसलिये सरकार को बढ़ानी पड़ी है । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री कल्पनाथसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

श्रीमन्, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जो कि हमारे पूर्व वक्ता ने इस बिल को जनमत संग्रह के लिये घुमाने का प्रस्ताव किया है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं । इस डिवेसेशन का सीधा संबंध न्याय पाने से है । बहुत साधारण सा एक अमेंडमेंट है, इस फीगर की जगह यह रख दिया जाय । इतना-सा अमेंडमेंट है । उसका क्या असर होता है उधर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । भले ही उधर से कहा जाय कि मुकदमों की संख्या घट रही है, मुकदमें का शौक घट रहा है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मुकदमों की संख्या बढ़ रही है साथ ही साथ मुकदमे दो दो तीन तीन साल चलते हैं फिर खारिज हो जाते हैं और फिर नये सिरे से शुरू किये जाते हैं । जब यह कहा जता है कि इस स्टैम्प ड्यूटी का न्याय पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका असर पड़ेगा । मुकदमों की संख्या कम करने की दृष्टि से, और फैसले में ज्यादा ढिले न हो, इसलिये मुकदमा खारिज कर दिया । वह फिर से रेस्टोर कर दिया जाय तो दोबारा खर्च करना पड़ेगा और ५० परसेंट केसेज में इस तरह की बातें होती हैं । इसलिये न्याय के बारे में इस देश में बड़ा भ्रम है और मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि कांग्रेस की हुकूमत आज तक यह विश्वास नहीं पैदा कर सकी जनता में कि आपको न्याय सुलभ और सस्ता पाने का अधिकार है ।

मैं एक किस्सा कहना चाहूंगा । वह चना महोदय का किस्सा है । वह न्याय पाना चाहते थे । इस लोक में रहते थे तो लोग काटते खाते थे, जब दौरी होती थी तब खाते थे, ओसौनी होती थी तब खाते थे, जहां मिल जाय वहीं खाते थे, हर वक्त हर प्रकार खाने से चूकते नहीं थे । जब उन्होंने यह दशा देखी तो दौड़े-दौड़े चले गये परमात्मा के यहां । उन्होंने कहा कि महाराज बचाइये । उस लोक के लोग इस तरह से खा खाकर सत्यानाश कर दे रहे है, आप तो शरण दीजिये ।

उन्होंने कहा महाराज वहीं जाइये वरना अपनी भी तबियत मचल रही है । यही हालत है इस मिनिस्ट्री की । इस कैबिनेट के प्रायः हर मिनिस्टर ने अपने-अपने ढंग से टैक्स लगाया । एक माननीय वित्त मंत्री बाकी जो दिल्ली से बोलते भये थे कि इस प्रदेश में सबसे अधिक टैक्स है, हिन्दुस्तान के सब प्रदेशों से । इस प्रदेश का किसान यह समझता था कि वित्त मंत्री जी दिल्ली से बोल रहे हैं । जवाहरलाल जी ने भी सुना होगा, प्लानिंग कमीशन के मेम्बरों ने भी सुना होगा । लेकिन यह कौन जानता था कि आते ही आते, बजट सत्र समाप्त होते होते माननीय वित्त मंत्री जी ही न्याय का गला घोंट टैक्स बिल हमारे सामने ला कर रख देंगे, और कह देंगे हमसे कि तुम इसको पास करो । यह कोई नहीं जानता था । यह बलिहारी है इस न्याय देने की और न्याय पाने की, दोनों की । मुझे ताज्जुब तब और होता है जब माननीय उपमंत्री जी इस बिल को पेश करते हैं । अगर यह बिल माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया होता तो मुझे रत्ती भर भी ताज्जुब नहीं हुआ होता । मैं यह समझता कि उन्होंने ठीक अपने उसी ढंग से काम किया, क्योंकि पिछली भी हुकूमत थी उसको भी हम लोगों ने देखा था कि कितनी उस हुकूमत ने राहत दी थी इस प्रदेश की जनता को जिसके सर्व सत्ता सम्पन्न व्यक्ति थे माननीय वित्त मंत्री जी । लेकिन वह आज नहीं आये । आये कौन ? जो पिछड़ा वर्ग संघ में उद्घाटन भाषण करते जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा गला घोंटा जा रहा है, तुमको न्याय नहीं मिलता है, तुमको रोजी नहीं मिलती है, तुम हरिजन हो ? बैकवर्ड हो, मुसहर की बात कही माननीय कमलासिंह जी ने तो अधिष्ठाता महोदय, आपने कहा कि विषयान्तर हो रहा है । मैं कहता हूं बिल्कुल विषयान्तर नहीं है । उनका वहां उद्घाटन भाषण और यहां का भाषण दोनों देखा जाय । और मैं यह समझता हूं कि इस मिनिस्ट्री में कुछ लोग हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूं और उन्हीं में से एक उपमंत्री जी को भी मैं समझता हूं । जरा ज्यादा वास्ता है उनका किसानों से और गरीबों से । लेकिन ताज्जुब तब हुआ जब आपने यह भाषण दे डाला कि कोई हर्ज नहीं है अगर यह बिल आता है और उसको पास करो । किसके ऊपर इसका बोझा पड़ेगा ? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि देहात के अन्दर चाहे वह पुराने जमींदार हों उस जमाने के या आज के टुटहे जमींदार हों, आपके कानून से उनका डंक तो गया नहीं, तो वह अगर जमीन हड़पना चाहें या किसान को या गरीब को परेशान करना चाहें तो मुकदमें लड़ाते-लड़ाते परेशान कर देंगे और वह दम तोड़कर बैठ जायगा । मैं जानता हूं मंत्री जी अपने दिल पर हाथ रखकर कहेंगे और इसका जवाब देंगे, मैं समझता हूं उनको भी अपने निर्वाचन क्षेत्र से ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि जहां लोगों ने रुपये के अभाव में मुकदमा लड़ना छोड़ दिया है । यह जमींदार ऐसे हैं कि जिन्होंने लोगों को तबाह कर दिया एक नहीं, दस दस मुकदमें दायर करा-करा कर । अगर किसी को ठीक करने की या परेशान करने की जरूरत पड़ती है तो मुकदमा कलकत्ते से दायर, मुकदमा बम्बई से दायर, मुकदमा दिल्ली से दायर, मुकदमा और कहीं से दायर, कैसे वह आदमी ठीक नहीं होगा मुकदमें से ? कौन आदमी ? जिस आदमी को वह लाठी से नहीं ठीक कर सकते, जिस आदमी को अपने खरीदे हुए गुंडे से ठीक नहीं कर सकते, उस आदमी को यह बड़े और जबरदस्त आदमी अपने मुकदमों और रुपये से ठीक करते हैं । तो, श्रीमन्, यह सरकार आखिर चाहती क्या है ? किस तरह का न्याय देना चाहती है ?

दूसरा टैक्स बढ़ाया गया स्टाम्प ड्यूटी का । स्टाम्प ड्यूटी में जरा देखिये, रजिस्ट्रेशन में कितना छिपाया जाता है । भूमिदान होने लगे । बाबू साहब को अगर जमीन देनी है निरहू को तो कह देंगे चलो बिनोबा जी का खाता खुला है, उसमें दान कर देते हैं, तुमको दिलाये देते हैं । सब चीजों से बच गये, रजिस्ट्रेशन से बच गये, स्टाम्प ड्यूटी से बच गये, सारे मामलों से बच गये । और बचना चाहो तो २२९(बी) एक है यह मुकदमा दाखिल कर दो और आसानी से हो जायगा । यह सब क्या तमाशा है ? यह किसके लिये है ? मेरा यह कहना है कि इसका बोझ बड़े लोगों से घटकर छोटे लोगों पर पड़ने वाला है और वह इससे तबाह होने वाले हैं । आज भी लोग जमीन खरीद कर अपने नाम कराने में मजबूर हो रहे हैं और अगर टैक्स बढ़ जायगा तो उनकी हालत और बदतर हो जायगी ।

[श्री कल्पनार्थसिंह]

श्रीमन्, मुझे एक बात और निवेदन करनी थी मंत्री जी से । मैंने एक प्रश्न पूछा था इस विधान सभा में कि राष्ट्रीय आपत्ति के अवसर पर, जिस दिन घोषणा हुई थी, उस दिन सेल्स-टैक्स का कितना बकाया था और मुझे जहां तक याद है, शायद २० फरवरी तक की फीगर्स मैंने मांगी थी कि उस दिन तक कितना बकाया था और कितनी वसूली हो चुकी थी । मेरा खयाल है कि १० करोड़ रुपया बकाया था और ९६ लाख की वसूली थी । यह हिसाब है । एक किस्सा है श्रीमन् कि धोबी से तो लड़ने की हिम्मत नहीं, गधे के कान उमेठेंगे । टाटा, बिड़ला, जयपुरिया, सिंहानियां, रामरतन गुप्ता, स्वनामधन्य जितने लोग हैं, उन से वसूल नहीं होगा, किसान से इस राष्ट्रीय आपत्ति की बात की जायगी । घुरहू से, निरहू से राष्ट्रीय आपत्ति के नाम पर वसूली की जायगी । न्याय पाने के नाम पर और दूसरे दूसरे नामों पर उससे रुपया लिया जायगा । क्या यह उन्हीं लोगों के लिये है ? यह कैसी राष्ट्रीय आपदा है ? क्यों नहीं वसूल किया आपने वह बकाया ? मैंने यह भी जानना चाहा था कि आप क्या लैन्ड रेवेन्यू की तरह से उस बकाया को वसूल करने जा रहे हैं ? तो जवाब मिला था कि जी हां, प्राविधान है उसमें, कार्यवाही होगी । एक भी केस नहीं बतलाया जा सकता वित्त मंत्रालय की ओर से जिसमें कि किसी एक आदमी पर भी सेल्स टैक्स या इन्कम टैक्स के एसेसी को गिरफ्तार किया गया हो । अगर एक केस भी मंत्री जी बतला दें तो मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा और चाहता हूं जानना अपनी जानकारी बढ़ाने के लिये, क्योंकि ऐसे लोगों से हम अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि वह जानकारी हमें मिले, लेकिन वह जानकारी हमें मिल नहीं पाती, तभी शिकायत होती है ।

श्रीमन्, सेल्स टैक्स की बात आयी । इस प्रदेश में करोड़ रुपया—करोड़ों की बात मैं कह रहा हूं, लाखों की नहीं और इसलिये कह रहा हूं कि जिस दिल्ली का हवाला दिया गया मंत्री जी के भाषण में कि इस प्रदेश के लोग बैठे और यह सोचा गया कि अब ७ नये पैसे की जगह १० नये पैसे कर दिया जायगा टैक्स तो मैं जानना चाहता हूं कि उस दिल्ली प्रांत में क्या हुआ । जिस दिल्ली में आप इकट्ठा थे, उसमें कितना सेल्स टैक्स लगता है ? उत्तर प्रदेश और दिल्ली का मुकाबला कर के आप देखें । मेरी जरूर यह जानकारी है श्रीमन्, कि करोड़ों रुपयों का व्यापार दिल्ली में होता है फर्में दिल्ली में हैं और माल बिकता है उत्तर प्रदेश में महज इसलिये कि वहां फर्में बनी हुई हैं । कागज पर फर्म दिल्ली में बनी हुई है इसलिये कि वहां कोई सेल्स टैक्स नहीं लगता, और यहां उनको सेल्स टैक्स देना पड़ता है । मैं जानकारी करना चाहूंगा, अपनी याददाश्त में सुधार करना चाहूंगा, अगर इसमें कोई और जानकारी मंत्री जी करा दें । अगर आप वहां जा कर दिल्ली वालों को यह नहीं समझा सके कि तुम्हारी हुकूमत की वजह से हमारे प्रदेश का करोड़ों रुपयों का सेल्स टैक्स का घाटा हो रहा है, हम अपना टैक्स नहीं बढ़ायेंगे तो मैं श्रीमन्, बहुत खुश हुआ होता और मंत्री जी को उस के लिये मुबारकबाद देता कि इस प्रदेश की शान उन्होंने रखी तो । लेकिन, श्रीमन्, मुझे अफसोस इस बात का है कि एक तरफ तो वह बड़े-बड़े करोड़पति लोग, जो सेल्स टैक्स छिपाते हैं वह बरकरार रहें और दूसरी तरफ यह स्टैंप ड्यूटी और कोर्ट फीस में टैक्स बढ़ाया जाय । यह न्याय बुद्धि तो मेरी समझ में नहीं आयी । मैं आपके द्वारा इस माननीय सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय और तब पता लग जायगा कि हालत क्या है । श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सेल्स टैक्स के सिलसिले में मुझको मालूम है कि इस प्रदेश का व्यापार चौपट हो रहा है । बहुत से मामलों में सेल्स टैक्स की नीति की वजह से वह चौपट हो रहा है और अब जो आप सेल्स टैक्स की बढोत्तरी करने जा रहे हैं, चाहे वह कोई व्यापार के लिये कोई खरीदारी करता हो अथवा पर्सनल कंजम्पशन के लिये चीज खरीद रहा हो, उस पर एक-सा टैक्स लगने की जो बात है, यह बहुत ज्यादा जनता के हित को तोड़ना मरोड़ना है और इस प्रकार जनता का गला घोंटना है ।

श्रीमन्, मैं २, ३ बातें और कहना चाहूंगा । वह यह कि पहली बार ही यह नहीं हुआ है । जब से यह ऐक्ट बना है, मैंने एमेंडमेंट देखें हैं । अंग्रेजों के जमाने में औसतन ढाई वर्ष में

एक बार एमेंडमेंट होता था। दूसरे एक्ट्स में २ साल में १ अमेंडमेंट हुआ है। परन्तु इस ऐक्ट में मेरा ऐसा खयाल है कि सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुए हैं। मैं जानकारी के लिये यह कह देना चाहता हूं कि सबसे पहले यह ६ आने रही थी फिर वह कोर्ट फीस बढ़कर मौजूदा हालत में आठ आने हुई। उसके बाद यह फिर अब बढोत्तरी का प्रस्ताव आया कि वह डेढ रुपया कर दी जाय। इसी प्रकार से स्टाम्प ड्यूटी की भी हालत है। मेरा यह स्पष्ट कथन है कि सदैव राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति का बहाना नहीं लेना चाहिये। इससे तो उसका कोई भी संबंध नहीं है। वैसे तो संबंध छींकने से भी स्थापित हो सकता है। चन्दा मांगने के लिये उठें और कोई छींक दें, तो कह देंगे कि उसने साइत बिगाड़ दी है और आज चन्दा मिलने वाला नहीं है। और उसको देशद्रोही बना दिया जाय। तो इस प्रकार के बहाने नहीं होने चाहिये। आप देखें कि एक दिन में २ तरह के बिल आये। माननीय सूचना मंत्री जी ने माननीय कमला सिंह जी का और माननीय रामसुन्दर जी का नाम लिया। परन्तु मैं यह कह देना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम किसानों और मजदूरों पर टैक्स लगायें और उसके लिये बिल लायें। परन्तु दूसरी तरफ साज-सज्जा के लिये भी बिल लायें। पहले उसको पास करें और उसके बाद इसको पास करें। यह बड़े शर्म की बात है। मैं यह कहता हूं कि यह उद्देश्य और कारण दिया हुआ है, यदि उसमें कुछ नियोजन की बात कही जाती तो समझ में आता। लेकिन उसमें तो आप देखें कि राष्ट्रीय आपात् की बात है। उसको आप उसमें से शर्तिया निकाल दें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं माननीय कृष्णानन्द राय का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फरमाया कि एक उधर के बैठने वाले किसी वकील ने वकील के मेहनताने को, जो मुकद्दमे के सिलसिले में उसको मिलता है, उसको कम करने की बात कभी नहीं कही। उन्होंने ठीक ही कहा। लेकिन उनको यह प्रेरणा कहां से मिले माननीय कृष्णानन्द जी को अपने मंत्रियों को यह सलाह देनी चाहिये थी। मंत्रियों को वकील संघ में इस प्रकार का और इस आशय का भाषण देना चाहिये था। परन्तु किसी भी मंत्री ने इस प्रकार की चीज वहां नहीं रखी। उद्घाटन भाषण भी होते हैं, कायदे कानून पर बहस होती है। अगर वह यह समझते कि वकालत में ज्यादा फीस ली जाती है तो वह आप कहते। सबसे बड़ी बात तो यह कि आप लोगों को अदालतों में फिर जाने को मजबूर ही क्यों करते हैं आप रोज यहां पर कायदे कानून बनायेंगे और फिर उनको बदलेंगे। इससे लोगों को मजबूर होकर अदालतों की शरण में जाना पड़ेगा। एक कहावत है कि चाहे चाकू खरबूजे पर गिरे और चाहे खरबूजा चाकू पर, कटेगा खरबूजा ही। परन्तु यहां तो केवल कायदे कानून बनायेंगे और झूठ बोलेंगे तथा सिर्फ हां कहेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि आप स्वयं अन्याय करने के लिये यह सब कायदे कानून बदलते हैं जिससे कि जनता को मजबूर होकर अदालतों में जाना पड़े। आप स्वयं क्यों नहीं ऐसा प्रयास करते कि वकीलों का रोजगार खत्म हो जाय। लेकिन यह नहीं होगा। होगा यह कि ज्यादा से ज्यादा उलझन वाले कानून बनाओ जिसकी मंशा पर हाई कोर्ट तक बहस होती चली जाय। अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि हाई कोर्ट में बहस हो रही थी कि क्या गांव पंचायत लोकल बाडीज में है या नहीं। अजीब हालत है, लोकल बाडीज की डिफिनेशन भी इस में नहीं की गयी और मैं चाहता हूं कि अगर इस तरह का भ्रम हो तो मंत्री जी डिफाइन कर दें संशोधन लाकर ताकि गुंजायश न रह जाय। कि गांव पंचायत भी इसमें शामिल कर ली जाय और जैसा कि उपाध्यक्ष और दूसरे लोगों के बारे में इलेक्शन पेटीशन के सिलसिले में टैक्स लगाये गये हैं उस सिलसिले में मंत्री जी का जो खयाल हो उसको स्पष्ट कर दें। अगर मैं ठीक सुन पाया तो मंत्री जी ने कहा कि अदालतों का समय उतना ही बड़े मुकदमों पर जाया होता है जितना कि छोटे मुकदमों पर, इस लिय यह जो छोटे मुकदमों की तादाद ज्यादा है इसलिये छोटे लोगों पर टैक्स बढ़ाना जरूरी है....

श्री जयराम वर्मा—

मैंने बताया था कि यह जो संशोधन किया है अनुसूची १ के अनुच्छेद (१) में वह इसी दृष्टि को सामने रख कर किया है, लेकिन यह बात मानते हुये भी कि ऐसी बात है, चूंकि इसका प्रभाव गरीबों पर पड़ेगा इस लिये इस संशोधन को ड्राप कर दिया जाय यह

[श्री जयराम वर्मा]
मैंने कहा था । लेकिन माननीय सदस्य ही का संशोधन है कि ५ रुपया गरीबों पर रहे और बड़ों पर घटा दिया जाय ।

श्री कल्पनाथसिंह---
यह आपने क्या कहा ?

श्री अधिष्ठाता---
उन्होंने आपके संशोधन के मतलब बता दिये, अब आप जारी रखें ।

श्री जयराम वर्मा----
उसका मतलब यह है, जो माननीय सदस्य का संशोधन आगे है, कि गरीबों पर तो ५ रु० हमें लेना चाहिये, लेकिन ४५ के ऊपर जो रकम होती है उसके ऊपर जो कोर्ट फीस लगती है वह घटा दी जाय, बजाय ५० पैसे के २६ पैसा कर दी जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह---
मैं अभी देखूंगा उसको । मुझको बड़ी प्रसन्नता है अगर मंत्री जी ने जिस संशोधन का जिक्र किया और जिस प्रसंग में मैंने यह बात कही, अगर उसको ड्राप कर दिया । मैं इस बात के लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं और इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)---
माननीय अधिष्ठाता जी, इस वक्त जो बहस चल रही है, मुझे शेक्सपीयर के हेमलेट का एक कपलैट याद आ गया और वह यह है---

".....Oh cursed spite. That I was born to set it right."

मुझे गवर्नमेंट के साथ बहुत हमदर्दी है कि एक मुसीबत में फंसे हुये आदमी के तरीके पर वह हर तरीके से कोशिश कर रही है कि किस तरह से हम इस मुसीबत को जो प्रान्त पर आयी है उसको टालें और इस सम्बन्ध में इतना समय नहीं है कि वह किसी कानून को कम्पलीटली ओवरहाल कर सकें । जिस तरीके से जल्दी से जल्दी , अधिक से अधिक विचार कर के जो कुछ सरकार की समझ में आता है वह रुपया वसूल करने का तरीका सोचती है । माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव आया है उसकी मुखालफत की । उनके विचारों से कौन ऐसा होगा जिसे हमदर्दी न होगी ? कौन सरकार इस बात को चाहेगी कि वह यह करे ? जिन विचारों को उन्होंने पेश किया है उनसे सभी को हमदर्दी है कि न्याय सस्ता और शीघ्र होना चाहिये । लेकिन सवाल तो यह है कि इस स्टेज पर हम क्या कर सकते हैं ? इस समय तो हमें यह विचार करना है कि जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने रखा है वह उचित है या अनुचित है । हमारे यहां न्याय की जो प्रणाली है वह हमें अंग्रेजों से मिली है । मैं भी २०-२५ साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं यह जानता हूं कि यह प्रणाली बड़ी दूषित है । जो व्यक्ति अच्छा वकील कर लेता है वह जीत जाता है और जो गरीब आदमी है वह अच्छा वकील नहीं कर पाता, वह हार जाता है । इस सिस्टम में वकील भी हैं, जस्टिस भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, कोर्ट फीस भी है, वकील की फीस भी है, इसमें जो व्यक्ति ज्यादा रुपया खर्च कर सकता है वह जीत जाता है । इसलिये जो यह न्याय की प्रणाली है वह दूषित है और इस पर हमें सोचना होगा । लेकिन इस समय प्रश्न यह है कि अगर इस संशोधन को मान लिया जाय और बिल वापस ले लिया जाय तो क्या उससे कुछ फायदा होगा । जहां पर यह सिस्टम ही दूषित हो, वहां पर अगर इस बिल को वापस भी ले लिया जाय, तब भी कोई लाभ नहीं होगा । जो व्यक्ति एक मुख्तियार को ५ रुपया देता है और दूसरा जो एक बैरिस्टर को हजार रुपया देता है फीस के, वह कैसे जीत सकता है रुपये वाले के मुकाबले में ? इस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं ? उसके लिये यह तरीका नहीं है कि इस बिल को वापस ले लिया जाय । उसके लिये तो हमें सिस्टम को ही बदलना होगा और उसमें काफी समय लगेगा । जब एक प्रणाली ही गलत होती है तो उसको बदलने में काफी समय लगता है और उसमें धीरे-

धीरे ही परिवर्तन होता है । ट्रेडीशन्स बड़ी मुश्किल से मरते हैं । उसको बदलने के लिये हमें एक ओरीजीनल ब्यू लाना पड़ेगा, उसे हम जल्दी से नहीं कर सकते । इस वक्त तो सरकार को रुपये की जरूरत है और वह रुपया कहीं से भी आये । जिम्मेदारी आखिरकार सरकार की ही होती है । अगर कोई गल्ती होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही आती है । शुरू में हम यह कहें कि सरकार यह संशोधन ला रही है, सरकार यह गलत काम कर रही है, मगर उसके लिये हम सरकार को कैसे दोष दे सकते हैं जबकि एक प्रणाली ही गलत हो ? आज अगर कोई ऐटेक होता है और डिफेन्स की पूरी तैयारी हमारे यहां नहीं होती, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही तो आयेगी । फिर सरकार फेल हो जायेगी । इज समय तो गवर्नमेंट इज आन ट्रायल । अगर हमने कामयाबी के साथ अपने इन्तजाम को अच्छा बना लिया तो हमारी जीत होगी, हम जीत जायेंगे । अगर हम हार गये तो हम गये और हमारे साथ देश भी गया । हम गवर्नमेंट को परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं । हमें ऐसे सुझाव देने चाहियें जिन्हें मामूली तरीके से माना जा सके और अमल में लाया जा सके । मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कुछ इस बात का अहसास किया और फौरन ही ऐलान कर दिया कि ५ रु० वाले जो मामले थे जिनमें कम्पलसरी कोर्ट फीस लगना चाहिये था, उसे खत्म कर दिया । लकिन कुछ बातें और भी ऐसी हैं जो की जा सकती हैं । ये छोटी-मोटी चीजें देश में सेन्टीमेन्ट बनाती हैं । रक्षा का भार ऐसा जबरदस्त नहीं है कि हम ऐसे काम करें जिन से किसी को दुख लगे ।

मेरा पहला निवेदन मंत्री जी से यह है कि कम्पलेन्ट केसेज में जो सवा रुपये से कोर्ट फीस डेढ रुपया करना चाहते हैं, मैं निहायत सबमिसिवली अर्ज करूंगा कि आप इसे न बढावें । यह बड़ा अन्याय होगा । इसकी वजह यह है कि कम्पलेन्ट केसेज में एक तो आदमी वैसे ही मरा हुआ होता है । फर्ज कीजिये कि एक आदमी को चोट लगी, थाने में जाता है, उसका सिर फूटा हुआ है । उसे परेशानी होती है । डेढ़ रुपया वकालतनामा में फीस चाहिये, डेढ़ रुपया आपको चाहिये, ३ रुपये हुये । और फिर वकील भी फीस लेगा । इस तरह से कम से कम ५०० रुपये चाहिये । अगर उसके पास इतना रुपया नहीं है तो वह अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है । इसलिये मेरा तो यह सुझाव है कि कम्पलेन्ट केसेज में कोई फीस होनी ही नहीं चाहिये थी । यह बिलकुल फ्री होना चाहिये । मैं यह तो आप से नहीं कहता कि इस स्टेज पर भी आप इसे बिलकुल माफ कर दें चूंकि इस से तमाम ला का ओवरहालिंग करना होगा, लेकिन आप ४ आने न बढ़ावें । यह टोकिन होगा उस हमदर्दी का जो आपने ५ रुपये वालों के साथ दिखाई है कि आपको गरीबों से हमदर्दी है ।

अब सवाल एक पैदा होता है । सरकार कह सकती है कि और मेरे दिमाग में भी वह है ऐसी सूरत में एक दिक्कत पड़ेगी कि फ्रिवालस यानी नकली झूठे मामले आने लगेंगे । इस तरह से समय बरबाद होगा । यह शंका की जा सकती है । लेकिन इसका समाधान है । सी० आर० पी० सी० में एक सेक्शन है जिसमें यह है कि अगर यह बात मजिस्ट्रेट को मालूम हो कि किसी ने झूठा शूट दायर किया है तो वह उस पर फाइन कर सकता है । वह जुर्माना दूसरी पार्टी को दिया जाता है और आप उसमें शंशोधन कर दीजिये कि सरकार उस रुपये में से अपना रुपया निकाल ले । अब रहा यह कि जहां मुकदमा उस गरीब का सिद्ध हो गया और सजा हो गई और उसकी अपील हुयी तो जो खर्चा उसका पड़ता है वह सब मुलजिम पर डाल दीजिये । जुर्माना करने पर वह खर्चा सरकार को मिल सकता है । यह प्रार्थना मैंने आपसे इस समय कर दी कि आप जो कम्पलेन्ट के केसेज हैं उनको छोड़ दीजिये । उन पर जो आप चार आना बढाने जा रहे हैं उसको न बढाइये । जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर उसको आप पूरा समाप्त कर सकें तो बहुत ही अच्छा है । उसको आप मजिस्ट्रट के द्वारा वसूल कर सकते हैं । इसमें किसी को कोई एतराज न होगा , मेम्बरों को भी कोई एतराज न होगा और पब्लिक भी खुश हो जायेगी फर्जी जो शिकायतें होंगी उनमें भी रुकावट आयेगी । इसके अलावा आप यह चार आना जो बढायेंगे इस को वकील अपने पास से नहीं देगा वह तो उसका मुंशी खर्च में शामिल कर लेता है । वह सारा खर्चा तो अब भी क्लाइन्ट को देना पड़ता है और जब आप चार आना बढ़ा देंगे तब भी क्लाइन्ट को ही देना होगा । इसलिये आप मेरी इन दोनों प्रार्थनाओं को आसानी से मंजूर कर सकते हैं ।

[श्री नौरंगलाल]

अब सिविल सिस्टम में आपने जो ५ रुपया छोड़ दिया है वह आपने बहुत अच्छा किया। आइडियल सिस्टम आफ जस्टिस तो यही होगा कि मुकदमें के दायरे के समय कुछ न लिया जाय और कोर्ट फीस हार जीत के समय ही ले ली जाया करे। लेकिन उसको इस वक्त लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिये उस पर इस वक्त मैं जोर नहीं देता। जब वक्त आयेगा तो इसका भी जिक्र किया जायगा। इस वक्त तो गर्मी-गर्मी है। हमारा सारा निशाना तो पहाड़ों की ओर लगा हुआ है। न जाने कब ओले पड़ जायं, गोले पड़ जायं, इसलिये इस समय तो हमें उसको देखना है।

इसके अलावा आपने जो ७ नये पैसे से १० नये पैसे किया है, ठीक है, बढ़ाया है, लेकिन अगर उसको बढ़ाने के बजाय आप जो अपना बकाया पड़ा हुआ है उसको वसूल करते तो ज्यादा अच्छा होता। इसको बढ़ाने से क्या फायदा होगा अगर आपकी बकाया इसी तरह से पड़ी रही तवज्जुह तो आपको इस बात पर देनी चाहिये कि आपका बकाया वसूल हो। हमें खुशी है कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बजट को पेश करते समय हमें आश्वासन दिया था कि बकाया को पूरा का पूरा वसूल किया जायगा। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि रईसों से तो लाखों रुपया भी वसूल नहीं किया जा रहा है लेकिन गधों से उनकी खाल भी उतारी जा रही है। पहले तो मैं इस बात को मानता ही नहीं हूं कि कोई इंसान है और कोई गधा है। मेरी नजर में तो सभी इंसान हैं। यह ठीक है कि रईसों पर बहुत पैसा बकाया पड़ा है। उसको बिला लिहाज किसी छोटे बड़े के जल्दी से जल्दी वसूल किया जाना चाहिये। इसलिये वसूलयाबी की तरफ आपको ज्यादा देखना है।

मैंने जो दो तीन सुझाव रखे, उनके प्रकाश में मैं समझता हूं कि अब इस पर ज्यादा वाद-विवाद नहीं होना चाहिये और जो प्रवर समिति में जाने का संशोधन है उसको वापस हो जाना चाहिये। मेरे ख्याल से रुपये और समय की कमी के कारण आप इस बिल की कापी सारे बार एसोसियेशन को भी नहीं भेज सके। पहले कायदा यह था कि कोर्ट फीस वगैरह लगाने के बारे में बार एसोसियेशन से राय मांगी जाती थी लेकिन अब की बार शायद जल्दी की वजह से ऐसा नहीं किया गया। बहरहाल, अभी जो संशोधन आया है कि इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये एक मास के लिये घुमाया जाय, इस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमें एक सिस्टम की कम्पलीट ओवरहालिंग करनी है। इसलिये माननीय सदस्य से मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके प्रेम से इस विधेयक को जल्दी पास कर दें जिससे टाइम भी कम खर्च हो और जनता का पैसा भी कम खर्च हो।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

अध्यक्षता महोदय, यह सही है कि योजना की पूर्ति के लिये भी धन की आवश्यकता है और आपातकालीन स्थिति की वजह से भी धन की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम टैक्स लगाते ही गये तो जनता में निरन्तर बेचैनी बढ़ती रहेगी और आपात कालीन स्थिति का सामना करने का जो उद्देश्य है उसमें शिथिलता आयेगी। टैक्स लगाना ही एक मात्र दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये बल्कि आज जो धन का दुरुपयोग हो रहा है, और जहां कहीं भी हो रहा है उसको रोकना चाहिये। बहुत सी योजनायें ऐसी हैं जिनसे वास्तव में कोई लाभ नहीं होता, उन योजनाओं को तुरन्त बन्द कर देना चाहिये। आपातकालीन स्थिति के शुरू में कुछ ऐसा सोचा गया था कि कि जिन योजनाओं से अब तक कोई लाभ नहीं पहुंचा है उन योजनाओं को बन्द कर दिया जायगा लेकिन उस विचार की तरफ हम बिलकुल आगे नहीं बढ़े। हमारे सामने सिर्फ यही एक चीज रह गयी है कि हम टैक्स लगाने का स्रोत ढूंढें और टैक्स लगावें। मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण गलत है और इस से लोगों में निरन्तर बेचैनी बढ़ेगी और शासन के प्रति अशान्ति पैदा होगी। इस दृष्टिकोण को जितनी जल्दी बदला जाय, उतनी जल्दी बदलना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आमदनी टैक्सेशन से ही नहीं बढ़ती बल्कि इसके बढाने के दूसरे उपाय भी हो सकते हैं । हमको देखना चाहिये कि जो टैक्स हमने लगाया है वह उतनी मात्रा में वसूल हो रहा है जितनी मात्रा में वह वसूल किया जा सकता है या नहीं । आज हमें देखने को मिलता है कि टैक्सों की बहुत बड़ी मात्रा में चोरी होती है । और उस चोरी को रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया हैं । टैक्स की चोरी निरन्तर बढ़ती जाय और बराबर टैक्स लगता जाय, तो यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है । ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी चीजें हैं जिनके जरिये काफी पैसा मिल सकता है । आपातकालीन स्थिति को देखते हुये हमें इन छोटी-छोटी चीजों की तरफ ध्यान देना था । उदाहरणार्थ, धान कूटने का लाइसेन्स नहीं दिया जाता है जबकि आटा पीसने की चक्की में ही उसकी गुंजायश रहती है । इंस्पेक्टर पैसा लेता रहता है और धान की कुटाई होती रहती है । सरकार को चाहिये कि इस के लिये कुछ लाइसेन्स फीस रख दें और आटा पीसने वाली चक्कियों को धान कूटने की इजाजत दे दें । इस से एक खास रकम सरकार के कोष में जमा हो सकती है । इसी तरह से केन क्रशर पर जो परचेज टैक्स होता है, उसमें भी चोरी की जाती है । यदि गन्ने की पेलाई ५०० मन की मात्रा में होती है तो दिखलाया २०० मन ही जाता है और उसके बदलने में इंस्पेक्टर पैसा लेता ही रहता है । मेरा कहना यह है कि इस बात को देखना चाहिये कि जो पावर क्रशर है उसकी कितनी कैपेसिटी है और सीजन कितने दिन तक चलेगा । यह हिसाब लगाकर पूर्ण वर्ष के लिये एक निर्धारित राशि कर के रूप में निश्चित कर दी जाय ।

साथ ही साथ इस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये कि सेल्स टैक्स में भी बहुत बड़ी चोरी होती है । जहां सेल्स टैक्स बकाया हो वहां उसकी वसूली की तरफ कदम उठना चाहिये लेकिन जो चोरी होती है उसको रोकने का प्रयास भी अवश्य होना चाहिये । बरेली मैच फैक्टरी में कई लाख रुपये की चोरी हर साल होती है । उसका एक डिपो दिल्ली में है जहां माल भेज दिया जाता है और वहां से फिर वह माल यू० पी० में आता है या दूसरी जगहों को जाता है जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को टैक्स नहीं मिल पाता है । हिडन रिवर पर पहले एक चौकी होती थी वहां जब यू० पी० में कोई माल आता था तो जो कर्मचारी वहां नियुक्त रहते थे वे सम्बन्धित जिले को इस की सूचना दे देते थे लेकिन जब से चौकी हट गयी है तब से बराबर माल आता जाता रहता है जिसका किसी दूकानदार के खाते में उल्लेख नहीं होता और उस पर कोई भी टैक्स वसूल नहीं किया जाता । सेल टैक्स के जो मुकदमें होते हैं उनकी अपील अगर किसी को करना होती है तो उसको लगाये गये टैक्स का आधा पैसा जमा करना होता है । यह चीज समाप्त होनी चाहिये । साथ ही कुछ ऐसे लोगों पर टैक्स लगता है जिन पर कायदे में नहीं लगना चाहिये । अब डीलर की परिभाषा संशोधित होने जा रही है; उसमें यह ध्यान रखा जाय कि जो तुलाई करने वाले लोग हैं और जो माल को बेचते नहीं हैं उन पर टैक्स न लगाया जाय, इस ओर मंत्री महोदय का बार-बार ध्यान दिलाया गया और उन्होंने कहा भी कि उन पर कोई टैक्स नहीं लगता लेकिन बार-बार टैक्स उनसे वसूल किया जाता है, जबकि वह मंडी में जो किसान गल्ला लाते हैं उसको केवल तोलने का काम करते हैं और वह केवल तोलने का पारिश्रमिक ही लेते हैं, उन पर भी एक बड़ी मात्रा में टैक्स लगाया जाता है । ऐसी अपीलें भी अगर की जाती हैं तो उनको भी आधा रुपया पहले जमा करना होता है, इस तरह का अन्याय दूर किया जाना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाय कि सेल टैक्स आफिसर जो सेल टैक्स जज के यहां अपने केसेज की पैरवी करने के लिये भेजे जाते हैं और जिस पर अधिक सेल टैक्स लगाया जाता है वह अपनी बात उनके सामने ठीक तरह से नहीं कह पाता और अगर वह कुछ कहता है तो सेल्स टैक्स आफिसर नाराज हो कर अगले वर्ष उसके ऊपर और भी अधिक सेल्स टैक्स लगा देते हैं । अच्छा हो कि उनको वहां वकील की हैसियत से न भेजा जाया करे बल्कि सरकारी वकील नियुक्त करके वहां पैरवी कराई जाय तभी ठीक जस्टिस हो सकेगा । मेरे सामने ऐसे केसेज हैं कि अगर लोगों ने जज के सामने खुल कर बात कही तो उसको शत्रु समझ कर बिना हिसाब किताब देखे ही, बिना बहीखाते देखे ही सेल्स टैक्स आफिसरों ने टैक्स ज्यादा

[श्री बसन्तसिंह]

लगा दिया। इसलिये इस काम के लिये जजों के सामने सेल्स टैक्स आफिसर के बजाय सरकारी वकील भेजे जायं।

इसके अलावा मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त करे, जो हमारी योजनाओं को देख कर निश्चय करे कि किन योजनाओं से हमें वास्तविक लाभ पहुंचा है और किनसे नहीं पहुंचा है। जिन योजनाओं से कोई लाभ नहीं पहुंचा है उनको तुरन्त समाप्त किया जाय। दूसरे जिन करों से जितनी आय होनी चाहिये वह यदि नहीं हो रही है तो उसको पूर्ण वसूली की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके अलावा जो बकाया बड़े आदमियों पर रह गई है और छोटे से वसूली कर ली गई है तो उन बड़े लोगों से भी उसी तरह वसूल की जानी चाहिये। इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह बिल प्रवर समिति में भेजा जाय।

*श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने उधर के पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण सुने और इस तरफ के सदस्यों की भी बातें सुनीं। जितने डिक्लेरेटरी सूट्स होते हैं वे दो जगह दाखिल होते हैं, सिविल कोर्ट्स में और रेवन्यू कोर्ट्स में। जो रेवेन्यू कोर्टस् में दाखिल होते हैं उनकी फीस २० आने है और जो डिक्लेरेटरी सूट्स सिविल कोर्ट्स में दाखिल होते हैं उनके संशोधन के सम्बन्ध में यह चीज है। सिविल कोर्ट्स में बड़े-बड़े मुकदमें होते हैं और ज्यादातर जो छोटे-छोटे लोग होते हैं उनके कोई डिक्लेरेटरी सूट्स दाखिल नहीं होते, बड़े-बड़े लोगों के होते हैं जिनमें समय बहुत लगता है, तारीखें उनकी की बार-बार पड़ती हैं और कतई की भी बढ़ा करती हैं और बहुत सी मुखतलिफ दरख्वास्तें बीच में लगती हैं उनमें समय लगता है, वहां पर अगर डिक्लेरेटरी सूट्स की फीस बढाई जाती है तो कोई बात नहीं है लेकिन जहां तक रेवेन्यू कोर्टस् की बात है वहां पर कोई डिक्लेरेटरी सूट्स की फीस नहीं बढ़ाई जा रही है, क्योंकि उनका ताल्लुक सीधे काश्तकारों से है और छोटे लोगों से है। इसलिये वहां डिक्लेरेटरी सूट की कोर्ट फीस को नहीं बढाया गया है जैसा कि कहा गया है कि २५ प्रतिशत कर दिया गया है।

मेरे एक भाई ने यह भी सुझाव दिया कि फौजदारी के मुकदमें में वकालतनामे पर और दरख्वास्तों पर इस वक्त जो कोर्ट फीस २० आना है वही रहने दिया जाय और बाकी जगहों पर बढ़ा दिया जाय। मैं इससे इत्तिफाक नहीं करता क्योंकि वकालतनामें की जो कोर्ट फीस होगी चाहे दीवानी में दाखिल हो, चाहे फौजदारी में दाखिल हो, वह एक ही किस्म की होगी। यह नहीं हो सकता कि फौजदारी के लिये वकालतनामें में और दीवानी में कोर्ट फीस अलग हो, ऐसी बात अभी तक नहीं हुई है, न होना चाहिये।

दूसरी बात जो दरख्वास्तों के बारे में कही है कि २० आने का डेढ़ रुपया फौजदारी के मुकदमें में नहीं होना चाहिये। यह भी नहीं हो सकता है। चाहे क्रिमिनल कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो जहां तक दरख्वास्तों का सवाल है उस पर कोर्ट फीस एक ही ढंग से लगेगी। इसलिये इसमें डिफरेन्शियेट करने में कोई लाभ नहीं होगा। यह सबको जानकारी है कि बहुत से फर्जी मुकदमें फौजदारी के दाखिल होते हैं। सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है कि जो छोटे-छोटे मुकदमें हैं उनकी अपील पंचायतों में दायर की जाय जहां पर बहुत ही नामिनल कोर्ट फीस है जहां किसान को तकलीफ नहीं होगी और ५०० रुपये तक की दीवानी का मुकदमा फैसला करने के लिये उसके पास पावर दी गयी है। सरकार ने यह कोशिश की है कि पंचायतों द्वारा न्याय को गांव में ले जाया जाय और थोड़े दिन में और थोड़े ही पैसे में उसको पाने का इन्तजाम किया जाय। तो यह जो छोटे-छोटे मुकदमें हैं छोटे-छोटे काश्तकार गांव के हैं वे इससे बहुत इफेक्टेड नहीं होंगे।

इसके अलावा आप यह देखें कि प्रापर्टी की कीमत जब बढ़ती जा रही है और उधर लोगों की तनख्वाहें बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो आखिर यह पैसा कहां से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आयेगा । जब जायदाद का मूल्यांकन बढ़ता जाता है तो उसके साथ ही साथ अगर कोर्ट फीस भी बढ़ती जाती है तो कोई अन्तर नहीं है ।

(इस समय ५ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुये ।)

यह संकट का समय है और इस समय जहां तक हो सके उचित ढंग से धन एकत्रित करने का प्रयास होना चाहिये । हम लड़ाई जीतें या हारें, यह हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल है ।

सेल्स टैक्स का जहां तक सवाल है, सेल्स टैक्स आफिसर जज अपील के यहां पैरवी करते हैं । जज अपील बहुत इंडिपेन्डेन्ट होते हैं । ७५ फीसदी अपीलें अपीलेंट के फेवर में होती हैं चाहे वकील जाय, सेल्स टैक्स आफिसर चाहे जाय सरकार की तरफ से कोई अन्तर नहीं होता है । जो सिस्टम इस वक्त वकीलों को पैरवी करने का सरकार ने कायम किया है वह उचित है, उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । जहां तक लिमिट का सवाल है ७ परसेन्ट से १० परसेन्ट कर दिया जाय, उसमें सब चीजों की बढ़ोतरी का सवाल नहीं है । कुछ कर ऐसे हैं जो कि सिंगिल प्वाइंट हैं और उन्हीं के मुताल्लिक सरकार को अभी तक यह पावर थी कि ७ परसेन्ट तक वह उसमें टैक्स लगा सकती है । अब चूंकि लड़ाई के कारण आमदनी बढ़ानी है इसलिये सरकार ने जो ७ से १० फीसदी की बढ़ोत्तरी रखी है वह उचित है और इसमें कुछ ही कमोडिटीज ऐफेक्टेड होती हैं, सब कमोडिटीज से इसका ताल्लुक नहीं है । ऐसी बहुत सी कमोडिटीज रोजमर्रा की हैं जिन पर मल्टिपिल टैक्स लगता है और उस मल्टिपिल टैक्स में जो आज अमेंडमेंट आया है उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है । इसलिये आज के संकटकालीन समय में ७ से १० परसेंट जो किया गया है, यह उचित ही है ।

अब कहा यह जाता है कि बकाया बहुत है, वसूल होना चाहिये । वास्तव में बकाया है और इसके कई कारण हैं । एक तो हाई कोर्ट में रिट्स बहुत सी दाखिल हैं । पहले कपड़े पर ३ पैसे सिंगिल प्वाइंट टैक्स था, बाद में ६ पैसे हुआ और उसके बाद १ आना हो गया । इस सिलसिले में हाई कोर्ट में बहुत सी रिट्स दाखिल हैं और उसकी वजह से स्टे भी हो गया । अब वह धीरे-धीरे फैसल हो रही हैं और रिकवरी भी उधर लोगों ने जारी कर रखी है । इसके अलावा ऐसा भी है कि असेसमेंट्स बहुत एक्सेसिव और एग्जारबिटेंट होते हैं । जिसकी आमदनी १२ हजार से कम भी है उसको भी खींच खांच कर १२ हजार के अन्दर लाने की कोशिश की जाती है और आर्बिट्रेरी ढंग से किसी पर ५० हजार, किसी पर १ लाख और किसी २ लाख टैक्स लगा दिया जाता है । एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूं । एक व्यापारी ने देवरिया के एक व्यापारी के द्वारा १७ हजार का गल्ला बेचा । देवरिया के सेल्स-टैक्स आफिसर की रिपोर्ट आयी कि इसकी बिक्री हमारे द्वारा ९७ हजार की हुई है और जब बिक्री-कर अधिकारी के सामने यह सवाल आया तो उन्होंने २ लाख रुपये पर टैक्स लगा दिया । अब जिस पर बिक्री-कर लगा और वह देवरिया के आफिस में जाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं, उसकी बिक्री १७ हजार है । ऐसे केसेज में जब अपील होती है और जज रिवीजन उसको स्टे करता है तो कोई गुनाह नहीं करता ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सदन में प्राइवेट वार्ताएं बहुत हो रही हैं, जरा सदन में शान्ति रखिये ।

श्री तमेश्वरप्रसाद—

तो इन सब बातों के कारण जो मन्त्री जी ने संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रेम सिंह (जिला बहराइच)

मान्यवर, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं एक शेर अर्ज कर देना चाहता हूं—

ग़म अगर्चे जां गुस्ल है, यह बेचैन कहां कि दिल है।
ग़मे यार गर न होता, गमे रोजगार होता।

चुनाव के सिलसिले में कितना पक्षपात होता है और घूस दे कर जीत जाते हैं और अगर उसके खिलाफ रेटीशन दाखिल करें तो डेढ़, दो सौ रुपये कोर्ट फीस देनी पड़ती है। नतीजा यह होता है कि अगर कोई चैलेन्ज करना चाहे तो वह नहीं कर सकता। दूसरी बात यह कि आपका रोजगार हो रहा है कि जिसने रुपया दिया बस वह जीत गया। वरना इन्साफ तो कहीं दुनिया की नजर में है ही नहीं। इन्साफ तो बिक रहा है मेरे खयाल में और मैं यह कहूं कि पैसा ही सब चीज है। लेकिन मेरे लिहाज से पैसा कोई चीज नहीं है। किसी को इन्साफ नहीं मिलता। इतने आदमी यहां बैठे हैं, कोई यह कह दे कि मैं इन्साफ पा रहा हूं या इसकी उम्मीद करता हूं कि इन्साफ मिलेगा। मिनिस्टर इंटरफियर करते हैं, जिसको चाहें जिता दें और जिसको चाहें उसको जलील कर दें।

तीसरी बात, रिटायर्ड जजेज को एप्वाइन्ट किया गया है इसलिये कि आगे चल कर उनको भी अपना बना लें।

श्री अधिष्ठाता—

दो एक वाक्य इस विधेयक पर भी बोल दें तो अच्छा होगा।

श्री प्रेमसिंह—

रिटायर्ड जजों को इसलिये सरकार नियुक्त करती है कि कांग्रेस पार्टी जीतती रहे। खैर, हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस जीतती रहे, लेकिन हम लोगों को भी जिन्दा रखिये। मैं नहीं जानता कि यह कानून क्या कहता है। इसको मैं फिर पढ़ूंगा। मैं अपने मतलब पर आ जाता हूं। एक हजार रुपये वाली बात को मैं यहीं पर छोड़ता हूं, बल्कि यहां पर यह कह दूं कि गरीबों को राहत नहीं है और अमीरों का क्या कहना है? यह तन जो सफेदपोश है उसके नीचे न मालूम कितना दुख भरा हुआ है। क्या गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है?

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन विधेयक जो इस समय सदन के समक्ष प्रस्तुत है और इस पर वाद विवाद भी हो रहा है, मैं सोचता था कि मैं इस पर अपनी कोई राय न दूं, इसलिये कि हमारे वकला साहबान ने अपने ओजतापूर्ण भाषणों के द्वारा इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की कि यह अनावश्यक है और सरकार पागलपन में आकर के ऐसा संशोधन विधेयक उपस्थित कर रही है।

श्रीमन्, इसके कारणों और उद्देश्य में बहुत सीधे सादे शब्दों में लिखा हुआ है इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं है कि हम योजना की पूर्ति के लिये, जो व्यापारी वर्ग है जो ज्यादा पैदा करता है, उस पर कुछ कर लगाने के लिये यह संशोधन विधेयक लाये हैं। इस विधेयक से यह मालूम होता है कि सरकार इस बात की कोशिश में लगी रहती है, इस संकटकालीन समय में सरकार तलाश करती रहती है, कि कौन से जराये अखतियार किये जायं कि सरकार की आमदनी बढ़े। उसे कहीं गुंजायश मिलती है तो सशोधन विधेयक सदन में लाकर माननीय सदस्यों से प्रार्थना करती है कि इससे प्रदेश की आमदनी बढ़ जायगी। हम केवल इतना ही अर्थ समझते हैं और उसके मातहत सरकार इस तरह के विधेयक उपस्थित करती है। इस संकटकालीन समय में दुनिया के खयाल बदल गये, सारी दुनिया दूसरी निगाह से देखने लगी, सारी दुनिया की हमदर्दी हमारे साथ हो गई और किसी वजह से जो हम से अलग थे वह काफी से ज्यादा नजदीक आ गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन हमारे विरोधी दल के भाई लकीर के फकीर वाली बात पर अड़े हुए हैं और जरा भी डगमग नहीं होना चाहते हैं।

श्रीमन्, हमारे भाइयों ने कहा कि इस सदन में दो विधेयक एक दूसरे के प्रतिकूल आये। एक तो इस संकटकालीन समय में यह आया कि सदस्यों की उपलब्धियां बढ़ाई जायं तथा उनके लिये कुछ आसायश का सामान इकट्ठा किया जाय और दूसरा यह आया कि कर बढ़ाकर प्रदेश की आमदनी बढ़ाई जाय। श्रीमन्, हमारे भाइयों ने जो संशोधन दिये हैं उनमें माननीय कमलासिंह जी ने यह लिखा है कि "उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६३ को जनमत संग्रह के लिये एक मास तक घुमाया जाय....।" श्रीमन्, यही एक लाइन पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ इस पर बोलूं। एक मास तक सारे प्रदेश में घुमाया जाय, इसलिये कि जनता की राय ली जाय कि वह इस कर के बढ़ाने के पक्ष में है या विपक्ष में है। मेरा खयाल है कि यही अर्थ इसका हो सकता है। माननीय कमलासिंह जी कोई और अर्थ लगाये हों तो दूसरी बात है, हमने अपनी बुद्धि से यही समझा कि सारे प्रदेश में सरकार की मशीनरी पूरी लगे और वह गांव-गांव में जाकर मत हासिल करे कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं कितने विपक्ष में हैं। श्रीमन्, यह पढ़कर के बड़ा ताज्जुब हुआ....

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बैजनाथसिंह जी से एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि हमने माननीय पन्त जी के कथन यह बतलाया कि यह प्रिंसिपल जिस पर कि यह टैक्स वगैरह लगाया गया है यह फंडामेंटली रांग है। तो जरा इसको एक्सप्लेन करें माननीय बैजनाथ सिंह जी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बैजनाथसिंह जी यदि चाहें तो बता दें अन्यथा अपना भाषण जारी रखें।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

जैसा मैंने कहा मैं इसी लाइन को देखकर बोलने खड़ा हुआ हूं। इसके बारे में अगर माननीय सदस्य कुछ बता सकें तो मैं फिर से बैठ सकता हूं कि क्या इसका यह मंशा नहीं है कि एक मास तक सारे प्रदेश में यह घुमाया जाय और सरकार की सारी मशीनरी इसमें लगा दी जाय कि वह मत हासिल करे कि कितने पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में हैं। तो इसमें सरकार का काफी खर्चा होगा या नहीं? क्या वह इस खर्च को ऐसा नहीं समझते कि वह खर्चा अनावश्यक होगा? तो या तो उन्होंने इसको यह समझ करके इसमें लिखा दिया है कि चूंकि इधर से पास हो जायगा तो केवल विरोध करने के लिये और एक मौका निकालने के लिये कि बहस का मौका मिले, इसलिये इसको रख दिया, इसके प्रति वह सिंसियर नहीं हैं और अगर वह सिंसियर हैं तो दरअस्ल यह बात बड़ी असंगत मालूम होती है कि ऐसी स्थिति में वह एक खर्चा सरकार के ऊपर और लगाने जा रहे हैं। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि सारी दुनिया बदल गई, लेकिन हमारे दोस्त जो सामने बैठने वाले हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आयी। जनता के मनोबल पर बार-बार जोर दिया जाता है कि जनता के मनोबल को बढ़ाना है और जनता के बहुत बड़े हमदर्द यही हैं। सरकार की तरफ से जनता का मनोबल गिराया जा रहा है करों के द्वारा, बिलों के द्वारा, लेकिन इनकी तरफ से ये बहुत सम्हाले हुए हैं, नहीं तो अभी तक जनता न जाने कहां जाती। मैं आपके द्वारा श्रीमन्, अपने उन दोस्तों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जमाना संकटकालीन है, इसमें चीप पापुलेरिटी के पीछे कोशिश न करें क्योंकि जनता भी बहुत आगे बढ़ती जा रही है, अब उसमें भी समझने की शक्ति आ गई है, वह भी यह सोचने लगी है कि कौन विधेयक अनावश्यक है और कौन विधेयक आवश्यक है और किससे हमारा लाभ होगा, किससे हमारी हानि होगी। ऐसे वक्त में तो आपको भी सोचना चाहिये कि सरकार के प्रयासों में उसका साथ दें। जहां से कुछ पैसा आ सकता है, जहां से प्रदेश की आमदनी कुछ बढ़ सकती है उसमें आप सरकार की मदद करें। थोड़े से समय में ऐसे बिलों को पास कर दें जिसमें कि सदन का समय न जाय। लेकिन

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]
आप घुमाने लगे सारे प्रदेश में। मैं फिर कहता हूं ऐसे वक्त में यह कोई मुनासिब बात नहीं है, और बातों का तो मन्त्री जी जवाब देंगे।

एक बात माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने बड़े जोरों से कही थी कि हम तो कुर्बान होने वाले हैं इस प्रदेश की जनता पर और हम तो इतने बड़े त्यागमूर्ति हैं कि यह जो सरकार उपलब्धियां बढ़ाने जा रही है, इसका मैं बड़ा विरोधी हूं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि दरअस्ल वह एक मिसाल कायम करेंगे....

श्री कल्पनाथसिंह---
श्रीमन्, जरा वह फिर से सोच लें कि मैंने क्या कहा था?

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---
बहरहाल वह एक मिसाल कायम करें। माननीय कल्पनाथसिंह ने यही कहा था कि आज दो विधेयक एक दूसरे के प्रतिकूल सदन में उपस्थित हुए। तो इसका अर्थ यही है। उन्होंने अपने को त्यागमूर्ति साबित करने की कोशिश की। हम उनसे यह प्रार्थना करेंगे कि वह एक मिसाल कायम करें कि जो उपलब्धियां उनको दी गई वह उनको त्याग दें। हमारे बहुत से भाइयों ने तनख्वाहें, जो सैलरीज उनको दी जाती है महीने भर की, वह छोड़ दी हैं, वह भी छोड़ दें। वह ७५ रुपये के कमरे में अगर रहते हैं....

श्री अधिष्ठाता---
आप प्रस्तुत विधेयक पर बोलें। वह समाप्त हो चुका है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---
उसका उन्होंने हवाला दिया था कि मेरे भाई जो उस तरफ बैठे हुए हैं उन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। तो मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जो बातें यहां हों उनको हेल्दी होना चाहिये। अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म है तो उसका कुछ अर्थ होता है, उससे हम भी कुछ फायदा उठा सकते हैं और उससे प्रदेश का कुछ लाभ हो सकता है। अनावश्यक बातें, कि इस विधेयक को जनमत के लिये घुमाया जाय, और ऐसे सदस्यों द्वारा कि जो अनुभवी हैं, वकील हैं और काफी दिनों से सदस्य रह चुके हैं, दिया जाना, उचित नहीं मालूम होता। इस तरह की थोथी बातें कह कर एक बवंडर पैदा कर देना केवल चीप पापुलैरिटी के लिये मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—
माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन जनमत संग्रह के लिये माननीय कमलासिंह जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह तीन-तीन कर कानूनों में संशोधन करने वाला विधेयक माननीय मन्त्री जी द्वारा पहली बार लाया गया है। तीन कानूनों में केवल कुछ अक्षरों को बदल कर संशोधित कर लिया जाय और किसी को पता भी न चले कि क्या परिवर्तन उन में हो गया, इस प्रकार का शायद यह पहला विधेयक है। श्रीमन्, उस तरफ से इस विधेयक के समर्थन में कुछ माननीय मन्त्री जी ने कहा और मैं तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि आज के पहले आपके भी अन्य विधेयकों पर जो विचार होते रहे हैं उन में कुछ सार और तथ्य हुआ करता था, लेकिन इस सारहीन विधेयक पर श्रीमान् ने भी कुछ नहीं कहा और केवल इधर-उधर की बातें कह कर भाषण पूरा कर दिया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---
माननीय पांडेय जी, आप बैठ कर बातें करें।

श्री रक्षपालसिंह---

आपने कहा कि वकीलों का मेहनताना क्यों नहीं घटा दिया गया। प्रश्न यह है कि कोर्ट फीस बढ़ायी जाय या न बढ़ायी जाय और अगर बढ़ायी जाय तो कहां और किस प्रकार। प्रश्न इस बात का था, लेकिन उसका बर्डन आपने वकीलों पर छोड़ दिया और आप कोई तर्कपूर्ण बात के साथ इसका समर्थन करने में कामयाब नहीं रहे। आपके दूसरे साथी जिनका आप के साथ ही तर्कपूर्ण भाषण हुआ करता था, वह माननीय बैजनाथसिंह ने भी एक बात के मजाक में कि बिल जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय सारा समय ही बिता दिया।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

आपका भी कोई पक्ष है, श्रीमन्।

श्री अधिष्ठाता---

नहीं, वह तो आपका ही पक्ष है।

श्री रक्षपालसिंह---

प्रस्ताव में केवल इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय यह बात थी और इसको लेकर ही उन्होंने ५, ७ मिनट मजाक में उड़ा दिये। कोई तर्क नहीं दिया कोर्ट फीस, बिक्री कर या स्टाम्प ड्यूटी के बारे में। श्रीमन्, एक और सज्जन ने भाषण दिया और वह सेल्फ कंट्रेडिक्ट्री स्पीच थी। उन्होंने कहा कि जितनी कम्प्लेन्ट हैं उन पर यह फीस हटा ली जाय। सरकार तो कह रही है कि कोर्ट फीस बढ़ायी जाय ताकि पैसा ज्यादा आये और उन्होंने कहा कि कोर्ट फीस ही न ली जाय। तो इस विषय पर सेल्फ कंट्रेडिक्ट्री स्पीच उनकी रही। तो श्रीमन्, वास्तव में यह एक ऐसा मेजर सरकार की तरफ से लाया गया है कि जिसका वास्तव में विरोध होना चाहिये और विरोध करने के लिये हमारे पास केवल यही मेजर था कि हम इसको जनमत संग्रह कराने के लिये भेजने की बात कहते। हमारे एक भाई ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। मैं इस के लिये एक बात कहता हूं। असेम्बली भी बन्द हो रही है और आप पिछले दिनों विधेयकों को रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से पास करा चुके हैं। यह भी उसी प्रकार आप पास करा सकते हैं। बीच में यह दो, तीन महीने की छुट्टी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इस विधेयक को अगर सारे प्रदेश में नहीं तो उप मन्त्री जी के क्षेत्र में घुमा दें और देख लें कि उस क्षेत्र की जनता की क्या राय है इस बारे में। कल ही माननीय राजस्व मन्त्री जी को विधेयक लाना था, लेकिन चूंकि वह पहले कह चुके थे कि इस प्रकार का विधेयक नहीं लायेंगे इसलिये उनकी तबियत अस्वस्थ्य हो गयी और उन्होंने उसका भार अपने एक दूसरे साथी पर डाल दिया। अगर यह जनमत संग्रह के लिये उप मन्त्री जी के क्षेत्र में घुमाया गया तो मेरा विश्वास है कि उप मन्त्री जी को भी इसे पेश करने के लिये अपने दूसरे साथी को तलाश करना पड़ेगा।

इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये घुमाना इसलिये भी आवश्यक है कि इसका सम्बन्ध तीन कानूनों से है और साथ ही आपको यह भी देखना है कि यह कर जनता दे सकती है या नहीं। इस आपत्कालीन स्थिति में उस से यह टैक्स आपको रियलाइज भी करना चाहिये या नहीं और क्या यह कर के आप उसका मनोबल और शक्ति बढ़ा रहे हैं? उसके मन में इसके प्रतिक्रियास्वरूप जो भाव पैदा होंगे, उन पर हमें विचार करना होगा। श्रीमन्, इसके पहले कि बिल के बारे में कुछ बातें कहूं आप देखें कि हमारी नियमावली के अन्तर्गत नियम १३१ में है कि हमारे माननीय मन्त्री महोदय जब बिल लायेंगे, तो जिन बातों पर बिल आधारित होगा, उनका उल्लेख करेंगे। खंड २ में जो संशोधन ख में किया गया है, वह खंड २ के उपखंड में जो भाग 'घ' का ए-बी सब्स्टीट्यूट है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसमें आप देखें कि---

"Local bodies except those mentioned in Clause "c".

इसी प्रकार से धारा 'बी' में भी उल्लेख है कि---

"Any other Local bodies except those mentioned in Clause "d".

[श्री रक्षपालसिंह]

वैसे सी और डी में क्या है, उल्लेख करने के लिये संशोधन लाते, परन्तु माननीय मन्त्री महोदय....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रक्षपालसिंह अब कल अपना विद्वत्तापूर्ण भाषण जारी रखेंगे। अब हम उठते हैं और कल २०-३० बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन सित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३ अप्रैल, १९६३।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ३–४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२१–७२२ पर]

तालिका १

उन सेन्टरों की सूची जो जिला फतेहपुर के ब्लाकों में अब तक स्थापित किये जा चुके हैं

क्रम सं०	ब्लाक का नाम	वे सेन्टर जहां हेल्थ विजिटर नियुक्त हैं	वे सेन्टर जहां मिडवाइफ नियुक्त हैं	वे सेन्टर जहां मिड वाइव्ज के अभाव के कारण दाइयां कार्य कर रही हैं
१	बहुआ ..	बहुआ, १९५९ ..	१ बहुआ, १९५९ २ शाह, १९६० ..	१ गाजीपुर, १९६१ २ सखा, १९६१
२	मलवां ..	मलवां, १९६० ..	मलवां, १९६० ..	१ गोपालगंज, १९५९ २ दोघ, १९५८ ३ मऊहर, १९५८
३	विजयपुर	स्वीकृत परन्तु स्थान रिक्त	—	१ किशनपुर २ खखरेरू ३ विजयपुर ४ सिययानी १९६२
४	भिटोरा	भिटोरा, १९५७ ..	हुसेनगंज, १९५६	१ भिटोरा, १९५७ २ जमरावां, १९५६ ३ मवई, १९५६
५	बाता ..	स्वीकृत परन्तु स्थान रिक्त	धाता, १९५१ ..	१ अरहौली, १९५९ २ कोट, १९५८
६	तेलियानी	स्वीकृत परन्तु स्थान रिक्त	—	१ तेलियानी, १९५९ २ कोरेन, १९५९ ३ बुगरई, १९५९
७	हथगांव	—	हथगांव, १९६० ..	१ सियौरा, १९६० २ छिउलहा, १९६० ३ तेनुजा, १९६०
८	असोथर	—	लेंलौली, १९६० ..	—
९	खजुआ	—	—	—
१०	देवमई ..	—	जहानाबाद, १९४७	—
११	हसवा	हसवा, १९६२ ..	—	१ अरियांव, १९६२ २ हसवा, १९६२ ३ सातौन, १९६२ ४ रमवा, १९६२
१२	ऐरांया	—	खागा, १९४७ ..	—
१३	अमौली	—	—	—

तालिका (२)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जिला फतेहपुर के विकास खंडों में आयोजित किए जाने वाले अच्छा बच्चा केन्द्रों की संख्या ।

विकास खंड का नाम	अच्छा-बच्चा केन्द्रों की संख्या
१—धाता	१
२—बेलियानी	१
३—असोथर	३
४—खजुहा	४
५—देवमई	३
६—अमोली	४
७—ऐरायां	३

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जिला फतेहपुर के निम्नलिखित विकास खंडों में एक-एक ग्रामसेवक की नियुक्ति की जायेगी—

१—धाता
२—असोथर
३—खजुहा
४—देवमई
५—ऐरायां
६—अमोली

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२३ पर]

१—डा० पी० के० भट्टाचार्या, पी० एम० एस० (प्रथम) १ अक्तूबर, १९५८ से ९ अगस्त, १९६१ तक किंग इंग्लिश अस्पताल में तथा १० अगस्त, १९६१ से ई० एस० आई० चिकित्सालय में हैं। यह एम० डी० कर रहे हैं।

२—डा० के० एल० अरोड़ा, पी० एम० एस० (प्रथम) १६ दिसम्बर, १९५० से पी० एम० एस० (द्वितीय) अधिकारी के रूप में और १ मार्च, १९५८ से पी० एम० एस० (प्रथम) के रूप में बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में रेडियोलोजिस्ट के पद पर कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। प्रशासकीय आवश्यकताओं के कारण स्थानान्तरण नहीं किया गया।

३—डा० के० डी० शर्मा, २५ फरवरी, १९५२ से पी० एम० एस० (द्वितीय) के रूप में और १९ दिसम्बर, १९५६ से पी० एम० एस० (प्रथम) अधिकारी के रूप में बलरामपुर अस्पताल में एनःथेटिस्ट का कार्य कुशल रूप से कर रहे हैं। प्रशासकीय आवश्यकताओं के कारण स्थानान्तरण नहीं किया गया।

४—डा० पी० के० पान्डेय, २ मार्च, १९५८ से पी० एम० एस० (द्वितीय) अधिकारी के रूप में और २२ फरवरी, १९६१ से पी० एम० एस० (प्रथम) अधिकारी के रूप में बलरामपुर अस्पताल में गला, कान व नाक के विशेषज्ञ का कार्य कुशल रूप से कर रहे हैं। प्रशासकीय आवश्यकताओं के कारण स्थानान्तरण नहीं किया गया।

५—डा० बी० आर० सूद, पी० एम० एस० (प्रथम) ३ अगस्त, १९५७ से ९ दिसम्बर, १९६२ तक राज भवन चिकित्सालय में तथा १० दिसम्बर, १९६२ से महानगर चिकित्सालय में कार्य कर रहे हैं। प्रशासकीय आवश्यकताओं के कारण लखनऊ से बाहर उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया।

६—डा० (कुमारी) एन० पी० सक्सेना, पी० एम० एस० (प्रथम) महिला, १४ जुलाई, १९५९ से डफरिन अस्पताल, लखनऊ में कार्य कर रही हैं। उनकी कार्य कुशलता एवं सर्वप्रियता के कारण डफरिन अस्पताल से नहीं हटाया गया है। अभी उन्हें ३ वर्ष से थोड़ा ही समय अधिक हुआ है।

७—डा० (श्रीमती) सन्तोष शर्मा, २२ मार्च, १९५६ से इन्चार्ज, रीजनल फेमिली प्लानिंग ट्रेनिंग सेन्टर के पद पर कार्य कर रही हैं। इनके पति लखनऊ मेडिकल कालेज में कार्य करते हैं। इस कारण से उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

८—डा० (श्रीमती) सुशीला तिवारी, पी० एम० एस० (प्रथम) (महिला) १३ जुलाई, १९५६ से पी० एम० एस० (द्वितीय) अधिकारी के रूप में डफरिन अस्पताल में काम करती थीं। सिविल डिस्पेन्सरी का जब उच्चस्तरीकरण सिविल अस्पताल लखनऊ के रूप में किया गया तब उनका स्थानान्तरण डफरिन अस्पताल से सिविल अस्पताल में किया गया, चूंकि यहां भी महिला रोगिणियों की देखभाल के लिये महिला चिकित्सक आवश्यक थी। बाद में वही पद पी० एम० एस० (प्रथम) का कर दिया गया और वह उसी पद पर कार्य कर रही हैं। यह एम० डी० कर रही हैं। अतएव इन्हें लखनऊ से स्थानान्तरित नहीं किया गया।

९—डा० (श्रीमती) एस० चन्द्रा, पी० एम० एस० (द्वितीय) (महिला) ई० एस० आई० डिस्पेन्सरी, लखनऊ में २८ अगस्त, १९५९ से हैं इनके पति लखनऊ मेडिकल कालेज में काम करते हैं, अतः उन्हें लखनऊ में रक्खा गया। वैसे उन्होंने अब त्याग-पत्र दे दिया है जो सरकार के विचाराधीन है।

१०—डा० पी० के० दीक्षित, पी० एम० एस० (द्वितीय) १२ अगस्त, १९५९ से बलरामपुर अस्पताल में हैं। यह एम० डी० कर रहे है। अप्रैल, १९६३ में परीक्षा देंगे। अतः अभी तक स्थानान्तरण नहीं किया गया।

११—डा० आर० एन० कोटियाल, पी० एम० एस० (द्वितीय) २४ फरवरी, १९५९ से बलरामपुर अस्पताल में हैं। एम० डी० कर रहे हैं। अप्रैल, १९६३ में परीक्षा देंगे। अतः अभी तक स्थानान्तरण नहीं किया गया।

१२—डा० सतीश चन्द्र माथुर, पी० एम० एस० (द्वितीय) ५ सितम्बर, १९५९ से बलरामपुर अस्पताल में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने १९६१ में एम० एस० करने के लिये आवेदन किया था इस वर्ष मेडिकल कालेज में थीसिस भेजने की इच्छा की है। इस कारण स्थानान्तरण नहीं किया गया।

१३—डा० के० एस० कपूर, पी० एम० एस० (द्वितीय) ८ दिसम्बर, १९५९ से बलरामपुर अस्पताल में हैं। एम० डी० कर रहे हैं। अप्रैल, १९६३ में परीक्षा देंगे। अतः उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

१४—डा० आर० पी० जैन, पी० एम० एस० (द्वितीय) ५ अगस्त, १९५६ से ब्लड बैंक, लखनऊ में कार्य कर रहे थे। ९ जनवरी, १९६२ को बलरामपुर अस्पताल में स्थानान्तरित किये गये। पैथोलोजी में एम० डी० करने का आवेदन किया है। इस वर्ष मेडिकल कालेज में थीसिस भेजने की इच्छा की है। इसी कारण अभी तक लखनऊ से स्थानान्तरण नहीं किया गया।

१५—डा० आर० सी० श्रीवास्तव, पी० एम० एस० (द्वितीय) ४ अक्तूबर, १९५८ से सिविल अस्पताल लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। सन् १९६१ में इन्होंने फारेनसिक मेडिसिन में एम० डी० के लिये आवेदन किया था। अक्तूबर, १९६२ की परीक्षा में सफल रहे हैं। बच्चों की शिक्षा आदि कारणों से लखनऊ से परीक्षा उत्तीर्ण होने पर तुरन्त स्थानान्तरण नहीं किया गया। अब इस वर्ष स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

१६—डा० सी० एल० संगल, पी० एम० एस० (द्वितीय) १ जून, १९५७ से सिविल अस्पताल लखनऊ में हैं। सन् १९६१ में आपथलमोलोजी में एम० एस० करने का आवेदन किया। सन् १९६२ की परीक्षा में बैठे किन्तु असफल रहे। सन् १९६३ की परीक्षा में पुनः बैठने का विचार है, अतः अभी तक स्थानान्तरण नहीं किया गया।

१७—डा० बी० डी० श्रीवास्तव, पी० एम० एस० (द्वितीय) १८ नवम्बर, १९५८ से २६ मई, १९६३ तक सिविल अस्पताल में रहे और २७ मई, १९६२ से पी० ए० सी० अस्पताल में हैं। प्रशासकीय आवश्यकताओं के कारण ३ वर्ष से अधिक से लखनऊ में रक्खे गये हैं।

१८—डा० सी० एल० चौधरी, पी० एम० एस० (द्वितीय) ८ दिसम्बर, १९५९ से पुलिस अस्पताल में हैं। एम० एस० आपथलमोलोजी कर रहे थे सन् १९६२ में सफल हुये। ३ वर्ष का समय दिसम्बर, १९६२ में पूरा हुआ है। इस वर्ष प्रशासकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन के स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

१९—डा० एच० बी० सिंह, ७ अक्तूबर, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक पी० एम० एस०, (द्वितीय) अधिकारी के रूप में आदर्श जेल, लखनऊ में कार्य करते रहे हैं। ३१ दिसम्बर, १९६१ को रिटायर होने पर २ वर्ष के लिये पुनः नियुक्त किये गये हैं, और जेल कार्य में कुशलता के कारण वहीं रक्खा गया है।

२०—डा० बी० एस० सक्सेना, १२ नवम्बर, १९५९ से २२ नवम्बर, १९६१ तक पी० ए० सी० अस्पताल में कार्य किया और २३ नवम्बर, १९६१ से आलमबाग चिकित्सालय में कार्य कर रहे हैं।

आपथलमोलोजी में एम० एस० कर रहे थे। सन् १९६२ की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये हैं। नवम्बर, १९६२ में ३ वर्ष लखनऊ में पूरे हो रहे हैं। सन् १९६३ में प्रशासकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

महावीर प्रसाद श्रीवास्तव,
स्वास्थ्य मंत्री।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न २७ और २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३२–७३३ पर]

तालिका 'क'

कालेजों के नाम	दिये गये अनुदान							
	१९५८–५९		१९५९–६०		१९६०–६१		१९६१–६२	
	आवर्तक	अनावर्तक	आवर्तक	अनावर्तक	आवर्तक	अनावर्तक	आवर्तक	अनावर्तक
१—आयुर्वेदिक कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ..	१,००,०००	—	१,००,०००	—	१,००,०००	—	१,००,०००	—
२—ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार ..	५५,९००	१४,०००	५५,९००	२०,५५०	५५,९००	२५,५००	५५,९००	२२,१००
३—गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार ..	२०,०००	१६,०००	२०,०००	१५,०००	२०,०००	२०,०००	२०,०००	१७,१००
४—लिलित हरी आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत ..	५४,२००	१७,३००	५४,२००	२३,१५०	५४,२००	२८,१५०	५४,२००	२३,०००
५—बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी ..	५४,०००	१५,०००	५४,०००	—	५४,०००	११,२००	५४,०००	७,०००
६—अर्जुन दर्शनानन्द आयुर्वेदिक, कालेज, वाराणसी ..	—	६,७००	—	६,०००	—	७,३१०	—	
७—आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा ..	—	—	—	२,५००	—	३,९५०	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका 'ख'

क्रम सं०	कालेजों के नाम	विद्यार्थियों की संख्या									
		१९५७–५८					१९५८–५९				
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
१	स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ ..	३२	३२	२५	००	००	३	३०	२९	२३	००
२	आयुर्वेदिक कालेज, हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	४६	७८	७९	६२	७५	४०	५५	७०	६४	६०
३	बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ ..	३४	७३	८५	५१	४१	१९	३२	७३	५१	५३
४	ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार ..	२३	९९	७३	६६	५३	४	३९	९१	५२	७८
५	गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार ..	२४	२०	३४	२७	२६	२	१९	२९	२७	२६
६	ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत ..	२७	६३	४३	४०	५८	—	५३	४३	४१	६४
७	आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा ..	१	१०	४	—	—	७	१	१०	४	०
८	अर्जुन दर्शनानन्द आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी	९	२८	१७	९	१४	१०	२१	१८	१७	१२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	कालेजों के नाम	विद्यार्थियों की संख्या									
		१९५९–६०					१९६०–६१				
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
१	स्टेट आयुवदिक कालेज, लखनऊ ..	११	२	३०	३२	२१	३३	१२	१	२९	३४
२	आयुर्वेदिक कालेज, हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	४७	४२	६२	६७	५०	७	४७	४५	६२	६५
३	बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी ..	६	३	३०	५२	५७	२२	३	८	१८	६२
४	ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार ..	९	५	३५	८२	६२	१४	८	६	३६	७७
५	गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार	४	३	१६	२१	३६	७	५	२	१३	२३
६	ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत ..	६	१०	३१	४३	५२	१८	४	१३	२६	४७
७	आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा ..	१४	४	१	१०	४	१५	४	४	—	१०
८	अर्जुन दशनानन्द आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी	८	११	२१	१५	२०	२०	४	८	२०	२१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र० सं०	कालेजों के नाम	विद्यार्थियों की संख्या									
		१९६१–६२					१९६२–६३				
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
१	स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ ..	५८	३६	१०	३५	३०	६७	५९	२५	१०	३६
२	आयुर्वेदिक कालेज, हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	—	१२	४६	४२	६८	—	—	१५	५४	३५
३	बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी ..	५०	९	६	७	४८	३८	१६	९	७	२६
४	ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार ..	१२	१३	८	१०	७५	१३	१२	१३	९	२८
५	गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार ..	६	८	४	४	१५	९	८	७	५	२८
६	ललित हरी आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत ..	७	८	४	१२	४७	२७	९	५	५	२६
७	आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा ..	१०	४	३	४	७	२२	२	३	—	—
८	अर्जुन दर्शनानन्द आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी	००	१०	१०	८	५३	१	५	४	६	२२

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३८ पर]

कार्यालय निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश

संख्या (४) शा०—१६४-६१

लखनऊ, दिनांक २९ अप्रैल, १९६१ ई०

वैभागिक विज्ञप्ति

श्री रामचन्द्र सिंह, भूतपूर्व पंचायत मंत्री, जिला आजमगढ़ को उनके शासन को सम्बोधित प्रतिवेदन प्रार्थना-पत्र के प्रत्युतर में सूचित किया जाता है कि राज्यपाल महोदय ने उन्हें पंचायत मंत्री पद पर पुनरासीन कर दिया है और वे अपनी सेवा समाप्ति की तिथि से सेवा काल में माने जावेंगे । उन्हें अवशेष वेतन भत्ता और ऐसी वेतन वृद्धियां जिन्हें वे अपनी सेवायें समाप्ति न होने और निरन्तर सेवा में रहने की स्थिति में प्राप्त करते, प्राप्त होंगे । वे तुरन्त जिला पंचायत अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष उपस्थित हो कर कार्यभार ग्रहण करें ।

ह० रमेश चन्द्र जैन,
उप-निदेशक (प्रशासन),
पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि १—श्री रामचन्द्रसिंह, भूतपूर्व पंचायत मंत्री, ग्राम इसरायार, तहसील सगड़ी, डाकखाना रामगढ़, जिला आजमगढ़ को सूचनार्थ तथा आदेश पालनार्थ ।

२—जिला पंचायत अधिकारी, आजमगढ़ को सूचनार्थ तथा उचित कार्यवाही हेतु ।

रमेश चन्द्र जैन,
उप-निदेशक (प्रशासन),
पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५८ पर)

जिला वाराणसी की प्रगति

६ प्रदर्शनों की संख्या

प्रदर्शन की किस्म	खरीफ लक्ष्य	खरीफ पूर्ति	रबी लक्ष्य	रबी पूर्ति
उन्नतिशील बीज सम्बन्धी	३७८	३०४	३७८	४७३
आधुनिक कृषि सम्बन्धी	३८८	२३६	३८७	२७४
रासायनिक खाद सम्बन्धी	५८८	६७१	५८७	८१७

कटेहर क्षेत्र के चिरईगांव, चोलापुर तथा हर कुआ विकास क्षेत्र में जो प्रदर्शन विगत वर्ष १९६२ में कृषकों के खेतों पर किये गये हैं उनकी सूचना निम्न प्रकार है ।

बिकास क्षेत्र का नाम	प्रदर्शन की किस्म	प्रदर्शन संख्या खरीफ	प्रदर्शन संख्या रबी	गांव के नाम जहां प्रदर्शन किये
चिरईगांव	आधुनिक कृषि संबंधी	२०	२	खांवपुर, लेदपुर, खनदूहा हृदयपुर, सरेसा, जैरामपुर जरियासनपुर, खानपुर, हीरा-मनपुर पतेखऊ, दीनापुर, नेवादा, लूटा और चिरई-गांव ।
	उन्नतिशील बीज संबंधी	९	२७	
	रासायनिक खाद संबंधी	२६	२६	
चोलापुर	आधुनिक कृषि यंत्र संबंधी	७	६	पहाड़पुर, चौबेपुर,
	उन्नतिशील बीज संबंधी	६	६	सुल्तानीपुर, सिंहपुर, कपसा जगदीशपुर, तरगांव ।
	रासायनिक खाद संबंधी	६	१७	सुआरी, महमूदपुर, मंगोलेपुर, चोलापुर कादीपुर, अजगरा, सुआरी, सिंहपुर रीनाकला, धौरहरा ।
हरदुआ	आधुनिक कृषि यंत्र संबंधी	४	२	हरहुआ, सरावकाजी, समईपुर ।
	उन्नतिशील बीज संबंधी	११	७	तरना भरलाई, कादुपूर आयर,
	रासायनिक खाद संबंधी	६	२०	शिवरामपुर हलीमपट्टी गोसाईंपुर, मढ़का, भोमी । उदयपुर, चन्दीपट्टी । आतूपुर, पामुर बनवारीपुर, मझमिटियां, अटेसुआ

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६१ पर)

कटेहर गांव सभा के अन्तर्गत सहकारी बीज भण्डारों द्वारा वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में वितरित किए गए बीज तथा खाद का वितरण

क्रम सं०	नाम विकास खण्ड	नाम बीज भण्डार	वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में बीज तथा रासायनिक खादों का वितरण							रासायनिक टनों में
			गेहूं मनों में	जौ मनों में	चना मनों में	मटर मनों में	तीसी मनों में	धान मनों में	योग मनों में	
१	हरदुआ	हरदुआ	३४९	३५९	२१३	१८२	—	—	११०३	४६
		आयर	३३८	४१०	२२२	३०३	—	—	१२७३	४०
२	चोलापुर	चोलापुर	६६५	६१०	३९३	३०५	—	—	१९७३	४८
		चौबेपुर	३३७	५७८	२४३	२०९	—	—	१३६७	२७
		रजवाड़ी	१३४	६०८	३४४	१६९	१७	—	१२७२	२३
		बेला	२४४	२१४	१०६	१८२	—	—	७४६	—
३	चिरई गांव	जाल्हू पुर	१९९	६४६	३२०	२०६	१३	—	१३८४	११
		वरथरीकलां	२८५	४६२	५८६	१५९	—	—	१४९२	२९
		उमरहां	२०२	१४९	१२१	७७	३	२०	५७२	६३

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३० एल० ए०—१९६३—८५२।